लोक-सभा

शुक्रवार,
२ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

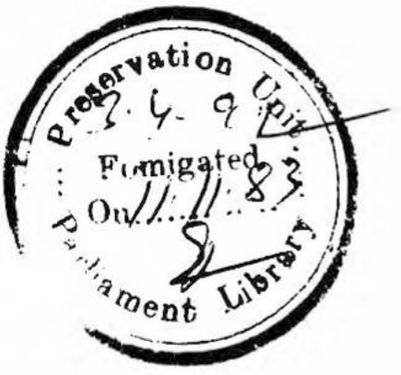

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक-सभा

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विमान दुर्घटनायें

*१३४६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या संचार मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १ मार्च, १९५५ से अगस्त १९५५ के अन्त तक की अवधि के दौरान भारत में कुल कितनी विमान दुर्घटनायें हुईं;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्तियों की जानें गईं; और

(ग) इन में से कुल कितनी दुर्घटनायें स्थल इंजीनियरों अथवा विमान चालकों की लापरवाही अथवा असावधानी से हुईं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मैं अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १]**

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण से मुझे ज्ञात होता है कि एक दुर्घटना विमान संधारण इंजीनियर की लापरवाही तथा असावधानी से हुई, क्या यह सत्य नहीं है कि विमान संधारण इंजीनियरों की नियुक्ति उचित रीति से नहीं होती है और उनमें से कुछ लोगों के पास आवश्यक अर्हताओं तथा अनुभव की कमी है ।

श्री राज बहादुर : विमान संधारण इंजीनियरों के पास आवश्यक टेकनिकल अर्हतायें होती हैं, तथा मेरे विचार से यह ख़याल कि, उनकी नियुक्ति उचित रीति से नहीं होती है अथवा उनमें उपयुक्त अर्हतायें नहीं होती हैं, निराधार है ।

श्री डी० सी० शर्मा : विवरण में कहा गया है कि पांच दुर्घटनायें विमान चालकों की गलतियों से हुई हैं, तथा उक्त गलतियों का कारण लापरवाही और असावधानी उतनी नहीं थी जितना कि विमान चालकों द्वारा सही निर्णय न कर सकना था । क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं तथा ऐसे कौन से उपाय किये गये हैं जिससे कि इतनी अधिक अर्थात् तीन महीनों में एक बार इस प्रकार की गलती न होने पाये ।

श्री राज बहादुर : जहां तक निर्णय की ग़लती का सम्बन्ध है, विहित प्रक्रिया तथा आवश्यक अनुदेश, जो कि एक विशेष वस्तु-स्थिति पर दिये जाते हैं, उनका कठोरता से पालन किया जाता है । जहां तक इन मनुष्य-सुलभ गलतियों के निराकरण के लिये की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है, हमने इन लोगों के लिये आपातकालीन प्रक्रिया तथा यांत्रिक उड़ान प्रशिक्षण प्रारम्भ किया है, और इसकी समय-समय पर जांच की जाती है । प्रति ६ महीने में एक मार्ग जांच भी विहित है तथा इन जांचों को उनकी अनुज्ञप्तियों के नवीकरण के लिये आज्ञात्मक आवश्यकता करार दिया

गया है । बिना इन जांचों के उनकी अनुज्ञप्तियां नहीं बदली जा सकती हैं । इसके अलावा भी सही निर्णय न करने की गलतियों को कम-से-कम करने के लिये अन्य कार्यवाही की गई है ।

श्री जी० एस० सिंह : क्या मैं जांच न्यायालय से सम्बन्धित विभिन्न टेकनिकल व्यक्तियों की अर्हतायें और नाम जान सकता हूं जो कि इन दुर्घटनाओं के कारणों का निश्चय करते हैं ?

श्री राज बहादुर : प्रत्येक दुर्घटना के लिये एक पृथक् जांच न्यायालय होता था, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद का ही एक पदाधिकारी होता था जिसकी दो टेकनिकल पदाधिकारी सहायता करते थे । अधिकांश मामलों में ये टेकनिकल पदाधिकारी असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय अथवा भारतीय विमान बल के पदाधिकारी होते थे ।

श्री कासलीवाल : क्या मैं इन दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त सामान ढोने वाले और यात्री विमानों की संख्यायें जान सकता हूं ?

श्री राज बहादुर : मैं वार्षिक आंकड़े दे सकता हूं । वर्ष १९५०–५१ से दुर्घटनाओं की कुल संख्या इस प्रकार है :—

१९५०	६१
१९५१ . .	३७
१९५२ . .	२८
१९५३ . .	२४
१९५४	१७

इनमें से माल ढ़ोने वाले विमानों की दुर्घटनाओं की संख्याएं इस प्रकार थीं :—

१९५० . .	१५
१९५१ .	६
१९५२ . .	६
१९५३ . . .	५
१९५४	४

इस प्रकार यह ज्ञात होगा कि क्रमशः दुर्घटनाओं की संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त होने वाले माल ढोने वाले विमानों की संख्या में कमी हो रही है।

श्री जयपाल सिंह : क्या हमें उड्डयन क्लबों की इन दुर्घटनाओं का कोई विवरण मिल सकता है ? तथा किस उड्डयन क्लब में सर्वाधिक दुर्घटनायें हुई हैं ?

श्री राज बहादुर : मेरे पास इस प्रकार का विस्तृत विवरण नहीं है। किन्तु मुझे विश्वास है कि अधिकांश विमान दुर्घटनाएं निजी विमानों तथा उड्डयन क्लबों में प्रशिक्षण के उपयोग में आने वाले विमानों को हुई हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार इन दुर्घटनाओं के प्रश्न पर पृथक् पृथक् मामले की जांच के स्थान पर व्यापकता से विचार करने के लिये, कोई जांच समिति बनाने का विचार कर रही है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जब कभी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, हम अनिवार्यतः एक जांच न्यायालय की स्थापना करते हैं । जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय का ही कोई निवृत्ति-प्राप्त न्यायाधीश होता है । इस जांच न्यायालय में टेकनिकल विशेषज्ञ सहायता करते हैं । यह न्यायालय दुर्घटना की विस्तृत जांच करता है तथा कारण का निश्चय करता है तथा हम दुर्घटना के इन कारणों को यथासम्भव दूर करने का प्रयत्न करते हैं ।

मेरे विचार से इस सारे मामले की पूर्ण अथवा तदर्थ जांच की कोई आवश्यकता नहीं न ही इसके लिये कोई अवसर है । जब कभी कारण उपस्थित होता है, हम उन बातों की जांच करते हैं और यही हमारा भविष्य में भी करने का विचार है ।

यंत्र तथा उपकरण

*१३४७. **श्री डाभी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिये गये ऋण से सरकार ने जो २१,१९,२२२ डालर के यंत्र तथा उपकरण खरीदे थे वे १९४९ से अब तक बिना किसी उपयोग के बेकार पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन यंत्रों तथा उपकरण की क्या आवश्यकता थी; और

(ग) बिना आयोजन किये हुए इस खरीद के लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से लिये गये ऋण से सरकार द्वारा मंगाये गये यंत्रों तथा उपकरण में से १९४९ से २,२३,५०८ डालर का सामान बेकार पड़ा हुआ है ।

(ख) और (ग). इस मामले पर प्राक्कलन समिति तथा जैदी समिति ने विचार किया था । इस अनावश्यक खरीद का दायित्व निश्चित करने के सम्बन्ध में उनकी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री डाभी : ऋण की वापसी की शर्तें क्या हैं तथा उस पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी । यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

श्री डाभी : इन यंत्रों का क्या होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम इनका उत्सर्जन करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं । चुनांचि इन में से कुछ यंत्रों का बिना किसी हानि के उत्सर्जन किया जा चुका है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इन यंत्रों तथा भण्डार का कौन सा अंश निकम्मा हो गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे विश्वास से कोई सामान निकम्मा नहीं हुआ है, क्योंकि यह अच्छी तरह से भण्डार में रखा गया है ।

गन्ना उपकर

*१३४८. **श्री गिडवानी :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखेंगे जिसमें बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५४–५५ के दौरान प्रत्येक राज्य में, पृथक् पृथक् रूप से, चीनी उद्योग से गन्ने में लगाये गये उपकर से सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान चीनी उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि मंजूर की गई; और

(ग) क्या वर्ष १९५५–५६ के दौरान उद्योग के विकास की कोई योजना है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) से (ग). लोक-सभा-सपटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २]**

श्री गिडवानी : विवरण में कहा गया है :

> "१९४८–४९ में राज्यों में गन्ना विकास की जो योजनायें आरम्भ की गई थीं, उनको १९५५–५६ के अन्तर्गत जारी रखा जा रहा है ।"

क्या मैं उन योजनाओं के परिणाम जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : ये योजनाएं जारी हैं । मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि ठीक कितना व्यय हुआ है । परन्तु अब बहुत से

राज्य यह स्वीकार कर रहे हैं कि इन का अधिक अंश गन्ना उगाने वालों को सुविधायें देने पर खर्च किया जाना चाहिये, और मैं समझता हूं वे उस पर खर्च कर रहे हैं।

श्री गिडवानी : क्या कोई फल हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं नहीं जानता कि माननीय मित्र का फल से क्या अभिप्राय है। परन्तु इन सब विकास योजनाओं का कुछ फल निश्चित हुआ है और वह यह है कि इस वर्ष गन्ना और चीनी का अधिक उत्पादन हुआ है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : अब इस उपकर का कुल कितना अन्तर उपलब्ध है, और क्या उपकर से प्राप्त होने वाले धन का पृथक् लेखा रखा जाता है अथवा यह सामान्य निधि में जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि केन्द्रीय सरकार कोई उपकर नहीं लगाती। विभिन्न राज्य ही ये उपकर लगाते हैं। हम उन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं न ही हम उपकर के धन की देख भाल कर सकते हैं अथवा उस से कुछ काम ले सकते हैं। हम यह बताने में भी असमर्थ हैं कि कितनी बकाया राशि है।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन के गन्ना बोने वालों से यह अभ्यावेदन प्राप्त किया है कि वहां केवल गन्ना उद्योग स्थानान्तरित किया जाने वाला है ? क्या उन अभ्यावेदनों में उन्होंने सरकार से कुछ सहायता मांगी है, और यदि हाँ, तो इस मामले में क्या किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह स्वतंत्र प्रश्न है। अतः मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र।

श्री पुन्नूस : इस उपकर में से कितना . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं ने श्री एल० एन० मिश्र को बुलाया है।

श्री पुन्नूस : मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि पटल पर रखे गये विवरण में उस राज्य को दी गई किसी सहायता का वर्णन नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विशिष्ट मामले के बारे में पूछ रहे हैं। यह भिन्न प्रकार का प्रश्न है।

श्री पुन्नूस : किन्तु विवरण में त्रावनकोर-कोचीन राज्य का कहीं वर्णन नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या इस प्रकार एकत्र किये गये उपकर के कुछ अंश को गन्ना उगाने वालों के लिये यातायात की सुविधायें प्रदान करने के निमित्त खर्च करने की कोई प्रथा या नियम है ? क्या सरकार को विदित है कि गन्ना उगाने वालों को खेत से फैक्टरी तक अपना गन्ना ले जाने में बहुत अधिक कठिनाई होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे मालूम नहीं कि ऐसी कोई प्रथा है, परन्तु मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को सड़कों आदि के अभाव के कारण होने वाली असुविधा विदित है, और मैं समझता हूं कि वह उस धन का कुछ भाग इस काम के लिये खर्च करने का प्रयत्न कर रही है।

श्री हेडा : विवरण में दो नवीन योजनाओं, गन्ने से मोम निकालने की योजना, और थोई से चीनी निकालने की योजना का वर्णन किया गया है। ये योजनायें कहां कार्यान्वित की जा रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये।

पर्यटक यातायात, काश्मीर

*१३४९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में काश्मीर राज्य को, उस राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये, कितनी सहायता दी गई है;

(ख) उक्त कालावधि में कुल कितने पर्यटक काश्मीर गये; और

(ग) इस यात्रा से काश्मीर को कितनी आय हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ९,००० रुपये ।

(ख) ३४,६४५ ।

(ग) ऐसा कोई पक्का आधार नहीं है जिससे यह पता चल सके कि इस बीच काश्मीर को कितना आर्थिक लाभ हुआ ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कुल कितने विदेशी पर्यटकों ने काश्मीर का पर्यटन किया है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इस संख्या का ब्यौरा नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : जो पर्यटक अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं, उनको क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री अलगेशन : मैं नहीं समझता कि इस समय जो यात्री अमरनाथ जाते हैं, उनको कोई विशष सुविधायें दी जाती हैं । किन्तु जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने श्रीनगर में एक स्वागत भवन के निर्माण की मांग की है हम ने इस वर्ष इस काम के लिये ३।। लाख रुपये का अनुदान दिया है ।

पड़ती भूमि

*१३५०. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ५ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में खेती बाड़ी के लिये उपलब्ध पड़ती भूमि के परिमाण के बारे में अन्तिम रूप से कोई अनुमान लगाया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक-सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

श्री ए० के० गोपालन : प्रश्न संख्या १३५४ मेरा प्रश्न है । यह इस सूची में मुद्रित संख्या के साथ लिया जाना चाहिये था । यहां प्रश्न संख्या १३५४ दो हैं । मेरे प्रश्न की संख्या भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अशुद्धि को शुद्ध करूंगा । उनका प्रश्न संख्या १३५४ बाद में यथासमय आयगा ।

श्री पुन्नूस : यह प्रश्न ५ मार्च, १९५४ को आया था । लगभग डेढ़ वर्ष बीत चुका है । क्या मैं इतने अधिक विलम्ब का कारण जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम ने सर्वेक्षण करने के लिये राज्य सरकार को अप्रैल १९५३ में पत्र लिखा था । हम ने नवम्बर १९५४ और अप्रैल १९५५ में परिपत्र भी भेजा था । कुछ राज्य काम आरम्भ करना नहीं चाहते, क्योंकि इस पर बहुत अधिक व्यय होने की संभावना है । कई राज्यों ने सर्वेक्षण समाप्त कर लिया है और कुछ काम किया है और उनके उत्तर प्राप्त हो रहे हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार की यह नीति है कि उन लोगों को पड़ती भूमि में खेती करने की अनुमति दे दी जाय, जो उन पर खेती करने के लिये अग्रसर होते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह मूलतः राज्य सरकार का मामला है । पड़ती भूमियों का केन्द्रीय सरकार से नहीं किन्तु राज्य

सरकारों से सम्बन्ध है, और मुझ विश्वास है कि प्रत्येक राज्य सरकार इन भूमियों के सर्वोत्तम उपयोग के बारे में विचार कर रही है ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

*१३५१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन के एक एकक ने डिबरूगढ़ सब-डिवीज़न (बिहार) में फिलोबाड़ी के स्थान पर बाढ़-पीड़ित लोगों के पुनर्वास के निमित्त भूमि को ठीक किया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि ठीक की ग़ई है और प्रति एकड़ कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन की एक टुकड़ी आसाम के फिलोबाड़ी क्षेत्र (डिबरूगढ़ सब-डिवीज़न) में, बाढ़-पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार की योजना के सम्बन्ध में गत वर्ष से भूमि को ठीक करने के काम में लगी हुई है ।

(ख) लगभग ९७५ एकड़ भूमि ठीक की जा चुकी है किन्तु सर्वेक्षण के उपरान्त इस संख्या में कुछ अन्तर पड़ सकता है । उपरोक्त काम पर ३२० रुपये प्रति एकड़ खर्च का हिसाब लगाया गया है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार और प्रदेशों में भी जहां बाढ़ से ज़मीनें कट गई हैं, उन जगहों के रहने वाले लोगों को बसाने के लिये ज़मीन रिक्लेम करने की कोई योजना बना रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : फिलहाल तो हमारे पास किसी स्टेट ने ऐसी कोई योजना नहीं भेजी है और न ही हम ने कोई काम हाथ में लिया है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि फलड्स का सबजेक्ट एक केन्द्रीय सबजेक्ट है और बाढ़ के कारण बहुत से आदमियों के घर बह गये हैं, अब उन के पास रहने को जगह नहीं है, ऐसी सूरत में क्या सरकार उन की तरफ कोई ध्यान देगी ताकि उन को बसाया जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : जो सवाल है वह आसाम के फिलोबाड़ी इलाके के बारे में है । क्योंकि आसाम की सरकार ने हम से प्रार्थना की थी और उसकी प्रार्थना करने पर ही हम ने इस काम को शुरू किया था । इसी तरह अगर कोई और सरकार चाहेगी कि हम इस काम को हाथ में लें तो उस पर भी ध्यान दिया जायगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि सैंट्रल ट्रैक्टर आर्गेनाइज़ेशन के ज़रिये जो ज़मीन तोड़ी गई है उस के रेट में अब तक तो कमी कर दी गई लेकिन जिन की ज़मीन पहले तोड़ी गई थी उन से उस रक़म की वसूली बड़ी सख़्ती से की जा रही है और इस में कोई कमी नहीं की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह सवाल उस सवाल से अलग है, जो कि पूछा गया है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि यदि उनका ध्यान आकर्षित कराया जाय तो और योजनायें भी बनाई जा सकती हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री जी को मालूम है कि बिहार में और खासकर बिहार के सारन ज़िले में बहुत से गांव दरिया में कट कर चले गये हैं और उन गांव के लोगों को बसाने के लिये ज़मीन नहीं है । क्या वहां ज़मीन को रिक्लेम कर के उनको बसाने का कोई प्रबन्ध किया जायेगा ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं चाहता हूं कि आनरेबल मेम्बर

सी० टी० ओ० का जो काम है उसको अच्छी तरह समझ लें। जब कोई राज्य सरकार यह चाहती है कि किसी ज़मीन को तोड़ दिया जाये तो उसकी उजरत लेकर सी० टी० ओ० तोड़ देता है। आसाम की सरकार ने यह चाहा था कि कुछ ज़मीन को उजरत लेकर तोड़ दिया जाये, उसको तोड़ा जा रहा है। अगर और राज्य सरकारें हमारे पास इस किस्म की दरख़्वास्त करेंगी तो हम ज़रूर तोड़ने में उनकी मदद करेंगे।

भूसे का निर्यात

*१३५२. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सब दालों के भूसे की, जिस में चने का भूसा भी सम्मिलित है, निर्यात करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना भूसा निर्यात किया जा चुका है; और

(ग) किन किन देशों को भूसे का निर्यात किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). लोक-सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३]**

श्री के० पी० सिन्हा : ये निर्यात कुल कितने रुपये के हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास इस के आंकड़े नहीं।

श्री के० पी० सिन्हा : अधिकतर किस बन्दरगाह से निर्यात हुआ है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अधिकतर भूसा मद्रास से गया है। मात्रा ३०१ टन है, अगला नम्बर टूटीकोरन का है, मात्रा १६६ टन है, अगला नम्बर बम्बई का है, मात्रा १६३ टन, और फिर कलकत्ता जहां से ५० टन का निर्यात हुआ है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार को विदित है कि देश में ढोरों के लिये चारे की कमी है, और क्योंकि यह भूसा ढोरों के खाने के काम आता है, इसलिये इसके निर्यात को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम जानते हैं कि हमें अपने ढोरों को यथासंभव अधिक चारा देना चाहिये, और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि चारे की कमी है। किन्तु हमें अन्य परिस्थितियों और बातों का भी ध्यान रखना पडता है, अर्थात् इन अनाजों का भाव, आदि। हम सोचते थ कि इस भूसे के निर्यात की अनुमति दे कर, जिसकी अधिक मांग नहीं थी, भाव तेज हो सकते हैं।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हमारे मुल्क में दालों इत्यादि का हस्क सरप्लस है जिस से कि हम इसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : क्योंकि पल्सिस और अनाज इत्यादि काफी ज्यादा पैदा हुआ है, इस वजह से यह सरप्लस कहा जा सकता है।

क्षतिपूर्ति के वे

*१३५३. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में चोरी गये माल की क्षतिपूर्ति के रूप में रेलवे ने कितना धन दिया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : खोये और चुराये हुए माल की क्षतिपूर्ति के लिये १९५४–५५ १४८.१७ लाख रुपये दिये।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि १९५३–५४ में जो

मुआवज़ा दिया गया था उसको दृष्टि में रखते हुए १९५४–५५ में जो मुआवज़ा दिया गया उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : कमी हुई है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या आप यह बता सकते हैं कि जो रक़म मुआवज़े में दी गई है उस में से कितनी रक़म कोर्ट की डिक्री होन के कारण दी गई और कितनी और आप ने अपनी असुविधा के कारण दी है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : इतना ब्यौरा तो हमारे पास नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह बात सत्य है कि रेलवे अधिकारी बगैर किसी अपवाद के सभी केसिस को कोर्ट में जाने देते हैं और जब सरकार उन पर काफी खर्च कर चुकती है तो उसके बाद उन लोगों को बाहर बुला कर किसी खास अभिप्राय से उन से समझौता कर लिया जाता है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : जी नहीं । अगर माननीय सदस्य आंकड़े देखेंगे तो पायेंगे कि बहुत ही कम मामले अदालत में जाते हैं और जो जाते हैं, उनमें से अधिकतर को वे ही लोग ले जाते हैं, जिन का माल होता है । वे आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहते हैं कि रेलवे से ज्यादा-से-ज्यादा मिले और जब नहीं मिलता है, तो वे मामले को कोर्ट में ले जाते हैं ।

चक्रवात

***१३५४. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मई १९५५ में मलबार में जो चक्रवात आया था, उसके परिणामस्वरूप अरब सागर के पश्चिमी तट पर (अरब सागर में) जहाज़ नष्ट हो गये थे और माल डूब गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि समुद्र में चलने वाले जहाज़ों और देशी नावों को इस प्रकार के चक्रवातों से चेतावनी देने और ऐसे जहाज़ों को चक्रवात के आने पर सुरक्षा वाले स्थानों पर चले जाने की कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को चक्रवातों की चेतावनी देने की सुविधायें विद्यमान हैं और जब कभी मौसम खराब होने की आशा होती है, तो उसके लिये उचित संकेत दिये जाते हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : क्या यह बात सरकार को मालूम हुई है कि लक्कद्वीपसमूह के लगभग ६० व्यक्ति तूफान में महाद्वीप पर फेंके गये थे और उन्होंने सरकार से परिवहन की सुविधाओं की प्रार्थना की थी ?

श्री अलगेशन : हमें इस घटना विशेष का पता नहीं है । प्रश्न तूफानों, चक्रवातों आदि से समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को पत्तनों में सुविधायें देने से सम्बन्ध रखता है । यदि माननीय सदस्य जानकारी देंगे तो मैं मामले की जांच पड़ताल करने को तैयार हूं ।

श्री दामोदर मेनन : क्या मलबार तट पर बेपुर को पत्तन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, जहां छोटे जहाज़ और देशी नावें मौसम खराब होने की अवस्था में आश्रय ले सकें ?

श्री अलगेशन : श्रीमान्, प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मलबार तट के किसी पत्तन को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है, जहां मौसम खराब होने पर ये जहाज़ आश्रय ले सकें ?

श्री दामोदर मेनन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार के पास बेपुर को, जो मलबार

तट पर है, विकसित करने का कोई प्रस्ताव है, जहां छोटे जहाज़ मौसम खराब होने के समय आश्रय ले सकें ?

श्री अलगेशन : मुझे यह विदित नहीं है। तमाम चलने वाले जहाज़ जब छोटे या बड़े पत्तनों में होते हैं, पत्तनों में आश्रय ले सकते हैं। किन्तु जब वे समुद्र में चलते हैं और क्योंकि उनके पास रेडियो का सामान नहीं होता, उनके लिये तट से रेडियो द्वारा दिये जाने वाले संदेश पाना संभव नहीं।

श्री दामोदर मेनन : बात यह है, कि मलबार तट पर किसी भी पत्तन में खराब मौसम के समय छोटे जहाज़ों को आश्रय लेने की सुविधा नहीं होती। क्या यह सच नहीं है कि छोटे पत्तनों के विकास सम्बन्धी प्रतिवेदन में बेपुर को पत्तन के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया गया है. जहां मध्यम आकार के जहाज़ आश्रय ले सकें ?

श्री अलगेशन : इस विषय में हमारे एक अधिकारी ने रिपोर्ट दी है। संभवतः उसने इस पत्तन को भी सम्मिलित किया हो। उसने देश के छोटे पत्तनों के विकास के प्रश्न पर विचार कर के विभिन्न राज्यों के अधीन आने वाले विभिन्न छोटे पत्तनों की सूची बनाई है। सभवतः यह भी उस प्रतिवेदन में सम्मिलित पत्तनों में से है। मैं इस समय बताने में असमर्थ हूं।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

श्री पुन्नूस : मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य जानना चाहता था कि. . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न के लिये समय की कुछ सीमा होनी चाहिये। हमें अधिक से अधिक प्रश्नों के लिये अवसर देना पड़ता है।

श्री पुन्नूस : इस विशेष मामले में हमें क्षति (हानि) का कोई हिसाब नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक सदस्य को अपने दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण बात जाननी होती है।

सोनपुर में पैदल चलने वालों के लिये पुल

***१३५५. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री सोनपुर जंकशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर पैदल चलने वालों के लिये एक पुल के निर्माण के विषय में दिये गये उस आश्वासन के सम्बन्ध में जो कि उन्होंने अपने आयव्ययक भाषण पर हुए वाद-विवाद के दौरान में दिया था यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में प्राक्कलन तथा अन्य ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में किसी समय।

(ख) जी हां।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या प्राक्कलन आदि तैयार कर लिये गये हैं और क्या कार्य शीघ्र ही आरम्भ होगा ?

श्री अलगेशन : इसका उत्तर दिया गया था 'हां'। प्राक्कलित लागत लगभग ४५,००० रुपये है। हमें आशा है कि पुल वर्तमान वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहिले ही तैयार हो जायेगा।

राष्ट्रीय बचत पत्र

***१३५९. डा० रामा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोमपेट श्रीकाकुलम जिला आन्ध्र के कुछ राशन की

दूकान वालों ने सोमपेट में डाक प्राधिकारियों के समक्ष अपने राष्ट्रीय बचत पत्र प्रस्तुत किये और प्रतिभूति के रूप में जमा कराई राशि वापिस मांगी;

(ख) यदि हां तो ये पत्र डाक प्राधिकारियों के समक्ष कब प्रस्तुत किये गये थे;

(ग) क्या उनका रुपया वापिस दे दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) आठ दुकानदारों ने मार्च १९५४ में, तीन ने मई १९५४ में और एक ने मार्च १९५५ में बचत पत्र प्रस्तुत किये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) पत्र डाकखाने के राष्ट्रीय बचत पत्र सम्बन्धी नियम, १९४४, का उल्लंघन कर के ग़ैर-गज़ेटेड सरकारी कर्मचारियों को अनियमित रूप से प्राधीयित किये गये थे ।

डा० रामा राव : तो क्या इन लोगों को अपने बचत पत्रों के बदले में कुछ नहीं मिलेगा ?

श्री राज बहादुर : नियम यह है कि यदि प्रमाणपत्र प्राधीयित किये जाने हों तो उस का प्राधिकार गैर-गज़ेटेड पदाधिकारी से नहीं बल्कि गज़ेटेड पदाधिकारी से लिया जाना होता है और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्राधियित किये गये प्रमाणपत्रों को अनियमित रूप से प्राधियित किये गये समझा जाता है । हां, विधि मंत्रालय के परामर्श से यह तय किया गया है कि जिस कालावधि में प्रमाणपत्र रुद्ध रहे उस के सम्बन्ध में कुछ भुगतान करके वे दे दिये जायें परन्तु उन पर ब्याज न दिया जाये ।

डा० रामा राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन बचत प्रमाणपत्रों के प्राधिदान को प्राधिकृत करने का उत्तरदायित्व गज़ेटेड पदाधिकारियों की बजाय गैर-गज़ेटेड पदाधिकारियों ने ले लिया, क्या सरकार गैर-गज़ेटेड प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी और इस सम्बन्ध में पग उठायेगी कि प्रमाणपत्रों के स्वामियों को कोई आर्थिक हानि न हो ?

श्री राज बहादुर : विधि से अनभिज्ञता कानून से बचने का एक विधिमान्य आधार नहीं है ।

एरणाकुलम–कोट्टयम सैक्शन का चालू होना

*१३६०. **श्री ए० एम० थामस** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एरणाकुलम-क्विलौन रेलवे लाइन का एरणाकुलम-कोट्टयम सैक्शन कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष नहीं चालू हो सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त लाइन कब तक चालू हो जायेगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) गर्डरों और रेलों के मिलने में देरी होना ।

(ग) ख्याल है कि एरणाकुलम-कोट्टयम सैक्शन सितम्बर १९५६ के लगभग चालू हो जायेगा ।

श्री ए० एम० थामस : माननीय मंत्री ने अपने आयव्ययक भाषण में यह आश्वासन दिया था कि यह सैक्शन इस वर्ष चालू हो जायेगा क्या उस समय सामान मुहय्या करने के सम्बन्ध में भी कोई आश्वासन था और यदि

हां, तो लाइन इसी वर्ष चालू क्यों नहीं की जा सकी ?

श्री अलगेशन : आश्वासन भंग नहीं हुआ है । हम इसे यथासम्भव शीघ्र चालू करना चाहते हैं । जहां तक शेष कार्य का प्रश्न है, अर्थात् लाइन बिछाने के लिये ज़मीन ऊंची करना आदि, वह सब पूरा हो चुका है। वस्तुतः हम पहले सैक्शन को इस वर्ष के अन्त तक चालू करना चाहते थे । अब मैं कुछ आंकड़े देता हूं जिससे यह प्रकट हो जायेगा कि काम कार्यक्रम के अनुसार पूरा क्यों नहीं हो सका । हमें ४,००० टन इस्पात कोई एक वर्ष पहले टाटा कम्पनी से मिलना चाहिये था । परन्तु अब तक हमें केवल १० प्रतिशत माल ही मिल सका है।

केन्द्रीय पटसन समिति

*१३६१. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का पुनर्गठन हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्य कौन कौन हैं और उसके कृत्य क्या हैं; और

(ग) इसका गठन किस प्रकार हुआ ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को यह विदित है कि गत दिसम्बर में प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि इस समिति के पुनर्गठन का प्रमुख उद्देश्य समिति में उत्पादकों के अधिक प्रतिनिधि रखना था ? क्या मैं जान सकता हूं कि अब उत्पादकों को उचित प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

डा० पी० एस० देशमुख यह बात ठीक नहीं है । हमारी प्रस्थापना यह थी कि उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या ७ से बढ़ा कर १५ अर्थात् लगभग दुगनी कर दी जाये । आखिर, हम पटसन समिति को आदेश नहीं दे सकते क्योंकि यह एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है । हमने यह प्रस्थापना भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के विचारार्थ भेज दी है जिसकी बैठक सितम्बर में होने की आशा है । मैं समझता हूं कि इस संशोधन के स्वीकार किये जाने की बहुत सम्भावना है ।

श्री एल० एन० मिश्र : ये पन्द्रह सदस्य नामनिर्देशित किये जायेंगे या उत्पादकों के संगठनों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं समझता हूं कि सामान्यतः उपबन्ध यह है कि राज्य सरकारें प्रस्थापनाएं भेजती हैं और केन्द्रीय सरकार उनकी सिफारिशों के आधार पर प्रतिनिधि चुनती है ।

श्री एन० बी० चौधरी : यदि सोसाइटी सरकार की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है कि उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा दी जाये, तो उस स्थिति में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ताकि उत्पादकों के प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में रखे जा सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा ख्याल है कि समिति इतनी अयुक्ति युक्त नहीं होगी । मैंने श्री मिश्र के प्रश्न के उत्तर में जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उसमें संसद् के तीन सदस्य भी होंगे जो सम्भवतः निर्वाचित किये जायेंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सरकार को विदित है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनिधि नामनिर्देशित किये जाने की प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही है और उत्पादकों के संगठनों ने इसका विरोध किया है और यह सुझाव दिया है कि

उनके प्रतिनिधि लिये जायें ? क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें सिफारिश करते समय एक सुसंगठित समिति की बात पर अवश्य ही ध्यान देंगी ।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय मंत्री ने कहा कि समिति अयुक्तियुक्त नहीं होगी । क्या सरकार ने केन्द्रीय पटसन समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की जांच की है और क्या यह सच नहीं है कि समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये सब तर्क निर्माताओं के ही पक्ष में रहे हैं, उत्पादकों के नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो समिति के विधान में संशोधन करने की आवश्यकता बताना मात्र हुआ ।

रात में टेलीफोन करना

*१३६२. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में तेज़पुर से देखियाजुली, मंगलदई, तांगला को और इन स्थानों से तेज़पुर को टेलीफोन शाम को ६ बजे के बाद नहीं करने दिये जाते;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जहां तक तेज़पुर और देखियाजुली के बीच टेलीफोन किये जाने का सम्बन्ध है, उत्तर 'हां' में है और जहां तक तेज़पुर और मंगलदई तथा तेज़पुर तथा तांगला के बीच टेलीफोन किये जाने का सम्बन्ध है, उत्तर है 'नहीं' ।

(ख) उपरोक्त एक्सचेंजों में कनैक्शनों की संख्या बहुत कम होने के कारण टेलीफोन करने का समय सीमित रखना पड़ता है क्योंकि यदि ऐसा न किया जाये तो एक्सचेंज अलाभप्रद हो जायेंगे ।

देखियाजुली एक्सचेंज में टेलीफोन करने का समय बढ़ा कर रात के १० बजे तक करने की व्यवस्था की जा रही है । तीनों एक्सचेंजों में चौबीस घंटे टेलीफोन किये जाने की व्यवस्था उस समय की जायेगी जब टेलीफोन लगवाने वालों की संख्या में वृद्धि हो जायेगी ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : जिन स्थानों में ऐसे कनैक्शन मौजूद हैं और जहां देश के अन्य भागों में प्राप्य सुविधाएं नहीं दी जातीं, क्या सरकार वहां कुछ छूट देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राज बहादुर : छूट देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं । टेलीफोन वालों से निर्धारित किराया लिया जाता है । और निर्धारित दर के हिसाब से 'कॉल' का शुल्क लिया जाता है । माननीय स[illegible]स्य की जानकारी के हेतु मैं यह [illegible]क देखियाजुली में केवल सोलह कनेक्शन

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि साधारणतः यह लाइन खराब रही आती है ? मैं यह तो नहीं कह सकता कि इसका कारण वर्षा होना या बाढ़ आना है या कोई अन्य कारण है, परन्तु साधारणतः यह लाइन खराब ही रही आती है । क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को कुछ छूट देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर : आसाम में वर्षा आदि का प्रकोप सदा बना ही रहता है और इसलिये संधारण व्यय अधिक होता है और लाइनों में खराबी भी प्रायः अधिक होती है । लाइन को सदैव ठीक रखना वास्तव में बहुत कठिन है ।

यात्रियों के लिये सुविधाएं

*१३६४. **श्री जे० आर० मेहता** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली और जोधपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों के डिब्बों में, विशेषकर बीकानेर डिवीज़न के अन्तर्गत लाइन पर बड़ी गर्द आ जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार है कि इस लाइन पर रोड़ी डाली जाय; और

(ग) क्या डिब्बों में ऐसा प्रबन्ध करने का विचार है जिससे कि उनमें गर्द न आ सके ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे की नीति यह है कि लाइन के जिन भागों पर गर्द बहुत उड़ती है वहां रोड़ी डाली जाये । यह काम कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

श्री जे० आर० मेहता : क्या माननीय मंत्री ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि गर्द को रोकने का अच्छा और कम खर्च वाला ढंग यह है कि डिब्बों की खिड़कियों के चौखटों में रबड़ की पट्टी लगा दी जाये ?

श्री अलगेशन : गर्द परेशान करने वाली चीज़ है, इसे अवश्य रोकना चाहिये परन्तु इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है और यह परिणाम निकला है कि जब तक हम वायु अनुकूलन (एयरकण्डीशनिंग) का पक्का प्रबन्ध नहीं करते तब तक गर्द को डिब्बों में घुसने से नहीं रोका जा सकता ।

श्री जे० आर० मेहता : क्या माननीय मंत्री ने इस बात पर विचार किया है कि राजस्थान से बाहर जाने वाली गाड़ियों के साथ जो गर्द उड़कर आ जाती है वह रेगिस्तान के फैलने के लिये कहां तक जिम्मेदार है ?

श्री अलगेशन : मेरे विचार में इन गाड़ियों के साथ आने वाली गर्द से रेगिस्तान नहीं फैलता बल्कि गर्द रेगिस्तान से आती है ।

हैदराबाद में ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं

*१३६५. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५५–५६ में राष्ट्रीय जल-संभरण और सफ़ाई योजनाओं के अधीन हैदराबाद सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वास्थ्य और जल संभरण योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये कितना धन मांगा है;

(ख) क्या १९५४–५५ में ऐसा अनुदान दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) जल संभरण और सफाई योजनाओं के लिये ११.७५ लाख रुपये ।

(ख) जी हां, १३ लाख रुपये ।

(ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

श्री एच० जी० वैष्णव : ये अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार अनुदान देती है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या पहले वर्षों में दिये गये अनुदान राज्य सरकार खर्च कर चुकी है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये धन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही हम अगली किस्त देते हैं ।

श्री एच० जी० वैष्णव : चालू वर्ष के लिये अनुदान मांगने के समय क्या राज्य सरकार ने कोई निश्चित योजनाएं प्रस्तुत की थीं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : राज्य सरकार से निश्चित योजनायें प्राप्त करने के बाद ही हम राशि के लिये मंजूरी देते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या केन्द्र द्वारा दी गई राशि पृथक् रूप से जल संभरण के लिये और नालियों तथा मल प्रवाह के लिये प्रयोग की जा सकती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): जल संभरण योजनायें इन से सम्बन्धित हैं ।

भारत और पाकिस्तान के बीच इंजन-डिब्बों आदि का विनिमय

***१३६७. श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के इंजन-डिब्बों आदि के विनिमय के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच नवम्बर, १९५३ में जो करार हुआ था, क्या पाकिस्तान सरकार ने उसे क्रियान्वित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). नवम्बर, १९५३ में किये गये करार को क्रियान्वित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इस के स्थान पर दिसम्बर, १९५४ में एक और करार किया गया था ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : हमारे पास कितने ऐसे इंजन-डिब्बे आदि हैं, जिन का विनिमय किया जाना चाहिये था ?

श्री अलगेशन : मेरे पास इन का ब्यौरा नहीं है । किन्तु ये भारत और पाकिस्तान को आवंटित किये गये थे और इन का नवम्बर, १९५३ में ही उस समझौते के अनुसार विनिमय किया जाना था, किन्तु यह लागू नहीं हुआ था । कुछ कठिनाई थी जिन के कारण आस्तियों का विनिमय नहीं हो सका । जैसा कि मैं ने कहा है, दिसम्बर, १९५४ में एक और करार हुआ था, और यह अनुभव किया गया था कि आस्तियों के विनिमय से कोई लाभ नहीं होगा और उन्हें वहीं रहने दिया गया था ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या संतुलन सदा पाकिस्तान के पक्ष में था ?

श्री अलगेशन : मेरे लिये इस का उत्तर देना कठिन है; किन्तु हमें वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखना है ।

कलकत्ता उपनगरीय रेलगाड़ी सर्विस

***१३६८. श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में सर्क्युलर रेलवे के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सर्क्युलर रेलवे कलकत्ता उप-नगरीय विद्युतीकरण की योजना का एक अंग है । इस के निर्माण के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या सरकार को मालूम है कि जहां तक उपनगरों के विकास का सम्बन्ध है, विद्युतीकरण और सर्क्युलर रेलवे के निर्माण में, जिन के बारे में कई बार अधिकृत अधिकारपूर्ण घोषणायें की जा चुकी हैं, विलम्ब से बहुत कठिनाई हो रही है ?

श्री अलगेशन : कलकत्ता क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिये हमारी एक बहुत बड़ी योजना है । पहला भाग शुरू किया जा चुका

है और इस में काफ़ी प्रगति हो रही है--यह हावड़ा–वर्दवान मेन लाइन और तारकेश्वर ब्रांच लाइन के बारे में है। इस के अतिरिक्त सर्क्युलर रेलवे का भी विद्युतीकरण किया जायेगा किन्तु इस की बारी बहुत देर में आयेगी। मैं नहीं कह सकता कि निकट भविष्य में यह काम शुरू किया जा सकेगा या नहीं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या विद्युतीकरण वास्तव में १९५७ के मध्य में शुरू हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : आयव्ययक की चर्चा के समय सदन में कुछ जानकारी दी गई थी, किन्तु अब मुझे तिथि याद नहीं है; संभवतः यह १९५७ के अन्त में है। इसे आश्वासन नहीं समझना चाहिये क्योंकि इस में संशोधन भी हो सकता है।

श्री एन० बी० चौधरी क्या यह विद्युतीकरण योजना खड़गपुर तक बढ़ाई जायेगी ?

श्री अलगेशन : जी हां, किन्तु इस की बारी बहुत बाद में आयेगी।

बिना टिकट यात्रा

*१३६९. **श्री संगण्णा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा को रोकने की नई प्रणाली, जिस की भारतीय रेलवे प्रतिनिधि मंडल ने हाल में यूरोपीय देशों के दौरे के बाद सिफारिश की थी, पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलवे खंडों (ज़ोन) में जारी कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कैसी चल रही है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इस का प्रयोग पूर्व रेलवे में कलकत्ता–दिल्ली जनता एक्सप्रैस गाड़ियों में किया जा रहा है।

(ख) इस प्रयोग के अभी तक जो परिणाम निकले हैं वे अनिर्णायक हैं।

श्री संगण्णा : बिना टिकट यात्रा रोकने के लिये इन दो रेलवे खंडों (ज़ोन) में किस प्रकार की प्रणाली जारी की गई है और यह कैसी चल रही है ?

श्री अलगेशन : यह रूस का दौरा करने वाले रेलवे पदाधिकारी दल की एक सिफारिश थी। उस ने सुझाव दिया था कि वर्तमान प्रबन्ध के अतिरिक्त, लम्बी यात्रा की गाड़ियों में दो दो डिब्बों के लिये एक टी टी नियुक्त किया जाना चाहिये। इसी प्रयोग का उल्लेख किया गया है।

श्री संगण्णा : गत वर्ष इन दो खंडों (ज़ोन) में बिना टिकट यात्रा के कितने मामले पकड़े गये हैं और इन से रेलवे को कितनी आय हुई है ?

श्री अलगेशन : मेरे पास मार्च से जून १९५५ तक के आंकड़े हैं। पकड़े गये मामलों की संख्या १७०२ है और औसत मासिक आय ६००० रुपये से अधिक है।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस प्रणाली के कारण सरकार का अतिरिक्त व्यय होता है ?

श्री अलगेशन : हमें अतिरिक्त टी० टी० नियुक्त करने पड़ते हैं और इन पर अतिरिक्त व्यय होता है।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि इंडियन रेलवे डेलीगेशन जिन्होंने कि दूसरे देशों का भ्रमण किया था और उन्होंने जो भी सिफारिशें रेलवे विभाग में दी थीं, उन सभी सिफारिशों को मान्यता दी गई है ?

श्री अलगेशन : यह प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता। उनकी कुछ सिफारिशें क्रियान्वित की गई हैं और कुछ अभी विचाराधीन हैं।

"आपका अपना टेलीफोन" योजना

***१३७०. श्री अजित सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दिल्ली में "आपका अपना टेलीफोन" योजना के अधीन टेलीफोन लगवाने वालों द्वारा रुपया जमा करवा देने के बाद भी नये टेलीफोनों का कनैक्शन देने में बहुत विलम्ब हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) रुपया जमा करवाने के बाद कनैक्शन देने में औसतन लगभग एक सप्ताह का विलम्ब होता है ।

(ख) कुछ मामलों में इन दो कारणों से कनैक्शन देने में अधिक समय लगा है : (१) लाइन स्टोर की कमी, (२) किराया पर लेने के ठेके हस्ताक्षर के बाद कभी कभी वापस नहीं किये जाते या उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किये जाते ।

श्री अजित सिंह : २,००० रुपया जमा करने की तिथि से टेलीफोन लगने की तिथि तक ब्याज के लिये कौन उत्तरदायी होता है ?

श्री राज बहादुर : जैसा कि मैं ने कहा है, इस में लगभग एक सप्ताह लगता है । हम ग्राहक को तब २,००० रुपया जमा करने के लिये कहते हैं, जब हमारे पास एक्सचेंज में फालतू क्षमता हो ।

श्री अजित सिंह : क्या मंत्री महोदय को विदित है कि बहुत से मामलों में रुपया जमा कराने के कई महीने बाद तक टेलीफोन नहीं लगाया जाता ? इस अवधि के बारे में क्या व्यवस्था है ? क्या २० वर्षों के साथ यह अवधि भी जोड़ी जायेगी ?

श्री राज बहादुर : टेलीफोन लगने की तिथि से २० वर्ष तक ।

श्री सी० डी० पांडे : यह तरीका तो तब अपनाया गया था जब उपकरणों की कमी थी । सरकार ने अब आश्वासन दिया है कि अब यह बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं । यदि ऐसा है तो इस प्रणाली को जारी रखने और ग्राहकों पर इतना भार डालने का क्या कारण है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : इस का कारण उपकरणों की कमी नहीं । हम इन्हें बड़ी संख्या में बना रहे हैं । वास्तव में हम इन्हें निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस का कारण एक्सचेंज और परिषण सामान की कमी है, जिसे हम अभी तैयार नहीं कर रहे और जिस में हम आत्म-निर्भर नहीं हैं । स्थिति के सुधरने के साथ साथ हम यह प्रणाली भी हटाते जाते हैं । बहुत से नगरों में हम ने ऐसा किया है । इस समय मैं एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा हूं, जिस के अनुसार उन नगरों में भी जिन में अभी टेलीफोनों की कमी है, "अपने टेलीफोन का स्वामित्व प्राप्त करो" टेलीफोनों की संख्या और भी घटाई जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से शहर हैं जिन के टेलीफोन के सम्बन्ध में २,००० रुपये लेने की शर्त उठा ली गई है ?

श्री राज बहादुर : लिस्ट तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन यह शर्त उन शहरों से उठा ली गई है जहां टेलीफोन की संख्या पर्याप्त हो गई है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : वे कौन कौन से शहर हैं ?

श्री जगजीवन राम : नोटिस देने पर बतलाया जा सकता है ।

पर्यटन केन्द्र

*१३७१. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन केन्द्रों के विकास की अल्प-कालीन योजना में बेल्लारी ज़िले की हम्पी और तुंगभद्रा परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार का विकास करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). अब यह निर्णय किया गया है कि केवल एक पंच वर्षीय योजना सामान्य दूसरी पंच वर्षीय योजना के भाग के रूप में बनाई जाये । परन्तु कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों, विशेषतया बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों को १९५५–५६ में विकास के लिये चुना गया है । हम्पी और तुंगभद्रा इन में नहीं हैं ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन स्थानों पर बहुत से पर्यटक और तीर्थ यात्री जाते हैं, क्या सरकार हम्पी के द्वार पर स्थित कमलापुर ग्राम में एक बड़ा होटल बनाने के मामले पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : हमारी एक काफी बड़ी योजना है, जो कि वास्तव में योजना आयोग के सामने है । मैं चाहता हूं कि यह ठीक तरह से पास हो जाये ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस क्षेत्र में यातायात बहुत है, क्या सरकार वहां सीमेंट और तारकोल की सड़कें बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अलगेशन : यह विस्तार का मामला है । यदि योजना आयोग हमारी सारी योजना को अनुमोदित कर दे, तो हम अगले पांच वर्षों में बहुत कुछ कर सकेंगे ।

श्री तिम्मय्या : मैसूर राज्य में अन्य कौन से स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के विकास की बड़ी योजना में सम्मिलित किया जा रहा है ?

श्री अलगेशन : मैं ठीक ठीक नाम नहीं बता सकता किन्तु मैसूर के स्थान सम्मिलित हैं ।

डा० रामा राव : हम्पी जैसे ऐतिहासिक स्थानों को सम्मिलित न करने का क्या कारण है ?

श्री अलगेशन : मैंने यह नहीं कहा कि इसे सम्मिलित नहीं किया जायेगा । मैं ने केवल इतना कहा है कि इस वर्ष हम ने बौद्धधर्म के तीर्थस्थानों को सम्मिलित किया है क्योंकि इस वर्ष भगवान बुद्ध की २५००वीं जयन्ती है । अन्य स्थानों को बड़ी योजना में सम्मिलित किया जा रहा है ।

पंजीयन शुल्क

*१३७२. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जिला यातायात अधीक्षक (डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिन्टैन्डैन्ट) दक्षिण रेलवे, बंगलौर, द्वारा मालगाड़ी के डिब्बों के पंजीयन शुल्क को वापस लौटाने और नई पंजीयक पर्चियां (रजिस्ट्रेशन स्लिप्स) जारी करने के सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश के विरुद्ध मैसूर राज्य के खान मालिक संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) आदेश में व्यापारियों द्वारा माल-गाड़ी के डिब्बों की मांग के एक ही स्टेशन पर पंजीयन किये जाने की जो शर्त लगाई गई थी वह नरम कर दी गई है और अब तीन स्टेशनों पर पंजीयन किया जा सकता है। आदेश को और अधिक नरम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे लाइनें

***१३७३. सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नहरों के क्षेत्र में रेलवे लाइनों के विस्तार की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापना किस प्रकार की है और कौन-कौन सी लाइनें बनवाई जाने वाली हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) सभा पटल पर एक सूची रखी है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४]** इनमें से किसी भी लाइन को बनवाने के लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या ये लाइनें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायेंगी ?

श्री अलगेशन : अभी कहना समय से बहुत पूर्व होगा।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी संघ

***१३७४. श्री भक्त दर्शन :** क्या संचार मंत्री २८ अप्रैल, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से डाक व तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के संघ बनाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने समय से इस प्रश्न पर विचार हो रहा है और अभी विचार पूरा होने में कितना समय और लगेगा ?

श्री राज बहादुर : समय का लगना तो प्रश्न के महत्व पर निर्भर करता है। माननीय सदस्य को विदित होगा कि जहां तक इन अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनमें केवल बाहर के आदमी ही नहीं हैं बल्कि उन में बहुधा राज्य सरकारों के भी कर्मचारी हैं। उनको हम यूनियन में शामिल कर सकते हैं या नहीं इस प्रश्न का सम्बन्ध होम मिनिस्ट्री से भी है और लॉ मिनिस्ट्री से भी है। दोनों से परामर्श कर के ही हम इस विषय में निर्णय कर सकते हैं। किन्तु अन्तर्कालीन समय के लिये हम ने यह निर्णय कर लिया है कि जो आल इंडिया पोस्टल एम्प्लाईज क्लास ३ यूनियन है उन में जो इसी दरजे के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हों वह शामिल हो सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का किसी वर्ग विशेष से सम्बन्ध नहीं है, जैसे कि जो अध्यापक नहीं हैं या रिटायर्ड गवर्नमेंट सरवेंट नहीं हैं, उनको किसी भी यूनियन में शामिल होने में क्या अड़चन या प्रतिबन्ध है ?

श्री राज बहादुर : जो कोई भी नियम बनाया जाय वह ऐसा होना चाहिये कि जो सब पर व्यापक रूप से लागू हो सके। एक ही

वर्ग के कर्मचारियों पर भिन्न भिन्न नियम लागू करना हितकर और न्यायसंगत नहीं होगा । इसलिये हम इस प्रश्न का निर्णय टुकड़ों में नहीं कर सकते । इस का एक समूचे रूप में निर्णय करना होगा ।

श्री ए० एम० थामस : पिछली बार जब कि संचार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हुई थी और अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की बात उठाई गई थी, तो माननीय मंत्री ने हम को आश्वासन दिया था कि इस प्रश्न की पुनः जांच होगी । क्या कोई निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : दो चीजें परस्पर विरोधी हैं । या तो आप ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सम्बन्धी सुविधाओं का उतना प्रसार करें जो सार्वजनिक राज्यकोष से होने वाले व्यय के समानुरूप हो अथवा आप अतिरिक्त विभागीय कार्यालयों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वही रखें जो कि नियमित विभागीय कर्मचारियों की होती हैं । यदि आप सेवा की शर्तें वही रखना चाहते हैं तो सम्भवतः ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सम्बन्धी सुविधाओं का उतना प्रसार करना सम्भव नहीं होगा । फिर भी हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और बहुत सम्भव है कि इन कर्मचारियों के लिये कुछ किया जा सके ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का एक संगठन बन गया है और उसका हैडक्वार्टर लखनऊ में है, और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस संगठन को कोई मान्यता प्रदान की जा रही है ?

श्री राज बहादुर : ऐसे किसी संगठन को अभी तक मान्यता प्रदान नहीं की गयी है ।

गंदी बस्तियों के सुधार की योजना

*१३७६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य सरकार ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की गन्दी बस्तियों का सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि सन् १९५१ में जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इन्क्वायरी कमेटी बनायी गयी थी और उसने जो सिफारिशें गन्दी बस्तियों को हटाने के सम्बन्ध में की थीं उनको कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : इसके बारे में मैं यह कह सकती हूं कि यह कमेटी बिठायी गयी थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी थी उस पर सोच विचार हुआ है । उसने जो सुझाव दिया था कि एक विशेष आथारिटी दिल्ली में बने जो कि स्लमक्लियरेंस का काम करे और इमारतों की देखभाल करे, उस पर कैबीनेट में सोच विचार हो रहा है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि एक उच्च अधिकार वाली समिति बनाने का विचार है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह उच्च अधिकार समिति कब तक बन जायेगी और कब तक कार्य करने लगेगी ?

राजकुमारी अमृत कौर : मुझे पूरी आशा है कि अगले सैशन में वह बिल लोक-सभा के सामने पेश हो जायगा

श्री तिम्मय्या : क्या गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को कुछ वित्तीय सहायता दी गई है ?

राजकुमारी अमृत कौर : यह चीज़ तो इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्यों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाओं पर योजना आयोग क्या करता है ।

चीनी

*१३७८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ में चीनी का कुल उत्पादन कितना था और इस वर्ष के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) १९५५–५६ के लिये निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). १९५४–५५ के सीज़न में २२ अगस्त, १९५५ तक चीनी का कुल उत्पादन १५·८५ लाख टन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चीनी के उत्पादन का लक्ष्य प्रारम्भ में १५ लाख टन रखा गया था। पिछले वर्ष इसे बढ़ा कर १८ लाख टन कर दिया गया जो कि १९५५–५६ तक पूरा होना है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के कुछ भागों में असाधारण स्थितियां विद्यमान हैं, क्या १९५५–५६ के लिये निश्चित किया गया लक्ष्य पूरा हो जायेगा, और यदि नहीं, तो लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : सारे प्रयास पहले से ही हो रहे हैं । यदि विशेष रूप से कोई गड़बड़ी न हो गई तो हो सकता है कि १९५५–५६ में इस वर्ष से भी अधिक उत्पादन हो ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस समय देश की जैसी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए, जहां तक चीनी के मूल्य का सम्बन्ध है क्या इस पर कोई पुनर्विचार होने जा रहा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : चीनी के मूल्य पर हमारा नियंत्रण नहीं है ।

श्री कासलीवाल : कहा जाता है कि बंगलौर के हाल के भाषण में माननीय मंत्री ने यह कहा था कि देश में पेरे जाने से अधिक मात्रा में गन्ना पैदा किया गया था। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए १९५५–५६ के लिये निर्धारित लक्ष्य में कुछ कमी की जायेगी ?

श्री ए० पी० जैन : मैंने यह कहा था कि देश के कुछ भागों में इतना गन्ना उपलब्ध है कि कारखानों द्वारा पेरा नहीं जा सकता। यह सच है, किन्तु इसका तात्पर्य अनिवार्यतः यह नहीं कि लक्ष्य पर पुनर्विचार किया जाये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सन् ५२–५३, ५३–५४ की तुलना में सन् ५४–५५ में चीनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की बढ़ौत्री हुई है ?

श्री ए० पी० जैन : सन् ५२–५३ में चीनी का उत्पादन १२·९७ लाख टन रहा, सन् ५३–५४ में १०·०१ लाख टन रहा जबकि सन् १९५४–५५ में १५·८५ लाख टन रहा।

रेलों में भोजन के डिब्बे

*१३७९. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा पिछले आयव्ययक भाषण में दिये गये इस सुझाव को कार्यान्वित किया गया है कि रेलों में भोजन के डिब्बों के बदले जाने और फिर से सजाये जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कहां तक यह कार्य किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) भोजन और उपाहार डिब्बों के डिज़ाइनों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है और रेलों को यह अनुदेश भेजा जा चुका है कि वे इन डिज़ाइनों के भोजन और उपाहार डिब्बों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बनवायें ।

श्री डाभी : क्या निरामिष भोजी यात्रियों की भावनाओं का आदर करने की दृष्टि से, भोजन के डिब्बों में इसका प्रबन्ध किया जा रहा है कि निरामिष और सामिष भोजन अलग अलग स्थानों में दिया जा सके ?

श्री अलगेशन : भावनाओं पर उचित रूप से ध्यान दिया गया है और डिब्बे को अलग-अलग बांटने की व्यवस्था कर दी गई है ।

श्री डाभी : जहां तक पश्चिम रेलवे का सम्बन्ध है, भोजन के डिब्बे कब बदले जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : हम ने विभिन्न रेलों से तत्काल ही १९ डिब्बे बनाने के लिये कहा है और ज्योंही वे तैयार हो जायेंगे, हम कुछ पश्चिम रेलवे पर भी बदल देंगे ।

शिकायत संगठन (कंप्लेन्ट्स आर्गनाइजेशन)

*१३८०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून १९५५ तक शिकायत संगठन के पास कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) कितनी शिकायतें निबटायी गई हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३,७०,९७९ ।

(ख) ३,८५,१३६ । (इस संख्या मे जनवरी, १९५५ से पहले प्राप्त हुई शिकायतें शामिल हैं) ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के सदस्य कौन होते हैं ? यदि सरकारी होते हैं तो वे किस हैसियत के होते हैं ?

श्री राज बहादुर : यह तो सरकार का एक छोटा मुहकमा है जो कि डाइरेक्टर आफ़ पोस्ट आफिसेज़ एंड टेलीग्राफ के तत्वाधान में काम करता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मंत्री महोदय यह बतला सकेंगे कि यह जो जांच करते हैं, उसका क्या प्रोसीड्योर होता है ?

श्री राज बहादुर : जांच जो होती है वह हर एक केस के ऊपर आधारित है । जैसा केस होता है, वैसी ही उसकी जांच की जाती है अगर वह डाक में किसी चिट्ठी के देरी से पहुंचने की जांच है तो भिन्न भिन्न डाकखानों में जहां से वह चिट्ठी गुज़री है, वहां कम्प्लेंट आफिसर जा कर जांच करते हैं आदि आदि ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कम्पलेंट सही साबित होने पर ज्यादा से ज्यादा क्या सज़ा है ?

श्री राज बहादुर : यह भी केस की गम्भीरता के ऊपर है । अगर कोई रक़म ग़बन करने का केस होता है तो उस में मुकदमा भी चलाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है ।

चीनी बनाना

*१३८१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, न्य-आर्लियन्स (अमरीका) में सस्ती तथा अच्छी किस्म की चीनी बनाने के लिये खोज की गई नई पद्धति का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस नई पद्धति की सविस्तार जांच के लिये कुछ भारतीय गवेषणा विद्यार्थियों को देने का विचार कर रही है, जिस से इस को भारत में अपनाया जा सके ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां, परन्तु इस पद्धति पर अभी प्रयोग ही किया जा रहा है ।

(ख) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना तथा चीनी औद्योगिक की भारती संस्था, कानपुर में इस विषय पर गवेषणा की जा रही है ।

श्री झूलन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पूना में किये गये प्रयोगों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तक गवेषणा से हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं । प्रारम्भ में तो ऐसा ज्ञात होता है कि यह पद्धति मितव्ययी नहीं है क्योंकि इस में प्रयुक्त रसायन भारत में प्राप्य नहीं हैं तथा उनका आयात करना पड़ेगा ।

कोजिकोड में हवाई अड्डा

*१३८२ **श्री ए० के० गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोजिकोड (ज़िला मालाबार---मद्रास राज्य) के प्रस्तावित हवाई अड्डे का कार्य कब शुरू होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : निकट भविष्य में कोजिकोड में हवाई अड्डे के बनाने का विचार नहीं है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि कोजिकोड को उन स्थानों की सूची में रखा गया है जहां हवाई अड्डे बनेंगे ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : उन्होंने विचार बदल दिया है ।

श्री राज बहादुर : मैं प्रश्न समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कथन है कि मंत्री महोदय ने कुछ समय पूर्व एक वक्तव्य दिया था जिसमें कोजिकोड का वर्णन था ।

श्री राज बहादुर : इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है ।

गन्ने की खेती

*१३८३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल से जून १९५५ तक वर्षा न होने के कारण, इस वर्ष गन्ने की फसल की आशा कम हो गई है; और

(ख) १९५५-५६ की ऋतु की गन्ने की उत्पत्ति में प्राक्कलित कमी क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं, सूचना के अनुसार गन्ने की खड़ी फसल की हालत सामान्यतः संतोषजनक है ।

(ख) इतना समय पहले उत्पादन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है परन्तु यदि सब ठीक रहा तो अगली ऋतु में गन्ने का उत्पादन वर्तमान वर्ष के उत्पादन से अधिक होने की आशा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन जिन प्रान्तों में ईख का उत्पादन होता है, वहां पर शुगरकेन का उत्पादन औसतन पहले से ज्यादा होगा या कम होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : हर एक सूबे की निस्बत तो इस वक्त मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आमतौर से टोटल

प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया जाय तो पहले से इस साल ज्यादा एक्रेज है जिससे मैं आशा करता हूं कि पहले की अपेक्षा अब की अधिक शुगरकेन पैदा होगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : खास तौर से मैं बिहार प्रान्त की बाबत जानना चाहता हूं कि वहां पर इस साल शुगर-केन के प्रोडेक्शन के प्रास्पेक्ट्स अच्छे हैं या खराब हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या माननीय मंत्री द्वारा अभी बताये गये उत्पादन के आंकड़ों के आधार पर, मैं जान सकता हूं कि इस समय देश में उत्पादन तथा मांग में कितना अन्तर है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : इतना समय पहले इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री भागवत झा आज़ाद : उत्पादन आंकड़े दिये जा चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मांग तथा उत्पादन में कितना अन्तर होगा।

श्री ए० पी० जैन : क्या माननीय सदस्य इस वर्ष के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं ?

श्री भागवत झा आज़ाद : भविष्य के वर्ष के सम्बन्ध में।

श्री ए० पी० जैन : १७ तथा १८ लाख टन के लगभग खपत की आशा

टेलीफोन कनेक्शन

*१३८६. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तेजपुर-रंगिया मार्ग के स्टेशनों में टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) आवश्यक टेलीफोन नियंत्रण यंत्रों को प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है तथा डाक और तार विभाग को लाइन के तारों की उचित मांग भेज दी गई है। लगभग एक वर्ष में कार्य समाप्त होने की आशा है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि क्या ऐसे महत्त्वपूर्ण रेलवे जंकशन—मैं रेलवे स्टेशनों के सम्बन्ध में नहीं कह रहा हूं— साहिबगंज जैसे जंकशन पर भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं ?

श्री अलगेशन : मैं साहिबगंज के सम्बन्ध में नहीं जानता।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं ने "साहिब-गंज जैसे जंकशन" कहा था।

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न को ठीक ठीक नहीं समझ सका हूं।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जानना चाहता हूं स्टेशनों के अतिरिक्त, ऐसे रेलवे जंकशन हैं जहां टेलीफोन कनेक्शन नहीं है ?

श्री अलगेशन : हो सकता है परन्तु इन सभी स्टेशनों पर टेलीफोन निश्चित कार्यक्रम के आधार पर लगा दिये जायेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण

अ० सू० प्र० संख्या ९. **श्री एम ए० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २८ अगस्त, १९५५ से, उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के

तुएनसांग सीमान्त प्रदेश के कुछ भागों का प्रशासन, सेना को दे दिया गया है तथा रक्षा मंत्रालय ही उसका नियंत्रण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकार परिवर्तन का तात्कालिक कारण क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). जी नहीं। यह समाचार सत्य नहीं है। उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के तुएनसांग सीमान्त प्रदेश में प्रशासन सेना को नहीं दिया गया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि हाल ही में इस सीमा विभाग पर कोई सेना की टुकड़ी भेजी गई थी, और यदि हां, तो यह किस प्रयोजन के लिये भेजी गई थी?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा विश्वास है कि इस टुकड़ी के भेजे जाने से पहले मैं ने सभा में वक्तव्य दिया था, और बताया था कि यह टुकड़ी भेजी जाने वाली है; और मैं ने इसके भेजे जाने के उद्देश्य भी बताये थे।

श्री एच० एन० मुकर्जी : आसाम में प्रधान मंत्री के हाल के दौरे के सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण में रहने वाली आदिमजातियों का प्रतिनिधान करने वाले कतिपय व्यक्तियों अथवा कम-से-कम उन लोगों, जो आदिम-जातियों से सम्बन्ध रखते हैं और वहां रहते हैं, के साथ उन का जो वार्तालाप हुआ था, क्या उससे उन्हें कोई ऐसी धारणा हुई है कि देश के उस भाग में स्थिति सुधर गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जब मैं अभी हाल में शिलांग में था, तो स्वभावतः मैं ने जांच की और ऐसे उपलब्ध साधनों से, शासकीय और अन्य रूपों में यह जानने का प्रयत्न किया कि पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण और अन्य स्थानों की क्या स्थिति है, किन्तु इस प्रश्न सम्बन्धी मामले के बारे में पूर्वोत्तर सीमा अभिकरण के किसी भी आदमी से मेरा वार्तालाप नहीं हुआ। जो लोग मुझे मिले वे स्वायत्तशासी जिलों के थे, जिनका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संयुक्त राज्य अमरीका की मेडिकल डिगरियां

*१३५६. **डा० सत्यवादी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १७ मार्च, १९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय डाक्टरी परिषद् द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका से स्नातकोत्तर डिगरी प्राप्त भारतीय चिकित्सा शास्त्र स्नातकों को मान्यता देने के प्रश्न पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): मामले पर विचार किया जा रहा है, किन्तु अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(क) भारत सरकार स्नातकोत्तर डिगरियों को मान्यता देती है, भारतीय चकित्सा परिषद् नहीं देती।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनायें

*१३५७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय सरकार ने गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के सम्बन्ध में २५ से २७ जून तक शिमला में आयोजित किये गये राज्य स्थानीय स्वशासन मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के सम्बन्ध में १९५४ में स्थानीय स्वशासन

मंत्रियों के द्वितीय सम्मेलन द्वारा की गई समूची सिफारिश भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद् की जून १९५५ में शिमला में हुई पहली बैठक ने संकल्प पारित किया था जिसमें पहली सिफारिशों को दोहराया गया और बाद में जून १९५५ में शिमला में हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन ने भी इस संकल्प को स्वीकार किया था। भारत सरकार इस मामले पर और विचार कर रही है।

रेडियो टेलीफोन सेवा

*१३५८. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी** : क्या **संचार** मंत्री निम्न बातों का विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी १९५५ के उपरान्त किन किन देशों के साथ सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा आरम्भ की गई है;

(ख) इस पर कुल कितना धन खर्च हुआ है; और

(ग) इस वर्ष के अन्दर किन किन देशों के साथ सीधी रेडियो-टेलीफोन सेवा आरम्भ करने की आशा की जाती है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मैं अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५]**

व्यापार क़रारों में नौवहन-खण्ड

*१३६३. **श्री मात्तन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों के साथ किये गये कुछ व्यापार करारों में जोड़े गये कतिपय नौवहन-खण्ड क्रियान्वित नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) इन खण्डों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (ग). ये नौवहन-खण्ड किस प्रकार व्यवहार में अधिक प्रभावी बनाये जा सकते हैं यह मामला नौवहन समवायों के विचाराधीन है।

न्यूटन चिकोली कोयला खान दुर्घटना

*१३६६. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री ३ अगस्त १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूटन चिकोली कोयला खान दुर्घटना के कारणों को जानने के लिये नियुक्त किये गये जांच न्यायालय को कौन सी बातें मिली हैं;

(ख) प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : (क) न्यायालय का यह मत है कि अन्दर से बहुत अधिक पानी बहने के कारण जो बहुत वर्षों से त्यक्त निकटवर्ती पड़ोसी खान में इकट्ठा हो गया था दुर्घटना हुई थी। इस आपत्ति के लिये प्रबन्धक को उत्तरदायी ठहराया गया है। जांच न्यायालय के प्रतिवेदन की प्रति लोक-सभा-पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—२९४।५५]**

(ख) प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

(ग) भारत के राज्य पत्र के अगले अंक में इसके प्रकाशित होने की संभावना है।

पशु-अत्याचार-निरोध जांच समिति

*१३७७. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में बन्दरों पर किये गये अत्याचार के सम्बन्ध में प्राप्त आधुनिकतम प्रतिवेदनों का ध्यान रखते हुए बन्दरों के निर्यात के प्रश्न की चर्चा करने के लिये, पशु अत्याचार निरोध जांच समिति की २१ अगस्त, १९५५ को बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) अन्य बातों के साथ साथ भारत से निर्यात किये गये बन्दरों पर जो अत्याचार होता है उसकी चर्चा करने के लिये १९ अगस्त १९५५ को (२१ अगस्त को नहीं) समिति की बैठक हुई थी ।

(ख) केवल यही निर्णय किया गया था कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी एकत्र की जाये ।

भूमिहीन मजदूर

*१३८४. **डा० सत्यवादी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १० दिसम्बर १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू और पंजाब सरकारों ने भूमि हीन मजदूरों को पुनः बसाने के लिये कोई योजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन में स प्रत्येक सरकार ने कितना कितना धन मांगा है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मल्लाहों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना

*१३८५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय मल्लाहों के लिये स्वास्थ्य बीमा या इस प्रकार की कोई अन्य योजना चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां तो यह योजना कब चालू होगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). भारतीय मल्लाहों के लिये सामाजिक बीमा योजना चलाने का प्रश्न विचाराधीन है । इस समय निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि योजना वास्तव में कब चालू की जायेगी ।

असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारी

*१३८७. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का असैनिक उड्डयन विभाग के कर्मचारियों को रियायत के साथ हवाई यात्रा की सुविधा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बारासेट–हसनाबाद रेल-सम्पर्क

*१३८८. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के इस आशय के प्रेस वक्तव्य की ओर उनका

ध्यान आकर्षित किया गया है कि तीन वर्षों के अन्दर बेलियाघाटा के रास्ते बारासेट से हसनाबाद तक, बड़ी रेल की लाइन बिछाने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशा के पीछे कोई तथ्य है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) इस समय यह स्थिति है कि प्रारम्भिक इंजनीयरी और परिवहन सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधिअधिनियम, १९५२

*१३८९. **श्री डी० सी० शर्मा** :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री के० सी० सोधिया :

क्या **श्रम** मंत्री २० अप्रैल, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या २४२७ के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ के अन्दर किन किन उद्योगों तक कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ का विस्तार किया जायेगा ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : मामला अभी विचाराधीन है ।

प्रामाणिक आहार-सूची

*१३९०. **श्री डाभी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलगेशन समिति ने जिस प्रामाणिक आहार-सूची की सिफारिश की थी, क्या अब उसे प्रादेशिक स्वादों और आवश्यकताओं के आधार पर परिवर्तित किया गया है ताकि देश के सब भागों के यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं, श्रीमान् :

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

घाट सेवा

*१३९१. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९५५ में पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर और पालेजाघाट रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइनों का मार्ग-परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और घाट स्थानान्तरण पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) क्या नई लाइन ठीक तरह से सेवा दे रही है;

(घ) क्या यह सच है कि १० जुलाई, १९५५ को माल के डिब्बे पटरी से उतर गये थे और यात्रियों को पालेज़ाघाट से सोनपुर तक पैदल जाना पड़ा था; और

(ङ) क्या यात्रियों को कुछ किराया वापिस किया गया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् । सोनपुर और पालेज़ाघाट स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का मार्ग बदला गया है और घाट को ३० जून, १९५५ से नये स्थान पर स्थानान्तरित करना पड़ा था ।

(ख) घाट का जो पहला स्थान था, वह अनुपयुक्त हो गया था और सुरक्षा की दृष्टि से उसे बदलना अनिवार्य था । पिछले घाट स्थानान्तरण में ४०,००० रुपये के लगभग व्यय हुआ था ।

*(ग) जी हां ।

*(घ) हां; मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया था। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी कि यात्रियों को सोनपुर तक पैदल जाना पड़ा ।

*(ङ) उक्त (घ) भाग के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

भर्ती

७०२. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२–५३ और १९५३–५४ के अन्दर उत्तर रेलवे में तृतीय श्रेणी के पदों के लिये कितने प्रार्थनापत्र आये हैं, विशेषकर बीकानेर डिवीज़न में; और

(ख) कुल कितने अभ्यर्थियों को मुलाकात (मौखिक जांच) पर बुलाया गया था; और उनमें से कितने व्यक्ति चुने गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). समूची उत्तर रेलवे सम्बन्धी अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

	प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	उन व्यक्तियों की कुल संख्या जो बुलाये गये	चुने गये व्यक्तियों की कुल संख्या
१९५२–५३	२५५८३	४२९३	१४४६
१९५३–५४	७९५३१	६८७६	२५६४

गत दो वर्षों के बीकानेर डिवीज़न के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि रेलवे सेवा आयोग इस का पृथक् हिसाब नहीं रखता ।

रेलवे कर्मचारी

७०३. **श्री रामजी वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५५ वर्ष की आयु के पश्चात् विभिन्न पदालियों में कर्मचारियों (अधिकारियों) को उनके सेवाकाल में विस्तार देने के मामले में रेलवे किस नीति का पालन करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : केवल असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, विशेष पदालियों (काडर) के पदाधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाती, और लोक सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इन व्यक्तियों को पुनः सेवा में ले लिया जाता है, जो ५५ वर्ष पूरे कर चुकते हैं। केडर से अतिरिक्त पदों वाले व्यक्तियों के सेवाकाल में वृद्धि करने अथवा पुनः सेवा में लेने के मामलों में उनके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है ।

दूर-संचार भवन

७०४. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज़िला पूर्निया (बिहार) स्थित कटिहार में बनाया जा रहा दूर-संचार भवन कब तक पूरा होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : संभवतः यह नया भवन १९५७ में पूरा हो जायेगा ।

बिहार राज्य में बेकारी

७०५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य स्थित नौकरी दिलाऊ दफ्तरों में १९५४–५५ के दौरान कितने स्नातकों, अवर

*उक्त अंश रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री द्वारा बाद में जोड़े गये थे [देखिये २२ सितम्बर १९५५ का वाद-विवाद—भाग २]

स्नातकों, मैट्रिक पास व्यक्तियों तथा अन्य लोगों का पंजीयन हुआ है ?

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) : अप्रैल १९५४ से मार्च १९५५ तक पंजीयित हुए लोगों की संख्या

स्नातक .	३,४०४
अवर स्नातक .	३,१५६
मैट्रिक पास .	१९,४५३
अन्य	१,०९,०४५
कुल जोड़	१,३५,०५८

अम्बाला स्थित डाकघर

७०६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बाला ज़िले में उप-डाकघरों की भवन-व्यवस्था के लिये अर्जित मकानों का प्रति मास कुल कितना किराया दिया जाता है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : अम्बाला ज़िले में उप-डाकघरों की भवन-व्यवस्था के लिये अर्जित मकानों का प्रति मास एक हज़ार एक सौ छप्पन रुपये और तेरह आने किराया दिया जा रहा है ।

सुरक्षा तथा प्रतिपालन (वाच एण्ड वार्ड)

७०७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में चोरियों के कारण रेलवे संपत्ति तथा सामान को १९५१–५२, १९५२–५३ और १९५३–५४ में कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इन वर्षों में हुई चोरियों के लिये सुरक्षा तथा प्रतिपालन के किन्हीं कर्मचारियों के विरुद्ध (१) विभागीय (२) न्यायालयों द्वारा अभियोग चलाये गये; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ग). विवर संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९]

(ख) जी हां ।

हिन्दी में तार

७०८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के जिन नये डाकघरों में १९५४ में देवनागरी लिपि में हिन्दी के तार भेजने तथा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई, उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि में पंजाब राज्य स्थित डाकघरों से कितने तार हिन्दी में भेजे गये तथा उनको कितने तार हिन्दी में मिले ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४० ।

(ख) वर्ष १९५४ में पंजाब राज्य स्थित तारघरों से जितने तार हिन्दी में भेजे गये तथा उनको जितने तार हिन्दी में मिले, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

भेजे गये तार . .	२,४६६
प्राप्त हुए तार . .	३,६८४

माल गाड़ी के डिब्बों की कमी

७०९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर, मध्य तथा उत्तर-पूर्वी रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारी अप्रैल, १९५५ में इसलिये कानपुर में इकट्ठे हुए थे कि व्यापार के लिये अपेक्षित माल गाड़ी के डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिये कोई उपाय ढूंढ निकाला जाय; और

(ख) यदि हां, उस बैठक में क्या निर्णय हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७]

नासूर

७१०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि परमाणु विकिरण का शिकार होने वालों को रक्त का नासूर रोग हो जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : हां । परमाणु विकिरण का शिकार होने वालों को ल्यूकीमियां होने का डर रहता है, जिसे सामान्य भाषा में रक्त का नासूर कह सकते हैं ।

रेलों पर अपराध

७११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में अब तक चलती रेलों में चोरी की कितनी घटनायें हुईं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : ३०–६–१९५५ तक २,५३० ।

बौद्धों की तीर्थ यात्रा

७१२. **सेठ गोविन्द दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४–५५ में कितने बुद्ध यात्री विदेशों से भारत आये, और भगवान् बुद्ध की २५००वीं जयन्ती के अवसर पर कितने विदेशी बुद्ध यात्रियों के भारत आने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पर्यटकों के आने की संख्या विदेशी पर्यटकों के धर्म के अनुसार नहीं रखी जाती इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि इन में से सन् १९५४–५५ में कितने विदेशी बौद्ध यात्री आये थे । यह अनुमान लगाना भी सम्भव नहीं है कि कितनी संख्या में बौद्ध यात्रियों की सन् १९५६ की बुद्ध जयन्ती के अवसर पर आने की आशा है । लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि यात्री काफ़ी बड़ी संख्या में आयेंगे ।

समुद्रपार संचार सेवा

७१३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक समुद्र पार संचार सेवा के लिये योजना काल में कितने नये पारेषक और प्रापक केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) इस पर किये जाने वाले खर्चे का अनुमान क्या है;

(ग) वर्तमान केन्द्रों में बनाये गये प्रविधिक और सहायक भवनों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सम्पूर्ण योजना काल का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कलकत्ते में एक पारेषक और एक प्रापक केन्द्र स्थापित किया गया है ।

(ख) २३,२५,६७४ रुपये ।

(ग) २ ।

(घ) हां, वर्तमान लक्षणों से ज्ञात होता है कि लक्ष्य पूरा हो जायेगा ।

दिघवाड़ा स्टेशन

७१४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री १४ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे लाइन पर स्थित दिघवाड़ा स्टेशन पर एक तृतीय श्रेणी का प्रतीक्षा शेड बनाये जाने का विचार किया गया है; और

(ख) क्या उसका नक़शा और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). हां ।

जाली टिकट

७१५. श्री एस० सी० सामन्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से पूर्व रेलवे के हावड़ा–खड़गपुर सेक्शन पर पकड़े गये जाली मासिक टिकटों के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को दंड दिया गया;

(ग) क्या उन सरकारी या ग़ैर-सरकारी व्यक्तियों को, जिन्होंने इन मामलों को पकड़ा और अभियोजन में सहायता दी, पुरस्कृत किया गया था; और

(घ) सामान्यतः ऐसे मामलों में रेलवे कर्मचारियों को कैसे पुरस्कार दिये जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चार ।

(ख) दो ।

(ग) एक मामले में तत्सम्बन्धी रेलवे कर्मचारी के नाम एक प्रशंसा-पत्र जारी किया गया था ।

(घ) सामान्यतः ऐसे मामलों में रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई सतर्कता तथा उत्तरदायित्व की भावना का, यदि वह असाधारण प्रकार की हो तो, यथोचित आदर किया जाता है तथा उसे सेवा अभिलेख में अंकित कर दिया जाता है ।

कर्मचारी राज्य बीमा निधि

७१६. श्री गिडवानी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और कानपुर में १९५३-५४ और १९५४-५५ में कर्मचारी राज्य बीमा निधि में श्रमिकों तथा मिल मालिकों द्वारा दिये गये अंशदानों की कुल राशि कितनी थी;

(ख) उपर्युक्त काल में उन के कल्याण के विभिन्न कार्यों पर कितना रुपया खर्च किया गया; और

(ग) ३१ मार्च, १९५५ को इन नगरों में पंजीबद्ध किये गये श्रमिकों की संख्या कितनी थी ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) ३१ मार्च, १९५५ को बीमा किये गये व्यक्तियों की संख्या दिल्ली राज्य में ८२,६६९ तथा कानपुर क्षेत्र में १,४७,९१५ थी ।

कारख़ाना अधिनियम

७१७. चौधरी मुहम्मद शफ़ी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कारखाना अधिनियम, १९४८ द्वारा अनुशासित संस्थाओं, कारख़ानों तथा समवायों में १ मई, १९५५ से कुल कितनी हड़तालें हुईं;

(ख) प्रत्येक हड़ताल का कारण क्या था और प्रत्येक मामले में वह कितने दिन चली; और

(ग) प्रत्येक हड़ताल में कुल कितनी हानि हुई ?

श्रम मंत्री (श्री खंडूभाई देसाई) : (क) से (ग). केवल मई, १९५५ के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध है । ७९ कारख़ानों में हड़तालें हुईं और कुल हानि २,७४,२४३ जन-दिनों की हुई । विवाद के विषय सामान्यतः मजूरी, महंगाई भत्ता, बोनस, छुट्टियां और सेवामुक्त किये गये तथा निकाले गये मजूरों के फिर से रखे जाने के सम्बन्ध में थे ।

सहकारी समितियां

७१८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री १७ मार्च, १९५४ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १११९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये किन किन राज्यों ने सहकारी समितियों की सेवाओं का उपयोग किया है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : पहली पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिये बहुत सी राज्य सरकारों ने जहां तक हो सका किसी न किसी नमूने में को-ओपरेटिव सोसाइटियों की सेवाओं से काम लिया है । नीचे दिखलाये हुए राज्यों ने यह जवाब दिया है कि को-ओपरेशन से सम्बन्ध रखने वाली पहली पंचवर्षीय योजना की सिफारिशों की पूर्ति करने के लिये वे मुमकिन कार्यवाही कर रहे हैं ।

१. आन्ध्र	११. मध्य भारत
२. आसाम	१२. मध्य प्रदेश
३. भोपाल	१३. उड़ीसा
४. बिहार	१४. पैप्सू
५. बम्बई	१५. पंजाब
६. दिल्ली	१६. राजस्थान
७. हैदराबाद	१७. त्रावनकोर-कोचीन
८. हिमाचल प्रदेश	१८. विन्ध्य प्रदेश
९. कच्छ	१९. पश्चिम बंगाल
१०. मद्रास	

केन्द्रीय शाक-सब्ज़ी उत्पादन केन्द्र, नागर

७१९. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३, १९५३-५४ तथा १९५४-५५ में नागर (कुल्लू) में स्थित केन्द्रीय शाक-सब्ज़ी उत्पादन केन्द्र तथा शाकसब्ज़ी गवेषणा उपकेन्द्र पर कितनी राशि खर्च की गई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : केन्द्राय शाक-स० ज़ी उत्पादन केन्द्र तथा शाक-सब्ज़ी गवेषणा उपकेन्द्र, नागर (कुल्लू) एक ही हैं ।

इन के सम्बन्ध में किये गये खर्च के आंकड़े इस प्रकार हैं :

	रुपये
१९५१-५२	५८,३३४
१९५२-५३	६०,८०५
१९५३-५४ .	५७,१९३
१९५४-५५ . . .	५७,७१५

लोहा

७२०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये लोहा तथा इस्पात का नियतन कृषकों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है या किसी अन्य विचार के आधार पर किया जाता है; और

(ख) १९५५ की दूसरी और तीसरी तिमाहियों में विभिन्न राज्यों को कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये नियत किये गये लोहे तथा इस्पात की मात्रा कितनी है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९]

कृषि अर्थ-व्यवस्था गवेषणा केन्द्र

७२१. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अब तक संस्थापित कृषि अर्थ-व्यवस्था तथा फ़ार्म प्रबन्ध गवेषणा केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) यह किन स्थानों पर स्थित हैं ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) कृषि अर्थ-व्यवस्था गवेषणा के लिये चार केन्द्र तथा फ़ार्म प्रबन्ध अध्ययन के लिये छै।

(ख) कृषि अर्थ-व्यवस्था गवेषणा केन्द्र इन स्थानों पर स्थित हैं :

१. दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकनामिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली;

२. विश्व भारती इंस्टीट्यूट, शान्ति-निकेतन, पश्चिम बंगाल;

३. गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ़ पॉलिटिक्स एण्ड इकनामिक्स, पूना ;

४. मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास ।

फ़ार्म प्रबन्ध अध्ययन इन राज्यों में किये जा रहे हैं :

राज्य	मुख्यालय
१. बम्बई	कालिज आफ़ ऐग्रीकलचर, पूना।
२. पंजाब	कालिज ऑफ़ ऐग्रीकलचर, लुधियाना ।
३. उत्तर प्रदेश	ऐग्रीकलचरल कालिज, कानपुर ।
४. पश्चिम बंगाल	इण्डियन सेन्ट्रल जूट कमेटी, कलकत्ता।
५. मध्य प्रदेश	डायरेक्टोरेट ऑफ़ ऐग्री-कलचर, नागपुर।
६. मद्रास	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।

खास भूमियों का बन्दोबस्त

७२२. श्री बीरेन दत्त : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा की सरकार को अब तक खास भूमियों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में आदिमजातियों के व्यक्तियों से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) कितने मामलों में बन्दोबस्त किया जा चुका है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९५४-५५ में ४,०६५ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) १९५४-५५ में ८१८ मामलों में बन्दोबस्त मंजूर किया गया था ।

गुंटूर में उपमार्ग

७२३. श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यपालिका समिति, गुंटूर ने गुंटूर रेलवे स्टेशन के पूर्वी केबिन के पूर्व के उपमार्ग को चौड़ा करने का खर्चा जमा कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ग) **यदि नहीं, तो** इस काम के कब तक आरम्भ किये जाने और समाप्त होने की संभावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । गुंटूर कार्यपालिका ने गुंटूर–तेनालि ब्रॉड गेज लाइन के रेलवे ब्रिज संख्या १ तथा बेजवाड़ा-गुन्तकल मीटर गेज लाइन के पुल संख्या ४९९-क के सार्वजनिक यातायात के लिये उपमार्ग के रूप में प्रयोग किये जाने के हेतु फिर से बनाये जाने के निमित्त ८६,८०० रुपये की राशि जमा कर दी है ।

(ख) और (ग) इस काम के लिये अपेक्षित अस्थायी गर्डर अभी अभी प्राप्त हुए हैं तथा यह काम शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा । काम को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है ।

रेलवे कर्मचारी

७२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व तथा पूर्वोत्तर रेलवेज़ के "रेलवे स्टाफ़ बेनिफिट फण्ड" कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी सेवा से निवृत्त होने के पश्चात्, अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति, उपदान के हक़दार नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, जान पड़ता है कि निर्देश उन व्यक्तियों की ओर किया गया है जो कि दोनों रेलवेज़ में (पूर्वोत्तर रेलवे में १९ तथा पूर्व रेलवे में ७५) अनन्य रूप से निधि के प्रयोजनों के लिये नियोजित किये गये थे; रेलवे स्टाफ बेनिफ़िट फण्ड नाम का कोई अलग "दफ्तर" नहीं है ।

(ख) ये व्यक्ति वास्तव में रेलवे कर्मचारी नहीं हैं वरन् स्टाफ़ बेनिफ़िट फण्ड कमेटी के कर्मचारी हैं, जो कि यद्यपि रेलवे राजस्व से बनाई गई एक निधि का प्रबन्ध करती है, फिर भी वास्तव में रेलवे प्रशासन का अंग नहीं हैं । इसलिये इन व्यक्तियों की सेवा सम्बधी शर्तें वह नहीं हैं जो कि रेलवे कर्मचारियों की होती हैं, वरन् वह हैं जो कि इस कमेटी ने सब बातों को जिन में एक बात यह भी है कि निधि में रुपया कितना उपलब्ध है, ध्यान में रखते हुए निर्धारित की हैं ।

यात्री सुविधायें

७२५. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तेज़पुर, रंगपाड़ा, मजभट, तथा तांगला के स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, ऊंचे प्लेटफ़ार्मों, तथा प्रकाश जल की और उत्तम व्यवस्था करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) तेज़पुर, रंगपाड़ा उत्तर, मजभट तथा तांगला स्टेशनों पर अधिक उत्तम प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करने की कोई प्रस्थापना नहीं है । इन स्टेशनों के मौजूदा प्रतीक्षालय इस समय के लिये पर्याप्त समझे जाते हैं ।

(२) वर्तमान वित्तीय वर्ष में तेज़पुर में एक ऊंचे प्लेटफ़ार्म की व्यवस्था की जा रही है, और रंगपाड़ा उत्तर और तांगला को १९५७–५८ के अग्रेतर सुविधा कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है ।

(३) तेज़पुर में बिजली की रोशनी की व्यवस्था मौजूद है तथा अन्य स्टेशनों पर अधिक शक्ति वाले लैम्पों की व्यवस्था की जा रही है ।

(४) तेज़पुर और रंगपाड़ा उत्तर में पानी के नल और उत्तर मजभट तथा तांगला में हाथ पम्प मौजूद हैं ।

(ख) रंगिया-तेज़पुर सेकशन के सब स्टेशनों की यात्री सुविधाओं की आवश्यकताओं का अनुमान किया जा रहा है, और आवश्यकताओं की अनिवार्यता तथा निधियों की उपलब्धता के अनुसार यात्री सुविधा समिति के परामर्श से वर्ष प्रति वर्ष काम की मदें सम्मिलित की जायेंगी ।

वन विधियां (त्रिपुरा)

७२६. **श्री दशरथ देव** : क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार त्रिपुरा की वर्तमान वन विधियों में संशोधन करने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दी में तार

७२७. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में ऐसे कितने तारघर हैं जहां पर तार हिन्दी में भेजे तथा प्राप्त किये जाते हैं; और

(ख) वहां हिन्दी तारों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नौ ।

(ख) इसे लोकप्रिय बनाने के लिये यह कार्यवाहियां की गयी हैं :—

(१) १-७-५० से हिन्दी में बधाई के तार प्रचलित किये गये हैं ।

(२) १-७-५० से देवनागरी लिपि में लिखे हुए किसी भी भारतीय भाषा की तारों का भेजना प्रारम्भ किया गया ।

(३) १-१-५३ से हिन्दी में लिखे संक्षिप्त पतों का पंजीयन प्रारम्भ किया गया ।

(४) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को हिन्दी में तार के फार्म उपलब्ध कराये गये ।

(५) शीघ्र भविष्य में ही बधाइयों और डीलक्स सेवाओं के लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को बधाई-तार चित्रमय फार्म और लिफ़ाफ़े उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(६) हिन्दी के तारों से सम्बन्ध रखने वाले कार्यालयों का कार्य-समय जनता की सुविधा को दृष्टि में रखते हुए बदल दिया गया है ।

(७) निरक्षर व्यक्तियों को तारघरों के काउंटर-लिपिक हिन्दी में तार लिखने में सहायता देते हैं ।

(८) हिन्दी तारों से सम्बन्ध रखने वाले कार्यालयों में नोटिस और विज्ञापन लगाये गये हैं ।

(९) बांटने के लिये भेजे गये तारों के लिफ़ाफ़ों पर हिन्दी तारों का मुक्त रूप से प्रयोग करने पर बल देने वाले नारे मुद्रित किये जाते हैं ।

(१०) हिन्दी साहित्य सम्मेलन और अन्य हिन्दी संस्थाओं के परामर्श से हिन्दी तारों के लिये शुल्क लेने के उपाय में संशोधन किया गया है ।

श्रीनगर में एक डकोटा का रोका जाना

७२८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि २५ जुलाई, १९५५ को, दिल्ली आने वाले इण्डियन एयर लाइन्ज़ कारपोरेशन के एक डकोटा को दो घंटे से अधिक समय तक श्रीनगर में रोका गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विलम्ब का कारण यह था कि उस वायुयान की विशेष रूप से जांच करनी आवश्यक थी क्योंकि जब वह दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था तो उसके अग्नि सूचक यंत्र ने उस विमान के धरती पर उतरने से थोड़ी

देर पूर्व पोर्ट इंजन में आग लग जाने की सूचना दी थी। परन्तु बाद में यह ज्ञात हुआ कि आग लगने की सूचना झूठी थी और वह तो बिजली का शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण दी गई थी।

योग चिकित्सा

७२९. **बाबू रामनारायण सिंह :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या सरकार को 'योग चिकित्सा' की, जो कि औषधिहीन उपचार की प्राचीन प्राकृतिक पद्धति है और शारीरिक रोगों का शमन करती है, अमोघता विदित है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : जहां तक यौगिक क्रियाओं की अमोघता का सम्बन्ध है सर्व साधारण सम्मति यह है कि वह बहुत उत्तम है। परन्तु शारीरिक रोगों को शमन करने वाली पद्धति के रूप में जहां तक योग चिकित्सा का सम्बन्ध है भारत सरकार के पास इस दावे को सिद्ध करने के लिये कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है।

औषधि भंडार संगठन

७३०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) औषधि भंडार संगठन द्वारा किन किन संस्थाओं को औषधियां बांटी जाती हैं;

(ख) औषधि निर्माण की आवश्यक सामग्री किन देशों से आयात की जाती है;

(ग) १९५४–५५ में किन किन देशों से यह सामग्री आयात की गई और उसका मूल्य कितना था, और

(घ) उक्त कालावधि में भारत में कितने मूल्य की औषधि सामग्री खरीदी गई ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) उन सभी संस्थाओं के नाम जिन की कुल संख्या ७,५९० है बताना मुमकिन नहीं है। उन में सरकारी अस्पताल और दवाघर, सरकारी विभाग, रेलवे व ग़ैर-सरकारी संस्थायें, जैसे म्युनिस्पिल दवाघर, ज़िला बोर्ड दवाघर, मिशन अस्पताल व ख़ैराती दवाघर शामिल हैं।

(ख) बाहर से मंगवाई गई फ़ार्मेस्युटिकल दवायें सिर्फ़ यू० के० से ही मंगाई जाती हैं।

(ग) १९५४–५५ में मेडिकल स्टोर संगठन की ज़रूरियात के लिये बाहर से आई हुई फ़ार्मेस्युटिकल दवायें यू० के० से मंगाई गई थीं। इन की कुल क़ीमत, जो ३१ जुलाई, १९५५ तक मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास व करनाल के ख़र्चे में लिखी गई है, ६,५३,६३८ रुपये है।

(घ) १९५४–५५ में मेडिकल स्टोर संगठन के लिये भारत में खरीदी गई दवाओं की क़ीमत, जो ३१ जुलाई, १९५५ तक मेडिकल स्टोर डिपो के नाम लिखी गई है, ५८,२९,५७७ रुपये है।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

७३१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या खाद्य और कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में अब तक कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये और वे कहां कहां खोले गये;

(ख) १९५४–५५ में उन केन्द्रों के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) वहां पर और केन्द्र खोलने के लिये क्या कोई व्यवस्था की गई है;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है, और वे कहां खोले जायेंगे; और

(ङ) इन केन्द्रों की कार्य प्रणाली के बारे में राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार को क्या कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, और यदि हां, तो पिछली रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) चौदह, ये नीचे दिखलाये गये स्थानों पर खोले गये हैं :—

अखिल भारतीय योजना	राज्य योजना
१. तेलनखेड़ी	९. नागपुर
२. आर्वी	१०. बोरगांव
३. खरंगना	११. चन्दखुरी
४. बुल्दाना	१२. पवारखेड़ा
५. वरसेओनी	१३. सिन्देवाही
६. जगदलपुर	१४. वरुद
७. सरकन्दा	
८. सीतापुर	

(ख) १,१६,२७० रुपये, जो कि अखिल भारतीय योजनाओं के कुल खर्चे का ५० प्रतिशत है। राज्य योजना के केन्द्रों के लिये कोई सहायता नहीं दी जाती है ।

(ग) और (घ). जी हां। राज्य सरकार आठ और केन्द्र खोलना चाहती है और उनके स्थापन के लिये स्थानों के सर्वे का काम जारी है ।

(ङ) जी हां, २२ अगस्त, १९५५ को ।

शटल ट्रेन

७३२. श्री राम शंकर लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिये क्या गया, गोरखपुर और गौंडा के बीच शटल ट्रेन चलाने का कोई विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : इस समय गौंडा और गोरखपुर के बीच शटल गाड़ी चलाने का कोई विचार नहीं है ।

गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे की मीटर लाइन का स्टेशन है और गया पूर्वी रेलवे की बड़ी लाइन का । इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी १९७ मील है—१५१ मील मीटर लाइन और ४६ मील बड़ी लाइन । बीच में नाव से नदी पार करनी पड़ती है । इसलिये इस का ठीक ठीक पता नहीं चलता कि इस सुझाव का क्या मतलब है ।

उखाड़ी गई रेलवे लाइनों का पुनःस्थापन

७३३. चौ० रघुवीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री १ जुलाई, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उखाड़ी गई आगरा-बाह रेलवे लाइन को दूसरी पंचवर्षीय योजना में पुनःस्थापित करने की प्रस्थापना करती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ली जाने वाली रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

टूंडला रेलवे स्टेशन

७३४. चौ० रघुवीर सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार यात्रियों की सुविधा के लिये टूंडला रेलवे स्टेशन पर एक ऊपर का पुल बनाने की प्रस्थापना करती है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में ।

हड्डी पीसने के कारखाने

७३५. **सरदार इक़बाल सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने कारखाने हड्डी पीसने का कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने हड्डी का चूरा तैयार करते हैं; और

(ग) कौन सा राज्य सब से अधिक उत्पादन करता है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ८७, इस संख्या में वह तीन भी सम्मिलित हैं जिन की स्थापना के लिये कुछ समय पूर्व अनुज्ञप्तियां दी गई थीं ।

(ख) प्रायः सभी कारखाने मुख्य उत्पाद के रूप में हड्डी का चूरा तैयार करते हैं, परन्तु कुछ इसे उपोत्पाद के रूप में बनाते हैं ।

(ग) कोई ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु यह ज्ञात होता है कि पश्चिम बंगाल सब से अधिक उत्पादन करता है ।

नई दिल्ली में सड़कों के नये नाम

७३६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई दिल्ली की कुछ मुख्य सड़कों के, जिन के अभी अंग्रेज़ी नाम हैं, नये नाम रखने का विचार करती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सड़कों के लिये चुने गये नामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में नई दिल्ली म्युनिस्पिल कमेटी को किस प्रकार की हिदायतें दी गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) और (ख). नई दिल्ली की सड़कों के नाम बदलने का अधिकार नई दिल्ली म्युनिस्पिल कमेटी को है । अब तक उसने दो मुख्य सड़कों--किंग्ज़वे व क्वीन्सवे--के नाम क्रमशः राजपथ व जनपथ रखने के लिये एक प्रस्ताव पास किया है ।

(ग) इस बारे में नई दिल्ली म्युनिस्पिल कमेटी को कोई हिदायतें नहीं दी गई हैं ।

डाक व तार घर

७३७. **श्री आर० सी० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत में अप्रैल, १९५४ से जुलाई, १९५५ तक कितने डाक व तार घर खोले गये;

(ख) मार्च, १९५६ तक उस राज्य में किन किन स्थानों पर डाक और तार घर खोले जायेंगे; और

(ग) किन किन स्थानों पर चालू वर्ष में टैलीफ़ोन की सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) डाकघर . . ७३

तारघर . . १५

(ख) और (ग). कृपया साथ में लगा विवरण देखिये । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०**]

आलू की खेती

७३८. **श्री जनार्दन रेड्डी** : **क्या खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई १९५५ के अन्त तक देश के कितने एकड़ भू-भाग पर आलू की खती की गई थी ;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में आलू की खेती के क्षेत्र तथा उस के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) अखिल भारतीय द्वितीय आलू प्राक्कलन, १९५४–५५ के अनुसार, जो कि इस समय उपलब्ध नवीनतम प्राक्कलन है, देश में मई १९५५ के अन्त तक ६३९,००० एकड़ भूमि पर आलू की खेती की गई थी।

(ख) पूर्वोल्लिखित प्राक्कलन के अनुसार जबकि गत वष के तत्स्थानी समायोजित प्राक्कलन की तुलना में १९५४–५५ में आलू की कृषि के क्षेत्र में कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई है परन्तु उत्पादन में कुछ थोड़ी सी कमी हुई है।

(ग) उत्पादन की यह कमी, मुख्यत: बिहार और पश्चिम बंगाल में, मौसम के अनुकूल न होने के कारण हुई है। अन्तिम प्राक्कलन, जो अक्तूबर के उत्तरार्ध में उपलब्ध होने को है, १९५४–५५ की ऋतु की समस्त फ़स्ल सम्बन्धी स्थिति को बतायेगा।

बम्बई में टेलीफ़ोन एक्सचेंज

७३९. श्री एम० डी० जोशी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य में १९५५ में कितने नये टेलीफ़ोन एक्सचेंज खोले जाने की प्रस्थापना है और वह किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ख) उनमें से अब तक कितने खोले जा चुके हैं ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). १९५५–५६ में अब तक खोले गये :

१. बागलकोट
२. कोपरगांव
३. पांवल
४. राजपीपला ;

जिनके चालू वर्ष में खोले जाने की आशा है :

१. अहवा
२. बारामती
३. बारदोली
४. भिवांडी
५. बोरडाड
६. व्यादगी
७. चालिसगांव
८. हवेरी
९. हिम्मतनगर
१०. कादी
११. कारवार
१२. मिराज
१३. मियागम कर्जन
१४. निपानी
१५. पचोरा
१६. रत्नागिरि
१७. उमरेठ
१८. विशनगर।

इन सभी १८ स्थानों से सम्बन्धित योजनायें पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं, परन्तु मार्च १९५६ तक इन एक्सचेंजों का खोला जाना समय पर वस्तुओं की उपलब्धता पर निर्भर है।

रत्नागिरि पत्तन

७४०. श्री एम० डी० जोशी : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रत्नागिरि को विकास के लिये एक "मध्यम पत्तन" के रूप में चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थापित विकास की रूप रेखा क्या है; और

(ग) विकास सम्बन्धी योजनाओं को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विकास कार्य के लिये रत्नागिरि पत्तन को एक मध्यम पत्तन वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) और (ग). किये गये सर्वेक्षणों के परिणामों पर आधारित विकास प्रस्थापनायें राज्य सरकार द्वारा तैयार की जा रही हैं ।

लोक-सभा

शुक्रवार,
२ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

18/X/23
Chamber Furnished

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही...)

खंड ६, १९५५

(१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दसम सत्र, १९५५

(खंड ६ में अंक १६ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

विषय-सूची

(खंड ६, अंक १६—३०, १६ अगस्त से ३ सितम्बर १९५५)

अंक १६—मंगलवार, १६ अगस्त, १९५५

स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

गोआ के स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति . . १३४३–१३५०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन . . १३५०–१३५१

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम १३५१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . १३५१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त . . . १३५१–१४०८

अंक १७—बुधवार, १७ अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १४०९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १४१०

गोआ स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . १४१०–१४

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १४१४–८९, १४८९–९२

सभा का कार्य १४८९

अंक १८—गुरुवार, १८ अगस्त, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अत्याचारों के विरुद्ध प्रदर्शन १४९३–९७

राज्य-सभा से सन्देश १४९७–९८, १५७७–७८

सभा-पटल पर रखा गया पत्र—

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य १४९८–१५०३

गोआ के सम्बन्ध में वक्तव्य १५०३–१५०४

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के बारे में वक्तव्य . १५०४–१५०७

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—

असमाप्त १५०७–७६

अंक १९—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १५७९
भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम—
याचिका का उपस्थापन १५७९
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि १५७९–८०
समितियों के लिये निर्वाचन—
रबड़ बोर्ड १५८०
काफी बोर्ड १५८१
समवाय विधेयक—जारी
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का
प्रस्ताव—स्वीकृत १५८१–१६१६
श्री सी० डी० देशमुख १५८१–१६१६
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६१६–१६४२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
चौतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६४२–४३
विदेशी राज्यों से उपाधि तथा उपहार (स्वीकृति पर दंड) विधेयक—
वापिस लिया गया १६४३–६८
विचार करने का प्रस्ताव १६४३–६८
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १६६८–८६

अंक २०—शनिवार, २० अगस्त, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश १६८७
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया . . १६८७
सभा-पटल पर रखा गया पत्र—
इंजीनियर स्टील फाइल उद्योग के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रति-
वेदन १६८७–८८
कार्य मंत्रणा समिति—
तेईसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत १६८८–८९
प्रेस आयोग के प्रतिदवेन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . १६८९–१७५८

अंक २१—सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . १७५९
रक्षित तथा सहायक वायुसेना अधिनियम के नियमों में संशोधन . १७५९–६०
बैंक पंचाट आयोग का प्रतिवेदन १७६०

बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के बारे में वक्तव्य . . १७६१–६५
प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—
संशोधित रूप में स्वीकृत १७६५–१८४४
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १८४४

अंक २२—मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
विकास-परिषदों के प्रतिवेदन—
(१) भारी रसायन (अम्ल और उर्वरक) . . . १८४५
(२) अन्तर्दहन एंजिन और बिजली से चलने वाले पम्प . . १८४५–४६
(३) साइकिलें १८४६
(४) चीनी १८४६
काफी नियम, १९५५ . . . . . १८४६
रबड़ नियम, १९५५ . . . . . १८४६
अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत १८४६–१९१८
खण्ड २, ३ और १ . . . . १९१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडों पर विचार—
असमाप्त १९१९–५२
खण्ड २ से १० . . . . . १९२०–५२

अंक २३—बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १९५३
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . १९५३–२०४४
खंडों पर विचार—असमाप्त . . .
खण्ड २ से १० . . . . १९५३–२०२२
खण्ड ११ से ६७ . . . . . २०२२–२०४४

अंक २४—गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २०४५–२१३८
खंड ११ से ६७ . २०४५–२०७९
खंड ६८ से ८० . . . २०७९–२१०२
खंड ८१ से १४४ . . . २१०२–२१३८

अंक २५—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के विवरण २१३९-४०
राज्य-सभा से सन्देश . . . २१४०-४१
एक सदस्य की मुअत्तली . . . . . २१४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २१४१,४४—९४
खंड ८१ से १४४ . . . . . २१४१,४४—९४
सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
पैंतीसवां प्रतिवेदन—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . २१९४—९७
वैदेशिक व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—असमाप्त . २१९७—२२३२

अंक २६—मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

विशेषाधिकार का प्रश्न . . . . . २२३३—३५
सदस्य की मुअत्तली की समाप्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत २२३५—३९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय रेशम बोर्ड के कार्य का प्रतिवेदन १९५४-५५ . २२३९
केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा निकाला गया बुलेटिन संख्या २२ . . २२३९
मैसूर की सोने की खानों सम्बन्धी विनियमों में संशोधन १९५३ . २२४०
खान नियम १९५५ . . . . . २२४०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २२४०-४१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २२४१
कशाघात उत्सादन विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . २२४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
मुर्शिदाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . . . . २२४१—४४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २२४४—२३३०
खंड १४५ से १९६ . २२४४—९३
खंड १९७ से २०७ . . २२९३—२३३०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना २३३१
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्राक्कलन २३३१
राज्य सभा से सन्देश . . . २३३२

लोक लेखा समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २३३२
सरकारी भूगृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—
प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . २३३२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
बी० सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन . . . २३३२—३९
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में— २३३९—२४३२
खंडों पर विचार—असमाप्त
खंड १९७ से २०७ . . . . . २३३९—२४१०
खंड २०८ से २५० . . . . . २४११—३२
रेलों का पुनर्वर्गीकरण . . . . . २४३२—४४

अंक २८—गुरुवार, १ सितम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—
मशीनी पेच उद्योग का संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का
प्रतिवेदन आदि . . . . २४४५—४६
राज्य-सभा से सन्देश २४४६
सभा का कार्य २४५२
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २४४६—५२,२४५२—२५२२
खंड २०८ से २५० . . . २४४६—५२, २४५२—८८
खंड २५१ से २८३ . . . २४८८—२५२२

अंक २९—शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश २५२३
राज्य सभा से सन्देश . . . . २५२३—२४
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि २५२४
समवाय विधेयक, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त . . . . २५२४—८५
खंड २५१ से २८३ . . . . २५२४—८५
खाद्य पदार्थ मिश्रण दण्ड विधेयक—
वापिस लिया गया २५८५-८६
मोटर परिवहन श्रम विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५८६
बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक—
वापिस लिया गया— २५८६—२६०४
विचार करने का प्रस्ताव . २५८६—२६०४

अति आयु विवाह रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . . २६०४—२६२४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . २६२४—२६२९

अंक ३०—शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश २६२९-३०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में पटल पर रखा गया . २६३०-३१
एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . २६३१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—
खंडों पर विचार—असमाप्त २६३१—२७१६
खण्ड २८४ से ३२२ . . . . . २६३१—२७०९
खण्ड ३२३ से ३६७ . . . . . २७०९—१६
समेकित विषय-सूची (१६ अगस्त से ३ सितम्बर, १९५५)
अनुक्रमणिका . . . . . .

लोक-सभा

शुक्रवार, २ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२-०१ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें सत्र की कार्यवाही का सारांश

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं बम्बई में मई, १९५५ में हुये भारतीय श्रम सम्मेलन के चौदहवें अधिवेशन की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। (पुस्तकालय में रखा गया।) **[देखिये संख्या एस०-२९१/५५]**

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि :

(१) लोक-सभा द्वारा २ अगस्त, १९५५ को पारित दिल्ली जल तथा नाली-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक को राज्य-सभा ने ३१ अगस्त, १९५५ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

(२) लोक-सभा द्वारा २३ अगस्त, १९५५ को पारित अपहृत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) चालू रखना विधेयक को राज्य सभा ने ३१ अगस्त, १९५५ को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

संचार उपमंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखता हूं जिसमें १७ अगस्त, १९५५ को दिये गये अफगानिस्तान को डकोटा विमान के निर्यात के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८१३ के उत्तर को शुद्ध किया गया है। विवरण में दिया गया प्रश्न का उत्तर क्लर्क की असावधानी से अधूरा था। **[देखिये** परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ४८]

समवाय विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा समवाय विधेयक के खंड २५१ से २८३ पर और आगे चर्चा जारी रखेगी। चुने हुये संशोधनों की सूची कल रात माननीय सदस्यों को भेज दी गयी थी। नियत किये गये ३½ घंटों में से २ घंटे ५५ मिनट कल लिये जा चुके थे और ३५ मिनट शेष हैं, अर्थात् इनको शीघ्र निपटाया जायेगा और मैं मंत्री जी को बुलाऊंगा।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : उपाध्यक्ष महोदय ने कल आश्वासन दिया था कि इन खंडों के महत्व की दृष्टि में पूरी चर्चा के लिये कुछ अधिक समय दिया जायगा, भले ही सभा को देर तक बैठना पड़े, जिसके लिये सभा सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं ; उपाध्यक्ष महोदय ही स्पष्ट कर सकेंगे ।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : मैं ने सुझाया था कि इन खंडों के महत्त्व की दृष्टि में सभा पूरी चर्चा के लिये आधा घंटा अधिक बैठे, जिस पर लोग सहमत नहीं हुये। पर बाद में सभा इस बात से सहमत हो गई है कि ५ से ९ सितम्बर तक वह छः बजे तक बैठेगी और इस प्रकार इस विधेयक को समय से पूरा कर सकेगी । यदि सभा देर तक बैठने को तैयार है, तो आप कृपया अधिक समय दे दें ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा अगले हफ्ते प्रति दिन एक घंटे देर से बैठना चाहती है और आज भी ?

कुछ माननीय सदस्य : आज नहीं, ५ तारीख से देर से बैठने का निश्चय हुआ था ।

श्री सी० सी० शाह (गोहिलवाड़-सोरठ) : यह और अगला खंड-वर्ग बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । ३८८ से ६१२ तक के खंड-वर्ग में नियत किये गये २२ घंटे नहीं लगेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के हाथों में हूं । मैं नहीं जानता कि ३८८ से ६१२ वाला खंड-वर्ग २२ घंटे से कम में समाप्त हो जायेगा और आगे समय बढ़ाने की मांग न आयेगी । पर मैं विधेयक को समय से समाप्त करना चाहता हूं । क्या हम आज भी देर तक बैठ रहे हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब इस खंड वर्ग के लिये ३५ मिनट और हैं । मंत्री जी २० मिनट लेंगे और ३५ मिनट और लोगों के लिये हैं ।

माननीय सदस्यों ने अन्यथा ग्राह्य होने पर निम्न चुने हुये संशोधनों के प्रस्तुत करने की सूचना दी है :

खंड संख्या	संशोधन संख्या
२५१	७३७, ७३८
२५२	५७८, ५७९
२५४	२२४, ७३९, ४१५, ७४०, ४१६, ८०८, ८०९, ८१०
२५४क (नया)	७४१
२५५	४१७
२५९	५८०, ७५७, ७४२
२६०	५८१, ७५८, ७४३, ४२०, ७४४, ४२१
२६३	५१२
२६४	५१३, ७४५, २२७, ५५०, २२८, २२९
२६५	५१४
२६६	६५६ (सरकारी), ४२४, ७६३
२६७	६५७ (सरकारी)
२६८	७६४, ६५८ (सरकारी)
२६९	७६५
२७२क (नया)	७४६

खंड संख्या	संशोधन संख्या
२७३	७६९, ७७०, १२८, ५१५, १२९, ७७१, ५१६
२७४	१०२
२७५	७८१
२७९	७९०, ५१८, ७९१ (५१८ जैसा ही), ५१९, ५८३, ३५८ (सरकारी), ५८४
२८०	५८५, ५२०, ५२१, ५२२, ५८६ (५२२ जसा ही)
२८१	५२३, ५८७, ५८८, ५८९
२८२	१३०, ५२४, ७९६, १३१
२८३	२३१, ६५९ (सरकारी), ४२५
२८३ क (नया)	२३२

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किये गये ।
खंडों पर निम्नलिखित संख्या वाले संशोधन

सदस्य नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री साधन गुप्त	२५१	७३७, ७३८
श्री तुलसी दास	२५२	५७८, ५७९
श्री अशोक मेहता	२५४	२२४
श्री साधन गुप्त	२५४	७३९, ७४०
श्री एन० पी० नथवानी	२५४	४१५, ४१६
पंडित के० सी० शर्मा	२५४	८०८, ८०९, ८१०
श्री साधन गुप्त	२५४ क (नया)	७४१
श्री एन० पी० नथवानी	२५५	४१७
श्री तुलसी दास	२५९	५८०
श्री के० के० बसु	२५९	७५७
श्री साधन गुप्त	२५९	७४२
श्री तुलसी दास	२६०	५८१
श्री के० के० बसु	२६०	७५८
श्री कृष्ण चन्द्र	२६०	७४३, ७४४
श्री के० पी० त्रिपाठी	२६०	४२०
श्री एन० पी० नथवानी	२६०	४२१
श्री सी० आर० अय्युण्णि	२६३	५१२
श्री सी० आर० अय्युण्णि	२६४	५१३
श्री बर्मन	२६४	७४५
श्री एन० पी० नथवानी	२६४	२२७, ५५०, २२८, २२९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	२६५	५१४

[अध्यक्ष महोदय]

सदस्य नाम	खंड संख्या	संशोधन संख्या
श्री एन० पी० नथवानी	२६६	४२४
श्री कृष्ण चन्द्र	२६८	७६४
श्री कृष्ण चन्द्र	२६९	७६५
श्री साधन गुप्त	२७२ क (नया)	७४६
श्री कृष्ण चन्द्र	२७३	७६९, ७७०, ७७१
श्री राम चन्द्र रेड्डी	२७३	५१५, ५१६
श्री राने	२७३	१२९
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	२७४	१०२
श्री कृष्ण चन्द्र	२७५	७८१
श्री कृष्ण चन्द्र	२७९	७९०, ७९१
श्री रामचन्द्र रेड्डी	२७९	५१८
श्री सी० आर० अय्युण्णि	२७९	५१९
श्री तुसली दास	२७९	५८३, ५८४
श्री तुलसी दास	२८०	५८५, ५८६
श्री रामचन्द्र रेड्डी	२८०	५२०
श्री सी० आर० अय्युण्णि	२८०	५२१, ५२२
श्री सी० आर० अय्युण्णि	२८१	५२३
श्री तुलसी दास	२८१	५८७, ५८८, ५८९
श्री राने	२८२	१३०, १३१
श्री रामचन्द्र रेड्डी	२८२	५२४
श्री कृष्ण चन्द्र	२८२	७९६
श्री एन० पी० नथवानी	२८३	२३१, ४२५
श्री अशोक मेहता	२८३ क (नया)	२३२

खंड २६६--(कुछ व्यक्ति नियुक्त न किये जायेंगे आदि)

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४०, पंक्ति ३७ में,

"managing director" ["प्रबन्धक निदेशक"] के स्थान पर "managing director or whole time director ["प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशक) रखा जाय ।

श्री के० के० बसु: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४० में,

पंक्तियों ४५ और ४६ का लोप कर दिया जाये ।

खंड २६७--(उपबंध का संशोधन आदि)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४१, पंक्ति ५ में,

"managing director ["प्रबन्धक निदेशक"] के सथान पर "managing or wohle time director ["प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशक"] रखा जाय ।

खंड २६८--(प्रबन्धक निदेशक की नियुक्ति आदि)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४१, पंक्ति १६ में,

"managing director" ["प्रबन्धक निदेशक"] के स्थान पर "managing or whole time director" ["प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशक"] रखा जाये ।

श्री राने (भुसावल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४२, पंक्ति १८ में,

"offence" ["अपराध"] के बाद "involving moral turpitude" ["नैतिक पतन अन्तर्ग्रस्त करने वाले"] रखा जाये ।

खंड २७९—(आयु सीमा आदि)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४४, पंक्ति ४२ में,

"completed" ["पूरी कर ली है"] के स्थान पर "attained" ["प्राप्त कर ली है"] रखा जाये ।

खंड २८३—(निदेशकों का हटाया जाना)

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १४७, पंक्ति २ में,

"director" ["निदेशक"] के बाद "(not being a director appointed by the Central Govt. in pursuance of section 407)" ["(जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा ४०७ के अनुसरण में नियुक्त किया जाने वाला निदेशक न हो)"] रखा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ये सब संशोधन चर्चा के लिये सभा के सामने हैं ।

श्री बंसल : मैं श्री नथवानी तथा श्री मुरारका द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का विरोध करता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

वैसे तो मैं श्री नथवानी की तीव्र बुद्धि तथा सुन्दर तर्कों की सराहना करता हूं, परन्तु मैं उन का समर्थन नहीं कर सकता । उन्होंने मेरे इस वक्तव्य को, कि बम्बई अंशधारी संथा अनुपाती प्रतिनिधित्व को नहीं चाहती थी, चुनौती दी है । परन्तु उन्होंने अपने इस कथन के समर्थन में कोई भी प्रमाण नहीं दिया है कि वह संथा अनुपाती-प्रतिनिधित्व चाहती थी । मैं श्री मुरारका का ध्यान संयुक्त समिति के सम्मुख दिये गये उस साक्ष्य की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कि श्री मगनलाल के नेतृत्व में बम्बई अंशधारी सन्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे और श्री अविनाश लिंगम् चेट्टियार ने उनसे इसी विधेयक के पहलू के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे । छोटे अंशधारियों के परित्राण के संबन्ध में प्रश्न पूछे जाने पर श्री मगनलाल ने यह उत्तर दिया था कि उनके परित्राण के लिये कई उपबन्ध रखे गये हैं । एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रश्न तो सदा रहेगा ही । फिर श्री चेट्टियार के यह पूछने पर कि क्या आप अल्प संख्यक अंशधारियों के अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली को चालू करना चाहते हैं तो श्री मगनलाल ने उत्तर दिया 'बिल्कुल नहीं' । इस प्रकार बम्बई अंशधारी सन्था अनुपाती प्रतिनिधित्व के पक्ष में नहीं है । उसने भाभा समिति को भेजे गये अपने ज्ञापन में क्या लिखा था यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परन्तु उसने जो ज्ञापन संयुक्त समिति को भेजा है, उसमें अनुपाती प्रतिनिधित्व के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया था ।

श्री मुरारका ने आज से २० वर्ष पूर्व सन् १९३६ में इस सभा में दिये गये भाषणों का उल्लेख किया है । परन्तु उस समय और आज के समय में आकाश पाताल का अन्तर है । इन २० वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति में बड़ा भारी अन्तर हो चुका है । उस समय तो यूरोपीय प्रबन्ध अभिकरणों ने यहां की आर्थिक गतिविधियों पर अधिकार जमा रखा था । यद्यपि भारतीयों ने भी अंश ख़रीदे हुये थे परन्तु उन्हें उन समवायों

[श्री बंसल]

के निदेशक बोर्डों के पास तक फटकने की भी अनुमति नहीं थी । ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय विचार धारा ने बल पकड़ा और अनुपाती प्रतिनिधित्व का प्रश्न उठाया गया । इसीलिये उस समय देश के व्यापारी चाहते थे कि यूरोपीय समवायों में अनुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाये । सन् १९३६ में एक नियोजक संघ बनाया गया था जिसने इसी बात का समर्थन किया था । परन्तु आज तो स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है । अधिकतर प्रबन्ध अभिकरणों में भारतीय व्यापारियों का ही आधिपत्य है । इसलिये पुरानी बातों को आज की स्थिति में लागू करने से कोई लाभ नहीं । प्रत्येक औषधि का प्रभाव किसी ऋतु विशेष में होता है । इसलिये १९३६ में कही गयी बातों का १९५५ में उल्लेख करने से कोई लाभ नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी आशा की जाती है कि अल्पसंख्यक निदेशक शेष साथियों के हितों की रक्षा करेंगे ।

श्री बंसल : विचार करने योग्य बात यह है कि इस अल्पसंख्या से हमारा तात्पर्य क्या है ? क्या इस से हमारा तात्पर्य प्रबन्ध अभिकर्ताओं का विरोध करने वाले अंशधारियों से है ? हो सकता है कि कुछ एक समवायों में प्रबन्ध-अभिकर्ताओं के पास अधिक संख्या में अंश हों, परन्तु अधिकतर समवायों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के पास अधिक संख्या में अंश नहीं होते हैं । इसलिये क्या आप उन्हें अल्पसंख्यक कहेंगे ? अतः मेरी यह प्रार्थना है कि पहले इस बात का निर्णय कर लिया जाय कि अल्पसंख्यक से वास्तविक तात्पर्य क्या है ? मैं चाहता हूं कि अनुपाती प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर अच्छी प्रकार से सोच विचार किया जाये । समवाय विधि प्रतिवेदन में कहीं पर भी अनुपाती प्रतिनिधित्व का समर्थन नहीं किया गया है । समवाय विधि समिति ने इसके समर्थन में कुछ भी नहीं कहा है वैसे उसने अल्पसंख्यकों के हितों के परित्राण के लिये कई उपबन्ध रखे हैं परन्तु अनुपाती प्रतिनिधित्व के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या समिति ने इसके बारे में विचार विमर्श किया था ?

श्री बंसल : जी नहीं । परन्तु उसने इस बात को सदा अपने सामने रखा था । मेरा अपना विचार यह है कि उसने ऐसा सोचा होगा कि अल्पसंख्यकों के परित्राण के लिये जितने उपबन्ध रखे गये हैं, वही पर्याप्त हैं । समवाय विधि समिति ने इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं की होगी ।

श्री मुरारका ने लोक लेखा समिति का उदाहरण दिया है । परन्तु उसका तो आधार ही भिन्न है । प्रथम तो यह कि लोक लेखा समिति देश का प्रशासन नहीं करती है, और द्वितीय यह कि लोक लेखा समिति में समनुगत अल्पसंख्या है । इसलिये संचयी मतदान के आधार पर अनुपाती प्रतिनिधित्व का कुछ अर्थ हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी व्यक्ति को उस द्वारा लगाये गये धन के अनुपात से मत देने का अधिकार दिया जाये तो इसमें क्या हानि है ? जो ५१ प्रतिशत पूंजी लगाता है वह न केवल अधिकार की उतनी प्रतिशतता चाहता है अपितु वह तो शत प्रतिशत अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है । क्या अल्पसंख्यकों को भी ऐसा कहने का अधिकार मिल सकता है ? अल्पसंख्यकों को अधिकार के अनुसार निदेशक चुनने दिये जायें । अन्यथा बहुसंख्यक अपनी इच्छा-

नुसार निदेशक रख लेंगे और अल्पसंख्यकों को तंग करते रहेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य यह संकुचित प्रश्न उठा रहे थे कि कई एक परिस्थितियों में अनुपाती प्रतिनिधित्व आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं भी दे सकता है । उनका यही एक तर्क है । अब प्रश्न यह है कि क्या यह ठीक है या ग़लत ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक राजनीति का सम्बन्ध है प्रत्येक मनुष्य को एक मत देने का अधिकार मिला हुआ है । यहां पर धनवान और निर्धन का प्रश्न है । मैं यह चाहता हूं कि जो व्यक्ति जितना धन लगाये उसे उसी के अनुपात से मत देने का अधिकार दिया जाये । इसमें क्या हानि है ? जहां तक निदेशकों का सम्बन्ध है, वह किन्ही अन्य व्यक्तियों के प्रतिनिधि होंगे और क्या अल्पसंख्यक स्वामियों को उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये कोई निदेशक रखने का अधिकार नहीं होना चाहिये ?

श्री बंसल : प्रत्येक अंशधारी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी निदेशक को वोट देने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु जिस पक्ष में ५१ प्रतिशत मत हो गये वह तो जीत जाता है, और सभी के सभी निदेशक उसी पक्ष के आ जाते हैं और अन्य पक्ष के साथ अन्याय करते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : वास्तव में माननीय सदस्य यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह ढंग कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकेगा । मान लीजिये कि ५००० व्यक्तियों को, जिन में से प्रत्येक को एक निदेशक चुनने का अधिकार है, १२ निदेशक चुनने हैं । इन ५००० मतदाताओं में से यदि ५००० उम्मेदवार हों और केवल १२ स्थान ही भरने हों तो इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, जिसे स्वयं एक अल्पसंख्यक समझा जा सकता है, अपनी इच्छानुसार निदेशक कैसे रख सकता है ?

श्री बंसल : मैं यही कहना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यदि अल्पसंख्यक सभी व्यक्ति, जिन्होंने ४९ प्रतिशत मत प्राप्त किये हैं, एकत्रित होकर अपना भी प्रतिनिधित्व चाहते हैं तो जब तक अनुपाती प्रतिनिधित्व नहीं दिया जायेगा, तब तक आप उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकते हैं । ५१ प्रतिशत वाले ४९ प्रतिशत वालों के प्रति अन्याय करेंगे, और फिर वैसे तो ५१ प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले इकट्ठे मिल कर कार्य करेंगे ही, परन्तु हो सकता है कि वे किसी समय पर आपस में झगड़ पड़ें, तो उस समय वे बहुसंख्या में नहीं रहेंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह तो ठीक है, परन्तु साधारणतया अधिकतर अंश उन वर्गों अथवा व्यक्तियों के होंगे जो कि पहले से ही अन्य प्रयोजनों से आपस में मिल गये हैं । व्यक्तिगत मतदाताओं के लिये तो एक दूसरे से मिल जाना बहुत कठिन है और फिर दूसरी बात यह है कि व्यक्तिगत मतदाता बदल भी सकते हैं । स्टाक रखना किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता से बिल्कुल भिन्न है । यह अल्पसंख्या एक प्रकार की परिवर्तनीय वस्तु है, और इस अनुपाती प्रतिनिधित्व के अधीन यह होगा कि १०, १५ अथवा २० प्रतिशत वाले छोटे वर्ग अपने अपने प्रतिनिधि रखने का प्रयत्न करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : इस सिद्धान्त को निजी समवायों पर लागू कर देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि १२ में से अल्पसंख्यक निकल आयें तो क्या हानि है ?

श्री बंसल : यह प्रश्न व्यक्तिगत मत का है । हाल के वर्षों में समवायों की अव्यवस्था

[श्री बंसल]

के जो समाचार मिले हैं उनसे यही पता चला है कि ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग ने निदेशकों के बोर्ड पर नियंत्रण कराने का प्रयत्न किया अथवा नियंत्रण कर लिया, जिसके फलस्वरूप सरकार को कई मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा । इसलिये मैं चाहता हूं कि समवायों की इस प्रकार बदनामी न होने पाये । इस प्रश्न पर मतभेद होना स्वाभाविक है । मैं ने श्री नथवानी और श्री मुरारका के द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने का भरसक प्रयत्न किया है ।

श्री मुरारका ने कहा है कि अमरीका में यह पद्धति प्रचलित है, जब कि वित्त मंत्री ने कहा है कि वहां ऐसी पद्धति नहीं है । फोर्ड इत्यादि के जीवन के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें इन अल्पसंख्यक अंशधारियों का कैसे सामना करना पड़ा और कभी तो भारी रक़म दे कर इनके सारे हितों (अंशों) को खरीदना पड़ा । मैं चाहता हूं कि भारत में कभी ऐसा दिन न आये । मैं सभा से यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रश्न पर शान्ति एवं निष्पक्षता से विचार करे ।

श्री सी० सी० शाह : विचाराधीन खंडों का विषय यह है कि एक ऐसे निदेशक बोर्ड की खोज की जाय जो स्वतन्त्र, ईमानदार तथा कार्यकुशल हो । इस विधेयक की चर्चा में प्रबन्ध अभिकर्ताओं ने हमारा ध्यान इतना अधिक आकर्षित कर लिया है कि हम इस बात की अवहेलना कर रहे हैं कि समवाय की व्यवस्था में निदेशकों के बोर्ड का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

सैद्धान्तिक रूप से प्रबन्ध अभिकर्ता, निदेशकों के बोर्ड के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण में कार्य करते हैं किन्तु व्यावहारिक रूप से निदेशकों के बोर्ड में प्रबन्ध अभिकर्ता के आदमी भरे रहते हैं । हम एक ऐसा बोर्ड बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि समवाय के हितों के प्रति सावधान रहे क्योंकि मेरे मत से समवाय विधि में सुधार का रहस्य यही है कि निदेशक-बोर्ड में सुधार किया जाय ।

इस सहयोगी उपक्रम का विशेष गुण यह है कि इससे सम्पत्ति का स्वामी उसकी व्यवस्था तथा नियंत्रण से वंचित रह जाता है । तथा यह नियंत्रण और व्यवस्था एक छोटे से गुट के हाथों में चली जाती है जो कि समवाय पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं । हम वस्तुतः यह चाहते हैं कि यह छोटा सा गुट उन बहुसंख्यक अंशधारियों का प्रतिनिधित्व करे, न कि वे प्रभावशाली अल्पसंख्यकों के गुट के व्यक्ति हों । हमारा उद्देश्य यह है कि अंशधारी को वह अधिकार मिले जिसका वह यथार्थ में अधिकारी है ।

इसके लिये सर्वप्रथम १९३६ के अधिनियम में यह उपबन्ध किया गया था कि प्रबन्ध अभिकर्ता एक तिहाई से अधिक निदेशकों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, किन्तु भाभा समिति ने उल्लेख किया कि व्यावहारिक रूप से बाक़ी दो तिहाई भी प्रबन्ध अभिकर्ता के ही आदमी होते हैं अतः हमने इस विधेयक के खंड २६० में पहिली बार यह उपबन्ध किया है कि प्रबन्ध अभिकर्ता का कोई निकट सम्बन्धी तब तक निदेशकों के बोर्ड में नहीं चुना जा सकता जब तक कि चुनाव की एक विशेष सूचना दी जा कर, अंशधारियों के द्वारा उक्त आशय का एक संकल्प पारित न कर लिया जाय ; यदि वे उसे चुनना चाहें तो तीन चौथाई बहुमत प्राप्त होने पर वे उसे चुन सकते हैं ।

दूसरे उपचार का उपबन्ध खंड ३७७ में किया गया है । एक प्रबन्ध अभिकर्ता अधिक-

से-अधिक दो और, यदि निदेशकों के बोर्ड में पांच निदेशक ही हों तो, केवल एक निदेशक नियुक्त कर सकता है ।

खंड ४०७ में यह उपबन्ध किया गया है कि अंशधारियों की संख्या के दसवें भाग की प्रार्थना पर सरकार को दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है । मेरे विचार से इसमें इस आशय का संशोधन होगा कि १०० अंशधारी भी इसके लिये सरकार से प्रार्थना कर सकेंगे । आशा है कि उपयुक्त तीन उपचारों से एक स्वतन्त्र बोर्ड का निर्माण सम्भव हो सकेगा ।

हमने दो अन्य तरकीबों का भी उपबन्ध किया है । एक तो निदेशकों की निवृत्ति की अवस्था निश्चित कर दी है क्योंकि बहुत कम लोग यह जान सकते हैं कि अब उनकी निवृत्ति का समय आ गया है और उन्हें अवकाश ले लेना चाहिये किन्तु कुछ मामलों में जहां कोई व्यक्ति उक्त अवस्था में भी पूर्ण स्फूर्ति-युक्त, योग्य व बुद्धिमान हो और समवाय को उसकी सेवाओं की आवश्यकता हो तो ऐसे मामले में छूट का उपबन्ध भी किया गया है कि समवाय एक संकल्प पारित कर उन्हें छूट दे सकता है ।

दूसरे, हमने एक व्यक्ति के अधीन निदेशनों की संख्या को सीमित कर दिया है । मेरे पास यहां २९ व्यक्तियों की सूची है जो कि एक साथ ही अधिक-से-अधिक ६१ तथा कम-से-कम १९ समवायों के निदेशक हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य संक्षेप में कहें क्योंकि मैं १ बजे माननीय मंत्री से भाषण देने को कहूंगा ।

श्री सी० सी० शाह : मैं संक्षेप में कहूंगा । कदाचित सभा इस तथ्य से अवगत होगी कि केवल ९ परिवारों के पास ६०० निदेशन हैं जिनमें जूट, कोयला, कपास और चीनी इत्यादि के सभी समवाय शामिल हैं ।

खंड २६० के सम्बन्ध में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान संशोधन संख्या ४२० और ४२१ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें प्रबन्ध अभिकर्ता के सहकारी के निदेशक न चुने जाने का उपबन्ध है । आशा है, माननीय मंत्री इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में मैं माननीय मंत्री का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि इसे सभी सार्वजनिक समिति समवायों में लागू करना सम्भव न हो सके तो इसे निजी सीमित समवायों में लागू कर देना चाहिये क्योंकि इनमें अनुच्छेदों के उपबन्धों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है और वे जीवन-पर्यंत चुने जाते हैं और उन्हें कोई हटा नहीं सकता । तत्पश्चात् इन्हें अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार होता है । इसके अलावा खंड २६० भी इस पर लागू नहीं होता । खंड २६२ भी जिसके अनुसार प्रत्येक निदेशक का चुनाव पृथक् रूप से करना पड़ता है, इन निजी समवायों पर लागू नहीं होता है । खंड २६६, जिसमें किसी व्यक्ति के जालसाजी अथवा ऋण न चुका सकने पर प्रबन्ध अभिकर्ता न रहने का उपबन्ध है, इन निजी समवायों पर लागू नहीं होता है ।

खंड २७३, जिसमें कि निदेशकों की अनर्हताओं का उल्लेख है, के उपखंड (३) में कहा गया है कि निजी सीमित समवाय अपने निदेशकों पर और अनर्हताएं भी लगा सकते हैं । इसका फल यह होगा कि प्रभावशाली गुट बाहर के लोगों पर ऐसी अनर्हतायें लगा देगा कि वे निदेशक नहीं बन सकेंगे । इसी प्रकार खंड २८२ में यह उपबन्ध किया गया है कि निजी सीमित समवाय निदेशकों के हटाने के आधार बढ़ा सकता है ।

[श्री सी० सी० शाह]

इस प्रकार कोई भी विधि निजी सीमित समवायों के अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये समर्थ नहीं है। इनमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व देना अधिक कठिन नहीं है क्योंकि उनकी सदस्य संख्या ५० से अधिक नहीं होती है। यह पद्धति इनके लिये एक आदर्श पद्धति होगी। श्री एन० पी० नथवानी ने इस आशय का एक संशोधन संख्या ५५० दिया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन पर विचार करें।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लिये मैं एक कारण और देना चाहता हूं। वह यह है कि अंश इस प्रकार विभाजित होने चाहियें कि उन पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू हो सके।

अब मैं आपका ध्यान खंड २६८ के संशोधन संख्या ८६७ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। खंड २६८ में यह उपबन्ध किया गया है कि बिना सरकार के समर्थन के किसी प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति नहीं हो सकती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के लिये सरकार का समर्थन होना चाहिये।

यदि आप विधेयक के उपबन्धों का क्रमशः अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि खंड २६६ में प्रबन्ध अभिकर्ताओं की अनर्हतायें दी गई हैं किसी ने भी इनका विरोध नहीं किया है। सरकार ने समवायों के कई अधिकार कम कर लिये हैं। आपने लाभ की सीमा घटा दी है। पहिले की अपेक्षा अब समवाय अभिकर्ताओं अथवा निदेशकों को बहुत कम अधिकार हैं। सरकार के समर्थन न करने का अधिकार तो समझ में आता है, किन्तु समर्थन करने का अधिकार समझ में नहीं आता है। मैं नहीं समझता कि अंशधारियों की प्रत्येक माग को सरकार का समर्थन प्राप्त करना क्यों आवश्यक है ?

हमने संविधान बनाते समय भी उसकी प्रस्तावना में इन सम्भावनाओं के विरुद्ध उल्लेख किया था। संविधान में लिखा है कि 'व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिये, यदि आप उसकी सम्पत्ति की व्यवस्था से सम्बन्धित सभी अधिकारों का नियंत्रण करेंगे तो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कहां रह जायगी ? इसलिये सरकार को, जहां तक उनकी सम्पत्ति की व्यवस्था का सम्बन्ध है, उनके अधिकार नहीं छीनने चाहियें। जहां तक लाभ इत्यादि के नियंत्रण तथा अधिकारों के प्रयुक्त करने का सम्बन्ध है, मैं उनसे सहमत हूं। लेकिन जब हम अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था के लिये किसी विशेष व्यक्ति को रखने को तैयार हैं तो सरकार उसमें हस्तक्षेप क्यों करती है। जब एक व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति की व्यवस्था का अधिकार है तो व्यक्तियों के एक समूह को, जिनके पास एक सम्पत्ति है, उसकी व्यवस्था का अधिकार क्यों प्राप्त नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : क्या इससे यह तात्पर्य है कि माननीय सदस्य प्रबन्ध अभिकर्ताओं पर के प्रतिबन्धों तथा निदेशकों की अनर्हताओं से सम्बन्धित इसके सभी परिच्छेदों पर आपत्ति करते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह विधेयक इस आधार पर बनाया गया है कि समाज को यह अधिकार है कि वह देखे कि कहीं अव्यवस्था तो नहीं होती। यह बात आपके ध्यान में १९५१ से पहले क्यों नहीं आई ? १९५१ में सरकार ने इसे तीन वर्ष की अस्थायी अवधि के लिये पारित किया। अब वे इसे स्थायी बनाना चाहते हैं। चुनाव करने के लिये

सब से योग्य व्यक्ति अंशधारी ही हैं, क्योंकि सरकार भी गलती कर सकती है । सरकार और भी कई अधिकार ले रही है । मैं उन सभी मामलों पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं । जब निदेशक तथा प्रबन्धक की नियुक्ति में सरकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं है तो केवल प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति में सरकार के समर्थन की क्या आवश्यकता है ?

मुझे प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक में कोई भी अन्तर नहीं दिखाई पड़ता । प्रबन्धक का समवाय की व्यवस्था में महत्वपूर्ण अधिकार होता है । यही बात प्रबन्ध निदेशक के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । तब इस उपबन्ध के पीछे क्या तर्क है ?

खंड २६८ में तो दोहरा प्रतिबन्ध है । यदि सरकार अनुमोदन नहीं करती तो उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा । अतः मैं निवेदन करता हूं कि मेरे संशोधन संख्या ८६७ के द्वारा "केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना लागू नहीं होगा और सरकार द्वारा अस्वीकृत होने पर रद्द हो जायेगा" के स्थान पर "रद्द समझा जायेगा, यदि सरकार द्वारा धारा २७३ या धारा २६६ में बताये गये कारणों से सरकार अस्वीकार कर देती है" रख दिया जाय । सरकार अंशधारियों द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को अस्वीकार कर सकती है । यह बात तो ठीक है पर यदि व्यक्ति के सम्बन्ध में पहले से सरकार की स्वीकृति ले ली जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

सामान्य चर्चा के समय भी मैं ने यह प्रश्न उठाया था कि यह धारा १९ (छ) के विरुद्ध है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एक व्यक्ति, जिसे अंशधारी प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करते हैं और जिसने काफी समय तक समवाय में काम करके अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है, उसे नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति लेनी पड़े । प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सम्बन्ध में आपने जो भी प्रतिबन्ध लगाये हैं, वे सब हमें स्वीकार हैं । पर यह दोहरी चाल क्यों चलाई जाती है और किसी व्यक्ति के जीवन को इस प्रकार बांधा क्यों जाता है ? अंशधारी अपने समवाय के लिये पूर्णतया उत्तरदायी हैं । फिर प्रबन्ध अभिकर्ताओं के व्यवहार के सम्बन्ध में कभी कोई शिकायत हमारे सामने नहीं आई है । अतः मैं निवेदन करता हूं कि किसी सफल प्रबन्ध अधिकर्ता की दोबारा नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसी शर्तें लगाना उचित न होगा ।

दूसरी कठिनाई यह है कि जब किसी व्यक्ति को प्रथम वार नियुक्त करने के लिये सरकार के सामने लाया जाता है तो सरकार उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती रहती । हम अनुभव के आधार पर ही किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं । अतः एक जाने-बूझे योग्य व्यक्ति की दोबारा नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार के अनुमोदन की शर्त नहीं लगानी चाहिये । इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी सरकारी पदाधिकारी के पास नियुक्ति या दोबारा नियुक्ति के अनुमोदन के लिये दौड़ना होगा और यदि यह काम छोटे पदाधिकारियों के हाथ में सौंपा गया तो पक्षपात और परिवार पोषण के सिवा और कुछ नहीं होगा । हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ७५० करोड़ रुपये व्यय करके नये समवाय खोलने जा रहे हैं । परिणाम यह होगा कि या तो यह सब समवाय बरबाद हो जायेंगे या हम अपने अपने वायदों को पूरा नहीं कर पायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्युण्णि ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : इस खण्ड के अनुसार निवृत्त होने वाले निदेशक को

कोई पूर्वसूचना देने की आवश्यकता नहीं रहेगी । एक विशेष समय, जब सभी निदेशक अपना पद खाली कर देते हैं, उसी समय अगली बार चुने जाने के पूर्व उन्हें अपना स्वीकृति-पत्र दे देना चाहिये । पर यह उपबन्ध की उपयोगिता हमारी समझ में नहीं आती । मुझे इस सम्बन्ध में बताया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि बिना स्वीकृति के किसी व्यक्ति के चुने जाने की आशा बहुत कम रहती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : उपरिदर्शी रूप से कोई आशा नहीं रहती । इसका उत्तर देने की कोई उपयोगिता नहीं है । माननीय सदस्य का संदेह दूर किया जायेगा पर इसके लिये एक संशोधन पेश करने की आवश्यकता होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि यह एक संशोधन का प्रस्ताव कर चुके हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : कौन सा संशोधन ?

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन की संख्या क्या है ?

श्री सी० आर० अय्यर्ण : संख्या ५१२ ।

श्री सी० डी० देशमुख तब, मैं उसका जवाब दूंगा । मैं ने समझा था कि वह बिना किसी संशोधन का प्रस्ताव किये कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ।

श्री सी० डी० देशमुख : सब से पहले मैं श्री साधन गुप्त की बातों का उत्तर दूंगा । उन्होंने बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की बात उठाई थी । श्री अशोक मेहता ने भी यह बात उठाई और कहा कि यह मामला सरकार के सामने वर्षों से है और इसलिये वह यह बहाना नहीं स्वीकार करते कि सरकार अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय नहीं कर पाई है । मैं उन्हें इतना बताना चाहता हूं कि इन ८ वर्षों में अन्य बहुत सी बातें पूरी कर दी गयी हैं । हो सकता है बहुत से मामलों का अभी निर्णय न हो पाया हो । यह मामला भी एक ऐसा मामला है जिसके सम्बन्ध में सरकार ने अभी कोई निश्चय नहीं किया है । चूंकि यह मामला योजना आयोग के सामने है और आशा है कि शीघ्र ही इसका निर्णय हो जायेगा । तब यह निर्णय केवल इस विधेयक में ही नहीं बल्कि अन्य बहुत से अधिनियमों में भी शामिल हो जायेगा । दर्जनों अधिनियमों में बाद में परिवर्तन करना पड़ेगा ।

श्री साधन गुप्त ने दूसरी बात निदेशक पदों की संख्या के सम्बन्ध में कही थी । उन्होंने इसे तर्कहीन बताया और कहा कि उसका सम्बन्ध न तो पूंजी से है और न अन्य किसी आधार से । बताये गये आंकड़ों को ध्यान में रखते हुये हम समझते है कि समवाय विधि समिति ने ठीक सिफारिश की है क्योंकि एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि यह सिफ़ारिश बहुत महत्वपूर्ण है । इसी कारण संयुक्त समिति ने समवाय विधि समिति की सिफ़ारिशों के आंकड़ों को मान लिया । कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं कि ९ परिवारों के लोग ६०० निदेशक पदों पर हैं । इसका मतलब यह नहीं कि देश में बुद्धिमान व्यक्तियों की कमी है बल्कि समुदाय के कुछ वर्गों के लोग कई कई पीढ़ियों तक व्यापार तथा उद्योग के काम में लगे रहते हैं इसी कारण ऐसा होता है । हमने इस क्षेत्र को बढ़ाने की वांछनीयता की ओर संकेत किया है ।

पंडित के० सी० शर्मा : व्यापारी समाज में केवल ९ परिवार नही है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने बताया कि एक विशेष प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति ने.....

पंडित के० सी० शर्मा : वह जन्म से नहीं प्राप्त होती ।

श्री सी० डी० देशमुख : हर एक व्यक्ति जन्म से संसद्-सदस्य हो सकता है पर हर एक व्यक्ति जन्म से व्यापारी नहीं हो सकता । मेरा मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति चुना जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह संसद्-सदस्यों पर लांछन नहीं लगाया जा रहा है ।

श्री सी० डी० देशमुख : इसमें संसद्-सदस्यों की कोई बुराई नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जिसने पहले सार्वजनिक सेवा को हो सदस्य चुना जा सके, पर आप किसी भी व्यक्ति को किसी समवाय का निदेशक या प्रबन्ध निदेशक नहीं नियुक्त कर सकते क्योंकि कुछ जातियों के लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे ही इस कार्य में निपुण हैं और यह भी कारण हो सकता है कि उनके पास काफी सम्पत्ति हो। साथ ही चातुर्वर्ण्यम् में भी ऐसा ही कहा गया है । यह उसका स्पष्ट प्रभाव है ।

देश में प्रबन्ध सम्बन्धी योग्यता की कमी के कारण ही समवाय विधि समिति ने.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रबन्ध अभिकर्ता की नियुक्ति के लिये कोई निश्चित अर्हतायें हैं कि उसे व्यापार विद्या का आचार्य होना चाहिये ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस समय हम निदेशकों की बात कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह ऐसी बातों के संबंध में संसद्-सदस्यों का उदाहरण न दें क्योंकि वस्तुतः इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि संसद्-सदस्य के लिये कोई अर्हतायें नहीं हैं, अतः कोई भी व्यक्ति संसद्-सदस्य बन सकता है । इस प्रकार की बात कहने से ग़लतफ़हमी पैदा हो सकती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे खेद है, पर मेरा अभिप्राय "जिनमें विशेष प्रतिभा न हो" से था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कहना ठीक नहीं है कि बिना विशेष प्रतिभा के भी कोई संसद्-सदस्य बन सकता है । मैं समझता हूं कि दोनों—संसद् सदस्य एवं व्यापारी—के लिये विशेष प्रतिभा की आवश्यकता है । माननीय मंत्री को सभा में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे किसी को उत्तेजना हो ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने अर्हताओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा ।

श्री एस० एस० मोरे : उन्होंने कहा था ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे शब्दों में "अर्हताओं" शब्द नहीं आया ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति संसद्-सदस्य बन सकता है ; कोई भी व्यक्ति संसद्-सदस्य चुना जा सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : पर कोई भी व्यक्ति निदेशक नहीं चुना जा सकता ।

श्री एस० एस० मोरे : क्यों नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत संकुचित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह संसद्-सदस्यों के सम्बन्ध में कुछ न कहें ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं दूसरा दृष्टांत दूंगा । कोई भी व्यक्ति सरकारी पदाधिकारी

[श्री सी० डी० देशमुख]

नियुक्त किया जा सकता है पर किसी भी व्यक्ति को निदेशक नहीं नियुक्त किया जा सकता क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति को अपना धन सौंपना चाहता है जिसे उसका अनुभव हो और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी व्यापारिक पाठशाला में जा कर कोई इसकी शिक्षा ले । मैं यह बता रहा था कि क्यों ९ या ५० या १०० परिवारों के लोग ५०० निदेशकपदों पर हैं । मैं इसका इतिहास बताने जा रहा था ।

श्री के० के० बसु: क्या उन सभी लोगों के पास आवश्यक अर्हतायें हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक ऐसे प्रसिद्ध वकील को जानता हूं जिनका लड़का मूर्ख है । क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि किसी व्यापारी का लड़का असाधारण व्यापारी होता है ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह एक तर्क की बात है । जहां तक संसद्-सदस्यों का सम्बन्ध है, जो कुछ आप कहते हैं, मैं मानता हूं । मैं तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण देना चाहता हूं । मैं यह कह कर किसी को आघात नहीं पहुंचाना चाहता कि कोई भी व्यक्ति सरकारी अधिकारी बन सकता है, पर जब अंशधारी निदेशकों की नियुक्ति करते हैं वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाय जो वास्तव में व्यापार कर रहा हो और उसमें सफल हो । आपने ठीक कहा कि कोई भी व्यक्ति व्यापार शुरू कर सकता है, पर मुझे विश्वास है कि आप यह नहीं कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति व्यापार में सफ़लता प्राप्त कर सकता है । व्यापार में सफलता पाने वाले कुछ थोड़े से भाग्यवान लोग होते हैं जिन्हें निदेशक बनाया जाता है । यही चुनाव ठीक होता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि कोई व्यक्ति व्यापार में निपुण है और वह चुन लिया जाता है तो उसके लिये सरकार का अनुमोदन लेना क्यों आवश्यक है ?

श्री सी० डी० देशमुख: यह दूसरी बात है जिसे मेरे माननीय मित्र इस मामले के समर्थन में पेश कर रहे हैं । हम केवल यह इच्छा प्रकट करके सन्तुष्ट थे कि इस क्षेत्र को विस्तृत कर दिया जाय । हमारे पास ऐसा कोई तर्कपूर्ण मामला नहीं है जिसके आधार पर हम २० को ही सब कुछ मान लें । २० समवाय छोटे छोटे हो सकते हैं और उनकी पूंजी ५०,००,००० रुपये हो सकती है और केवल तीन समवायों की पूंजी ३० करोड़ रुपये भी हो सकती है । सिन्दरी जैसे ३० करोड़ रुपये के सरकारी समवाय के भी निदेशक हैं । चाहे आप ९ या १० समवाय या १९ समवाय और जोड़ देते हैं और १,००,००,००० रुपये और मिला देते हैं तो इससे कोई बड़ा अन्तर नहीं पड़ता । साथ ही, ऐसे मामलों में एक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने चाहियें कि वह क्या चाहता है और यदि उससे निदेशक-पदों को इकट्ठा करने की आदत में कोई सुधार नहीं होता तो आगे की अवस्था में जाने से कोई लाभ नहीं । अतः सिद्धान्ततः ऐसा हो सकता है कि समवाय के छोटे बड़े होने या उसके अंश पूंजी के आधार पर निदेशक-पदों को निश्चित करने की काफ़ी गुंजाइश दिखाई देती हो, पर यह आधार हमें ग़लत रास्ते पर ले जा सकता है । इसके अतिरिक्त छोटे समवायों की देखभाल करने में जितना समय और जितना प्रयत्न निदेशक को करना पड़ता है उतना समय और प्रयत्न बड़े समवाय के प्रबन्ध में भी लगाना पड़ता है ।

जैसे, नये समवाय के मामले में निदेशक को एक चालू समवाय की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है। बोर्ड के निदेशकों की संख्या और उनकी योग्यता के अनुसार निदेशक का उत्तरदायित्व कम और अधिक भी होता है। हम यह महसूस करते हैं कि संविधि की बारीक़ियों में जाना सम्भव नहीं है और इस में कोई लाभ नहीं है कि हम निदेशकों की संख्या नियत करें। यह सारी बात अंश पूंजी पर निर्भर है और अकेले उस से इस समस्या का पूरा हल नहीं होता।

अंशों के आधार पर निदेशक हो सकने की समस्या भी है जिस का श्री गुप्त ने भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि केवल ५०० रुपये के अंश खरीदने पर ही किसी व्यक्ति को निदेशक बन सकने की अनुमति होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी अर्हताओं के बारे में विधि में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यदि कम्पनी चाहे तो वह अपने अन्तर्नियमों में यह निर्धारित कर सकती है कि कितने मूल्य के अंश खरीदने पर कोई व्यक्ति निदेशक बन सकता है। विधेयक में तो केवल यह कहा गया है किसी अन्तर्नियम में ५,००० रुपये से अधिक मूल्य के अंश खरीदे जाने की अर्हता की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये। कंम्पनी अंशों के सम्बन्ध में ऐसी अर्हता निर्धारित करे या न करे, यह उस की मर्ज़ी पर है। इसलिये इस सम्बन्ध में यह कहना आसान नहीं है कि ५००० रुपये की इस अधिकतम राशि को विधि द्वारा ही कम कर दिया जाय क्योंकि यह प्रश्न कम्पनी के स्वविवेक में है।

श्री साधन गुप्त : स्वविवेक की भी तो सीमा होनी चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख: यह मामूली बात है। यदि यह ख़तरा है कि कम्पनी निदेशक न रखने की ख़ातिर ५००० रुपये से अधिक की सीमा रखेगी तो यह उस की मर्ज़ी है। यदि कम्पनी यह महसूस करती है कि उसे अपने मामलों को विनियमित करने के लिये यह कसौटी रखनी चाहिये कि किसी व्यक्ति के पास अंश ख़रीदने के लिये ५००० रुपया होना चाहिये तो यह उस का अपना मामला है और हमें इस बात से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : कम्पनियां तो समय समय पर अपने अन्तर्नियम बदलती रहती हैं। शुरू में कम्पनी छोटी होती है तो कम मूल्य के अंशों की अर्हता रखी जाती है और बाद में यह राशि बढ़ा दी जाती है।

श्री सी० डी० देशमुख : वे ऐसा कर सकती हैं। मेरे विचार में सब से अच्छी बात यही है कि इस में ऐसी गुंजाइश रहने दी जाय।

इसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं अब श्री अशोक मेहता द्वारा कही गयी उन बातों का उल्लेख करूंगा जिन का मैं ने अन्य वक्ताओं द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देते समय जवाब नहीं दिया है। यह निदेशकों के गठजोड़ का प्रश्न है। यह तो वित्त के गठजोड़, निदेशकों के गठजोड़ और कम्पनयिों के वित्त सम्बन्धी गठजोड़ की पुरानी समस्या का एक पहलू मात्र है। हम ने यह महसूस किया कि विधेयक में प्रबन्ध अभिकर्ताओं के सहकारियों के सम्बन्ध में जो उपबन्ध हैं उन से निदेशकों का ऐसा गठजोड़ बहुत कुछ कम हो जायगा और हमारा विचार है कि निदेशकों की शक्तियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उन से ऐसे गठजोड़ की बुराइयां और कम हो जायेंगी। श्री अशोक मेहता ने एक ओर तो बात बैंकों और बीमा कम्पनियों के निदेशकों के गठजोड़ और दूसरी ओर संयुक्त स्कन्ध समवायों (ज्वायंट स्टाक कम्पनियों) के निदेशकों के

[श्री सी० डी० देशमुख]

गठजोड़ की चर्चा की है। संयुक्त स्कन्ध समवायों (ज्वायंट स्टाक कम्पनियों) और बैंकों और बीमा कम्पनियों के निदेशकों के गठजोड़ से आर्थिक शक्ति के केन्द्रण की जो समस्या उत्पन्न होती है उसे प्रशासन द्वारा हल किया जा सकता है और हमारा विचार है कि क्योंकि नामनिर्देशित व्यक्तियों को निदेशक नियुक्त करने की प्रथा बड़ी प्रचलित है इसलिए चाहे कितने ही क़ानून बनाये जायें, कानूनों से इस बुराई को दूर नहीं किया जा सकता। हम ऐसा सोचते हैं कि अब जब कि समवाय विधि के प्रवर्तन के लिये एक नये विभाग की व्यवस्था कर दी गई है, यह विभाग कम्पनियों के कामों की भली भांति निगरानी कर सकेगा और साथ ही बैंकों और बीमा कम्पनियों के साथ सांझे निदेशकों द्वारा सम्बन्ध पर भी निगाह रख सकेगा। यह विभाग रिज़र्व बैंक और बीमा विभाग के साथ परामर्श कर के इस गठजोड़ की बुराइयों को दूर करने के लिये सुझाव दे सकेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह बात और कई चीज़ों पर भी लागू होती है। और कई मामलों में भी सभा ने यह महसूस किया है कि हमें विनियमन के बारे में कुछ और उपबन्ध करने चाहियें। हमारी एक कठिनाई तो यह है कि हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल ताज़े आंकड़े हैं। यह सच है कि समय समय पर संस्थाओं या विशेषज्ञ समितियों के सामने साक्ष्य दिया गया हो। तदर्थ जांच भी कई बार की गयी है। मैं ने यह माना है कि पहले समवाय विधि का प्रवर्त्तन कराने वाले लोग सक्रिय और सचेत नहीं रहे हैं। बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि यह प्रवर्तन छिपा ही रहा है।

हमें आशा है कि अब हम यह सब बदल डालेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस नये विभाग के साथ एक अच्छा गवेषणा विभाग भी होगा और कुछ ही वर्षों में हमारे पास काफ़ी तथ्य और आंकड़े होंगे जो अधिक ठीक होंगे और जिन के आधार पर हम कम्पनियों के विनियमन के सम्बन्ध में यह निर्धारित कर सकेंगे कि क्या नीति हो और क्या कार्यवाहियां की जायें।

फिलहाल तो प्रश्न वास्तव में अपनी धारणा बनाने का है। जिन माननीय सदस्यों का विचार दूसरा है उन्होंने कहा है कि संयुक्त समिति या वित्त मंत्री ने अमुक अमुक बात पर विचार नहीं किया है। सच यह है कि हम ने इन बातों पर ध्यान दिया है। परन्तु सभी के पास एक से तथ्य नहीं हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास, जो इस विषय का अध्ययन करता है, बहुत से एक जैसे तथ्य हैं। अन्त में परिणाम होता है मतभेद जो ईमानदारी के आधार पर है अर्थात् मतभेद इस बात पर होता है कि अमुक बात का अमुक परिणाम होगा अथवा नहीं और अमुक उपाय से मामला सुधरेगा या नहीं। जब कोई इस स्थिति में पहुंच जाय तो सिवाय यह कहने के और कोई चारा नहीं रहता कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं और माननीय सदस्यों को इस बात की शिक़ायत नहीं होनी चाहिये कि और लोग हर बात पर उन से सहमत नहीं हैं। बात केवल यह है कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उस पर विधान सम्बन्धी ज़िम्मेदारी के अतिरिक्त कार्यपालिका की ज़िम्मेदारी भी है, अर्थात् वही विधान-मण्डल कार्यपालिका से पूछेगा कि वह किसी बात को उचित ढंग से विनियमित करने में सफल हुई है या नहीं या औद्योगिक क्षेत्र में योजना के अन्य पहलुओं के लक्ष्य पूरे हुये हैं या नहीं। इसलिये कार्यपालिका की यह प्रवृत्ति रहती है कि वह इस सभा के कुछ सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुदार दृष्टिकोण से काम लेती

हैं । इस मामले में यही कठिनाई है । ऐसी बात नहीं है कि सरकार लाभ या हानि को नहीं देखती है । उसे इस बात का ध्यान रहता है कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और प्रश्न यह है कि जो तथ्य आदि आप के पास हैं उन के आधार पर अपनी धारणा बनायी जाय । यह बात अनुपाती प्रतिनिधित्व के विवादग्रस्त प्रश्न पर विशेष रूप से लागू होती है । संयुक्त राज्य अमरीका में हमारे राजदूतावास में एक प्रतिनिधि--वित्त परामर्श-दाता—हैं और मैं ने उस से पूछताछ करवाई कि उस देश में यह पद्धति कैसे चल रही है । मैं यह जानना चाहता था कि मोटे तौर पर कितने प्रतिशत कम्पनियों में यह संचयी मतदान की व्यवस्था रहती है, इस तरीक़े के सम्बन्ध में उन के विचार क्या हैं और निदेशकों के चुनाव का यह तरीक़ा व्यवहार में कैसा रहा है : अर्थात् इस से निदेशक बोर्डों के सुचारु रूप से काम करने पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं । इसी पहलू के कारण सामने बैठे सदस्यों को चिन्ता हो रही थी । मुझे पता यह चला—मैं सारा पढ़ कर नहीं सुना रहा हूं—कि कुछ समय से अमरीका के कुछ राज्यों में यह तरीक़ा अपनाया गया है । इसे सामान्य विधि नहीं समझा जाता और न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि इसे तभी ठीक माना जा सकता है जब कि इसके प्रयोग के लिये विधि द्वारा उपबन्ध किया गया हो । मेरा विचार है कि अमरीका के ४९ राज्यों में से २१ ने इस बात पर जोर दिया कि संचयी मतदान का उपबन्ध होना चाहिये । अर्थात् २१ राज्यों में उनके संविधान में संचयी मतदान का उपबन्ध किया गया है । १७ राज्यों न, जिन में न्यूयार्क, न्यू जरसी और डेलावेयर भी हैं, ऐसे विधान बनाय हैं जिन के अधीन कम्पनियों को यह अनुमति है कि वे चाहें तो संचयी मतदान का उपबन्ध कर सकती हैं । दस से अधिक राज्यों ने संचयी मतदान का उपबन्ध नहीं किया । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि अमरीका में सारा मतदान संचयी मतदान होता है । वहां भी अन्तर हैं—१३ राज्यों में यह अनिवार्य है, १७ में ऐच्छिक है और १० राज्यों में इस बारे में कोई उपबन्ध ही नहीं किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : बाक़ी ९ राज्यों में क्या स्थिति है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हमें उन ९ राज्यों के सम्बन्ध में पता नहीं है । २१ राज्यों में उपबन्ध है परन्तु १३ में यह अनिवार्य है, यह ऐच्छिक भी हो सकता है । अन्तर यहीं तो पड़ता है । २१ राज्यों में संचयी मतदान के उपबन्ध पर ज़ोर दिया जाता है । इन में से १३ के विधान में इसे अनिवार्य रखा गया है । १७ राज्यों में ऐसे विधान पास किये गये हैं जिन के अधीन इस की अनुमति है और १० अन्य राज्यों में एसा कोई उप-बन्ध नहीं है । पता चला है कि सब मिला कर देखा जाय तो जिन राज्यों में ऐसे उप-बन्ध की अनुमति है वहां बनाई गयी कम्पनियों ने संचयी मतदान का उपबन्ध करना ज़रूरी नहीं समझा जिस की कि उन राज्यों के संविधान के अधीन अनुमति है । इन राज्यों ने अपनी विधियों में इस का उपबन्ध नहीं किया । यही तो अन्तर है । संविधान में कोई उपबन्ध है और राज्य कोई कानून बना कर उसे लागू कर देते हैं । अधिकांश निगमों ने जिन के पास प्रतिभूतियां हैं, ऐसा उपबन्ध नहीं किया । इस विधान के अतिरिक्त १९३३ के बैंकिंग अधिनियम में देश के ५००० राष्ट्रीय बैंकों के निदेशकों के सभी चुनावों में संचयी मतदान की व्यवस्था की अपेक्षा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह बात सभी बैंकों पर लागू होती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह उन बैंकों पर लागू होती है जिन्हें "राष्ट्रीय बैंक"

[श्री सी० डी० देशमुख]

कहा जाता है । कुछ "फेडरल बैंक" भी हैं । मेरा विचार है कि "राष्ट्रीय बैंक" उन बैंकों को कहा जाता है जो किसी राज्य के हों न कि सारे राष्ट्र के जिन्हें कि "फेडरल बैंक" कहा जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात अन्य कम्पनियों के विपरीत बैंकों पर ही क्यों लागू होती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : साधारणतया यह महसूस किया जाता है कि जनता की सुविधाओं सम्बन्धी कम्पनियों और जिन कम्पनियों में जनता की साधारण से अधिक हित रहता है, उन में संचयी मतदान अधिक अच्छा समझा जाता है । बैंक तो विशेष प्रकार का उद्योग है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये वहां प्रबन्ध अधिकर्ता भी नहीं होते ।

श्री सी० डी० देशमुख: यहां भी कुछ विभेद हैं ।

कुछ कम्पनियों के निदेशकों के पदों के लिये होने वाले मुक़ाबिलों के अनुभव के विश्लेषण से पता चलता है —मेरा मतलब है विवादों के सम्बन्ध में—कि जब कि संचयी मतदान के उपबन्ध वाली कम्पनियों की संख्या ४० प्रतिशत है, अर्थात् १०० में ४० ऐसी कम्पनियां हैं परन्तु इन में मुक़ाबिले ६० होते हैं और बाक़ी कम्पनियों में ४० ही । इसलिये श्री तुलसीदास द्वारा प्रकट की गयी राय की—कि संचयी मतदान में विवादों की अधिक संभावना रहती है—इन आंकड़ों से कुछ पुष्टि होती है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या हम यह नहीं कह सकते कि संचयी मतदान की प्रणाली होने के कारण लोगों को निदेशक के पद के लिये चुनाव लड़ने का अधिक प्रोत्साहन मिलता है न कि यह कि अधिक झगड़े होते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : सम्भव है । मैं यह नहीं कहता कि यह बात अच्छी है या बुरी । न ही मैं यह कह सकता हूं कि ये प्रतिवाद अच्छे हैं या बुरे । मैं तो उस जानकारी का हवाला दे रहा हूं जो मुझे मिली है । मैं ने सोचा था कि चूंकि सभा ने इस मामले में बड़ी दिलचस्पी ली है, यह जानकारी उस के लिये रुचिकर होगी ।

इसलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जिन कम्पनियों में संचयी मतदान होता है उन में निदेशक के पदों के लिये अधिक उम्मीदवार होते हैं । माननीय सदस्यों का कहना है कि यह अच्छी बात है । आप यह कह सकते हैं कि हमें इस बात की आशा है परन्तु यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य निदेशकों के चुनाव के बाद निदेशक बोर्ड में होने वाले झगड़ों से है तो और बात है । इसलिये एक अर्थ इस का यह है कि अनुपाती मतदान के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि अधिक लोग मत देने में दिलचस्पी लेते हैं और ऐसा नहीं होता कि किसी एक के मरज़ी के ही लोग चुने जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : निदेशकों के बोर्ड में यह कैसे चलता है, क्या इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई सूचना नहीं है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन मुख्य राज्यों—मैं ने कहा है कि जिन १७ राज्यों के विधान में संचयी मतदान की अनुमति है उन में न्यूयार्क, न्यू जरसी और डेलायर भी हैं—में कुछ कम्पनियों का ४५ प्रतिशत कम्पनियां हैं । ये बहुत बड़े राज्य हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो ऐच्छिक बात है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : कितनों ने संचयी मतदान की व्यवस्था करने की अपनी इच्छा का प्रयोग किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : ११ प्रतिशत ने । हमने जांच की है जिस से पता चलता है कि जिन राज्यों में संचयी मतदान के उपबन्ध की अनुमति है उन में बनी १८९ कम्पनियों—ये कम्पनियां विचित्र उद्योगों की फर्मों में से नमूने के तौर पर चुन ली गयीं थीं —में से केवल २१ कम्पनियों अर्थात् ११ प्रतिशत ने संचयी मतदान के सम्बन्ध में अपने अधिकार का प्रयोग किया है । इसलिये हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन राज्यों में अधिक महत्व-पूर्ण कम्पनियों ने संचयी मतदान का उपबन्ध करना ठीक नहीं समझा । इस से उन लोगों की इस दलील को बल मिलता है, जो इस का पक्ष ले रहे हैं, कि यदि आप इस की अनुमति मात्र रहने दें तो आप यह आशा छोड़ सकते हैं कि यह प्रणाली इस देश में कभी चालू हो सकेगी ।

श्री के० के० बसु : क्या इससे यह पता चलता है कि वहां यह प्रणाली बढ़ रही है या कम हो रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसकी प्रवृत्ति के विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है कि राज्यों को यह विकल्प कब दिया गया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

इस मतदान प्रणाली के प्रभाव के विषय में पत्र में यह कहा गया है कि यह तो तभी बताया जा सकता है जब विभिन्न समवायों में प्रचलित मतदान पद्धति पर गवेषणा की जाये । इसमें कहा गया है : "निदेशक बोर्ड में अल्पसंख्यक अंशधारियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति बोर्ड के प्रबन्धकों की गतिविधि को संयत रखती है" । ऐसी ही बात यहां भी कही गयी है । परन्तु, व्यावहारिक रूप में, यह देखा गया है कि इसका समवाय के दिन प्रतिदिन के कार्य पर, जो कि अनिवार्यत: बहुसंख्यक अंशधारियों के प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

सामान्यत: यह पता चला है कि जो निगम कुछ ही लोगों के हाथ में हैं उनमें बहुसंख्यक अंशधारियों की और जो निगम बहुत से लोगों के हाथ में हैं उनमें प्रबन्धकों तथा बोर्ड की स्थिति अल्पसंख्यक अंशधारियों के मुक़ाबले बहुत अधिक दृढ़ होती है । संचयी मतदान या अनुपाती प्रतिनिधित्व की किसी भी प्रणाली से बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं बन जाते । हमे जो रिपोर्ट मिली है उसमें कहा गया है कि संचयी मतदान से, व्याव-हारिक रूप से, प्रबन्धकों अथवा बहुसंख्यकों की स्थिति कमज़ोर नहीं होगी । इसलिये सैद्धान्तिक रूप से मुझे इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना है क्योंकि सारी चीज़ अवसर पर निर्भर करेगी ।

मुझे इस सम्बन्ध में यह भय है कि कहीं इस प्रणाली के फलस्वरूप छोटे छोटे वर्गों में, जिनके पास पर्याप्त बहुमत न हो, परस्पर झगड़ा न चल जाये क्योंकि वे समवायों के बोर्डों में अपने दो-तीन निदेशक भेजना चाहेंगे । इस चीज़ की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या बीमा समवायों में ऐसी कोई कठिनाई आई है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक बीमाधारियों, ऋण पत्रधारियों श्रमिकों

[श्री सी० डी० देशमुख]

जैसे अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, उनके लिये एक संख्या निश्चित रहती है। मैं जो बात कह रहा था वह भिन्न है। मान लीजिये हम प्रबन्ध अभिकर्ता को नहीं रखते हैं। अब हो सकता है कि कुछ अन्य वर्ग आपस में मिल कर उसे बोर्ड में भी न आने दें। परन्तु यदि अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली अपनायी जायेगी तो वह अवश्य चुना जायेगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम संरक्षित रखना चाहते हैं। हमारा विचार यह है कि साधारण अंशधारी को, जो किसी को चुनना चाहे, मौक़ा मिलना चाहिये। हां, इस प्रणाली से यह डर बना रहेगा कि कहीं छोटे छोटे वर्ग समवाय में सत्ता प्राप्त करने के लिये आपस में न झगड़ने लगें। यह भी सच है कि यह प्रणाली ब्रिटेन मे या, जहां तक मुझे ज्ञात है, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों में प्रचलित नहीं है। मुझे बम्बई शेयर होल्डर्स असोसियेशन से दिनांक २० अगस्त, १९५५ का जो पत्र मिला है उसमें यह स्पष्टतः कहा गया है कि वे चाहते हैं कि यह प्रणाली चालू की जाये। मुझे बम्बई स्टाक एक्सचेंज से भी एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि वे इस प्रणाली के पक्ष में हैं। इसलिये हमारा ख्याल है कि चूंकि अभी शुरुआत ही है, हम इसके फायदे देखें। यदि इसमें गुण होंगे तो किसी न किसी पर इस का प्रभाव पड़ेगा ही। यदि अंशधारियों को यह प्रणाली पसन्द आ जाये तो हो सकता है कि वे लोग, जो अंशधारियों को मताधिकार दिये जाने के लिये उत्सुक हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करें जिसके द्वारा अंशधारियों को समवायों में विश्वास हो। मैं समझता हूं कि यदि हम मामले को यहीं छोड़ दें तो हमें कोई विशेष हानि नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : बाद में यदि बहुत से अंशधारी ऐसा करने के लिये कहे और कुछ अंशधारी, जिनके पास बहुत अधिक अंश हों, ऐसा करने के लिये तैयार न हों, तो क्या सरकार द्वारा हस्तक्षेप किय जाने की सम्भावना है ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर नहीं बल्कि शक्ति के दुरुपयोग के प्रश्न पर। यदि शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो विभिन्न अन्य धारायें हैं जिनमें हमसे सरकारी निदेशक नियुक्त करने की प्रार्थना की जाने आदि का उपबन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि बहुत से लोग उचित रूप से यह मांग करें कि अनुपाती प्रतिनिधित्व की अनुमति दी जाये, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में यह एक बात होगी जिसके आधार पर हम यह निर्णय करेंगे कि दो सरकारी निदेशक नियुक्त किये जायें या नहीं। स्पष्ट यह है कि यह ऐसा मामला होगा जिसमें किसी समवाय ने अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की हो। यदि जांच के बाद मालूम हुआ कि ऐसा किया गया है, तो दो निदेशक नियुक्त करने की शक्ति हमारे पास है।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं आप का ध्यान खंड ४०७ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अधीन सरकार को अत्याचार या कुप्रबन्ध रोकने के लिये शक्ति दी गई है। क्या सरकार अनुपाती प्रतिनिधित्व के अभाव में इन उपबन्ध के प्रभाव पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को ऐसे दो निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है, जो अंशधारी न हों ? क्या ऐसा कोई प्रतिबन्ध है कि वे अंशधारी ही हों ? यदि

शर्तें पूरी कर दी गई हों, तो क्या वकल्पिक रूप में सरकार अन्य अंशधारियों को नियुक्त नहीं कर सकेगी ?

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अल्मोड़ा---दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली---उत्तर) : सरकार को इस बात के सम्बन्ध में भी सन्तुष्ट होना चाहिये कि निदेशक बोर्ड में लिये जाने वालों का उद्देश्य परेशान करना और धोखेबाजी न हो ?

श्री सी० डी० देशमुख : आप के सुझाव का काफ़ी महत्व है और खंड ४०७ पर चर्चा के समय हम इस पर विचार करेंगे । इससे एक रास्ता निकल आता है अर्थात् इस का क्षेत्र कुछ बढ़ जाता है । यदि हम ने अनुभव किया कि अनुज्ञापक उपबन्ध से लाभ नहीं उठाया गया, तो उचित मामले में हम कह सकते हैं "आप को एक विशिष्ट तरीक़े से अपने प्रतिनिधि चुनने के लिये कहा गया था ; आप ऐसा नहीं कर सके । अब हम यह समझते हैं कि दो निदेशक नियुक्त करना संतोषजनक नहीं होगा क्योंकि जिन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ है, उन के तीन साल से अधिक अवधि तक जारी रहने की सम्भावना है और हमें सम्भवतः नई मंजूरी देनी पड़े । अतः आप के मामले में हमे अनुपाती प्रतिनिधित्व का तरीक़ा प्रयोग करना चाहिये" ।

श्री के० के० बसु : अब उपबन्ध यह है कि समवाय को संकल्प द्वारा यह स्वीकार करना है । क्या अभिप्राय यह है कि यदि समवाय अन्तर्नियमों में संशोधन न करे, तो भी सरकार इसे लागू कर सकती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह खंड ४०७ का भाग है । स्पष्ट है कि आप यह आशा नहीं करेंगे कि सरकार इन अन्तर्नियमों का अनुसरण करे, जब कि इन पर कोई शर्त लगा दी गई हो । मैं इतना कह सकता हूं कि यह एक अच्छा तरीक़ा है । यदि मुझे विश्वास होता कि ऐसा परिवर्तन करने से ३०००० समवायों को कुछ नहीं होगा तो मैं कह सकता हूं, "ठीक है, आप अनुपाती प्रतिनिधित्व का अनुसरण कीजिये" । मैं कुछ व्यापारियों के अनुभव की उपेक्षा नहीं कर सकता । मैं नहीं कह सकता कि हर समय उन का स्वार्थ होता है । विरोधी पक्ष में ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही व्यापार में बिता दिया है और उन का कहना है कि उन के अनुभव के अनुसार इस से बहुत झगड़े पैदा होंगे । इस के विपरीत इस ओर एक और योग्य व्यापारी हैं जिन की आयु कुछ कम है----और इन का कहना है कि इस से कोई परेशानी नहीं होगी । मैं इन दोनों विचारधाराओं की क़द्र करता हूं । ऐसा निर्णय करने में जिस से अधिनियम के लागू होने पर ३०,००० समवायों पर तुरन्त प्रभाव पड़ेगा संकोच करने का उत्तरदायित्व इस समय मुझ पर ही है । इस नम्रता के कारण ही मैं यह नहीं कह सकता कि हम इसे लागू करेंगे । शक्ति हमारे पास है और कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही जो बदली न जा सके । इस मामले पर अब विस्तारपूर्वक विचार हो चुका है हम इसके गुणावगुण जानते हैं । अब हम देखेंगे कि समवाय विधि-प्रशासन का, जिस में अब पहले से बहुत अधिक कर्मचारी होंगे, इस विषय में क्या अनुभव रहता है । मेरे विचार में सदन को चाहिये कि वह हमें इस मामले की कुछ और जांच करने दे और खंड ४०७ पर तत्काल विचार करने दे ताकि, यह देखा जाये कि इसमें कोई सुधार किया जा सकता है ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा सुझाव यह है कि इस खण्ड को लागू करने के लिये और शक्ति का दुरुपयोग रोकने के

[श्री एस० एस० मोरे]

लिये सरकार को खंड २६४ के अधीन शक्ति लेनी चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह निजी सीमित समवायों पर भी लागू होता है । श्री सी० सी० शाह के तर्क दोनों ओर वार करते हैं । उन्होंने कहा था कि हमें इस को निजी सीमित समवायों पर लागू करना चाहिये, क्योंकि जहां तक निदेशकों का सम्बन्ध है, उन्हे पूरी स्वतन्त्रता है । आयु की कोई सीमा नहीं है । वे विशेष शर्त लगा सकते हैं । मैं अनुभव करता हूं कि इस अव्यवस्था की स्थिति में संचयी मत की शर्त लगाने से कोई लाभ नहीं होगा । इस से स्थिति में अधिक सुधार नहीं होगा । यदि आप सुधार करना चाहते हैं, तो आप को अन्य सब खंडों पर भी विचार करना चाहिये । यदि आप यह निर्णय करते हैं कि निजी सीमित समवायों के मामले पर कोई प्रतिबन्ध न हो, तो केवल इसे लागू करने से लाभ नहीं होगा । इसी कारण से संशोधन संख्या ५५० स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री सी० सी० शाह : हमें निजी समवायों के प्रति अपने सम्पूर्ण दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : जैसा कि समवाय विधि समिति ने बताया था, समवाय विनियम की प्रणाली एक विशेष विचार-धारा पर आधारित है और वह यह है कि आवश्यक विनियमन कम से कम हो, ताकि अंशधारियों को शनैः शनैः अपने काम की देखभाल स्वयं करने के लिये प्रशिक्षित किया जा सके । जब अनुभव से यह मालूम होगा कि वे ग़लत रास्ते पर जा रहे हैं, तो हम उन्हें उनकी ग़लती के परिणामों को बचाने के लिये विधि को लागू करेंगे । श्री मुरारका को मैं एक और प्रश्न के बारे में इसी प्रकार का उत्तर दूंगा । उन्होंने पूछा था कि हम उन लोगों के द्वारा जो अच्छी तरह जानते है कि उन का हित किस में है और रुपया किस का लगा हुआ है, प्रबन्धक अभिकर्ता के अनुमोदन मे हस्तक्षेप क्यों किया जाये । मेरा उत्तर यह है कि हमारा अनुभव यह है कि इस शक्ति का अंश धारियों के हित में दुरुपयोग किया गया है । कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यक्ति से पत्र प्राप्त हुआ था, जो अपने आप को एक निजी सीमित समवाय का प्रबन्ध निदेशक बतलाता है । उस ने विभिन्न बुराइयों की ओर ध्यान दिलाते हुये कहा है : " इस समय पंजीयक (रजिस्ट्रार) केवल नाममात्र का है और वह कुछ भी नहीं कर सकता । निजी सीमित समवाय को अधिकांश अंशधारी स्कूल के लड़कों को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर देते हैं, जिन्हे १५०० रुपये मासिक के न्यूनतम पारिश्रमिक के अतिरिक्त मोटर कार के और अन्य सब प्रकार के खर्च मिलते हैं" । अल्पसंख्यक अंशधारियों को इस तरह ठगा जाता है और यह शिकायत एक समवाय के प्रबन्ध निदेशक ने की है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह धारा निजी समवायों पर भी लागू होती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक अंश-धारियों का सम्बन्ध है, प्रश्न यह था कि क्या हमें धन लगाने वाले लोगों के प्रबन्ध अभिकर्ता नियुक्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहिये । चाहे यह निजी सीमित समवाय हो या सार्वजनिक सीमित समवाय हो, मेरे विचार में ख़तरा और भी अधिक है क्योंकि अंशधारियों का समवाय के मामलों पर नियन्त्रण नहीं रहेगा । यह

खतरा भी है कि किसी अक्षम व्यक्ति को प्रबन्ध निदेशक बना दिया जाय । मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने दामादों को और अन्य लोगों को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त कर रखा है । हम केवल शक्ति के दुरुपयोग की जांच करना चाहते हैं, हम प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करने का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते । दूसरे शब्दों में, हम सीमित समवायों के लिये संघ लोक सेवा आयोग का काम नहीं करना चाहते उद्देश्य स्वयं बहुत सीमित है और १९५१ में सदन ने इसे पसन्द किया था और चूंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इस प्रकार की बुराइयां भविष्य में नहीं होंगी हम ने इन अस्थायी उपबन्धों को स्थायी बनाना उचित समझा है ।

अब मैं उस छोटी सी त्रुटि का उल्लेख करता हूं जो खंड २६० में है । मेरे विचार में श्री नथवानी और श्री मुरारका और जहां तक संशोधन संख्या ४२० का सम्बन्ध है, श्री त्रिपाठी की बात बहुत हद तक ठीक है । इस लिये मैं संशोधन संख्या ४२० और ४२१ स्वीकार कर रहा हूं । मैं श्री बसु का संशोधन स्वीकार नहीं कर रहा । मेरा सुझाव है कि वर्तमान खंड २६०(१) (च) के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :

"any associate or employee of the managing agent; or"

[प्रबन्ध अभिकर्ता का कोई सहकारी या कर्मचारी ; या]

मैं यह सचिव को दे रहा हूं ।

निदेशकों को हटाने के बारे में मैं खंड २८३ के सम्बन्ध में श्री मुरारका के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि निदेशकों को केवल विशेष संकल्प द्वारा हटाया जाये । आप देखेंगे कि इन्हें साधारण संकल्प द्वारा नियुक्त किया जाता है और इस लिये इन्हें साधारण संकल्प द्वारा ही हटाया जाना चाहिये । ब्रिटेन की समवाय विधि में ऐसा उपबन्ध है और समवाय विधि समिति ने भी यही सिफ़ारिश की है ।

अब मैं खंड २७३ को लेता हूं ।

श्री मुरारका : माननीय मंत्री के अगले खण्ड पर बढ़ने से पूर्व क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि कम से कम खण्ड ४०७ के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों को खण्ड २८३ के अधीन नहीं हटाया जाना चाहिये ?

श्री सी० डी० देशमुख : इसके लिये माननीय सदस्य द्वारा कोई भी संशोधन नहीं रखा गया है ।

श्री त्रिवेदी ने, खण्ड २७३ के सम्बन्ध में जो निदेशकों की अनर्हताओं के विषय में है, यह सुझाव दिया था कि किसी भी व्यक्ति को केवल इस कारण अनर्ह न समझा जाये कि उस पर किसी अपराध के लिये न्यायालय में अभियोग चलाया गया था और उसे छः मास से कम सज़ा नहीं हुई थी, जब तक कि उस पर नैतिक पतन सम्बन्धी अपराध के लिये अभियोग न चलाया गया हो । संयुक्त-समिति में हमने इस चीज़ पर कुछ विस्तार-पूर्वक विचार किया और हम नैतिक पतन की कोई संक्षिप्त परिभाषा पर सहमत न हो सके । उदारहणार्थ, एक प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या मद्यनिषेध का उल्लंघन करना नैतिक पतन में आता है या नहीं । अनुभव यह किया गया था कि निदेशक की अनर्हता की वास्तविक कसौटी यह होनी चाहिये कि उसे कितने समय की सज़ा हुई थी । इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना पूर्ण अनर्हता का नहीं है । खण्ड २७३ यह बताता है कि अनर्हता दंड दिये जाने के बाद पांच वर्ष तक रहेगी । केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी व्यक्ति की उप-खण्ड (च)

[श्री सी० डी० देशमुख]

के कारण, या तो सामान्य रूप में अथवा अधिसूचना में उल्लिखित किसी समवाय या समवायों के सम्बन्ध में, हुई अनर्हताओं को दूर कर सकती है । केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार इसलिये दिया गया था कि वह किस प्रकार का अपराध है इसकी जांच करके जिन मामलों में वास्तव में कठिनाई है, सहायता दे सके । श्री त्रिवेदी ने आयु सीमा का प्रश्न भी उठाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि जिन वकीलों को एक या डेढ़ वर्ष की सज़ा मिली थी उनके नाम काट दिये गये थे । ऐसा इस आधार पर किया गया था कि वे नैतिक पतन के अपराधी थे । वहां पर इसकी परिभाषा दी गई है ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या ऐसा राजनीतिक अपराधों के लिये किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री सी० डी० देशमुख : वह परिभाषा हमारे लिये अधिक काम की न होगी । वह परिभाषा एक विशिष्ट प्रयोजन के लिये थी ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मैं माननीय वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि खण्ड २६६ (१) (ग) में "moral turpitude" [नैतिक पतन] शब्दों का प्रयोग किया गया है । यदि परिभाषा सम्बन्धी वहां पर कोई कठिनाई नहीं होगी तो उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करने से यहां पर भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । खण्ड ३८५ में भी यह आया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २६६ (१) (ग) में कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति प्रबन्ध निदेशक नहीं होगा जो भारत के किसी भी न्यायालय में नैतिक पतन के अपराध के लिये किसी भी समय सिद्ध-दोष ठहराया जा चुका हो ।

श्री सी० डी० देशमुख : तो फिर हम इस पर फिर से विचार करेंगे ।

विधि कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : क्या मैं संयुक्त समिति के विचार की व्याख्या कर सकता हूं ? संयुक्त समिति ने एक मार्ग निकाला है । "moral turpitude" [नैतिक पतन] शब्दों का प्रयोग करने के बजाय, जिसकी स्पष्ट परिभाषा करना कठिन है, उसने केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया है कि वह किसी मामले विशेष में अनर्हता को हटा सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां प्रश्न तो केवल यह है कि यदि पहले किसी खण्ड में इसकी परिभाषा की जा सकती है, तो यहां भी इसकी परिभाषा की जानी चाहिये । अतः खण्ड २७३ में भी नैतिक पतन और उचित मामलों में अनर्हता को दूर करने की शक्ति सरकार के लिये सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जा सकती है । माननीय मंत्री इस पर विचार कर सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह सम्भव होना चाहिये । निस्सन्देह इससे ऐसा जान पड़ता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को टकरा कर गिरा देता है अथवा निश्चित गति से अधिक गति से गाड़ी चलाता है तो भी उसे पांच वर्ष तक निदेशक बनने के लिये अनर्ह कर दिया जायेगा यदि इस खंड को अभी उठा रखा जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड २७३ को अभी उठा रखा जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : आयु सीमा के सम्बन्ध में हम यह अनुभव करते हैं कि

कि विधेयक के उपबन्ध काफी लचीले हैं और उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । यदि समवाय किसी ६५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने से रोकने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि वह इस प्रकार का कोई संकल्प पारित कर ले । उसके पश्चात् निगम निदेशकों का प्रश्न उठाया गया था । श्री तुलसीदास ने खण्ड २५२ का उल्लेख करते हुये कहा कि इसमें इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिये कि निगम निदेशकों की नियुक्ति का उपबन्ध हो जाये । अन्य किसी भी ओर से निगम निदेशकों के लिये कोई भी मांग नहीं की गई है और इस विषय पर समवाय विधि समिति के सुविचारित दृष्टिकोणों से भिन्नता रखने का मुझे कोई यथोचित कारण नहीं दिखाई देता है ।

तत्पश्चात्, खण्ड २५८, २६७ और २६८ को बनाये रखने का प्रश्न आता है । इस प्रश्न का निर्देश पंडित ठाकुरदास भार्गव ने भी किया था । मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं । उनकी धारणा यह जान पड़ती है कि ये खण्ड केवल प्रबन्ध अभिकर्ताओं के लिये लागू होने चाहियें, निदेशकों के लिये नहीं । जैसा कि सभा को विदित है, ये प्रतिबन्ध १९५१ के भारतीय समवाय (संशोधन) अधिनियम के द्वारा लगाये गये थे और हमारे अनुभव से इन उपबन्धों की व्यावहारिक उपादेयता प्रकट हो गई है । जैसा कि मैं कह चुका कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये बुराइयां फिर से नहीं आ सकतीं, इस कारण हम इस उपचार से अपने को वंचित नहीं रखना चाहते । हम नहीं समझते कि इन खण्डों को व्यवहार में लाने से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी क्योंकि स्वयं उनके अस्तित्व से बहुत से कदाचार होने से रुक गये हैं । मैं समझता हूं कि यह बड़ा अमूल्य सुरक्षित उपाय है ।

श्री तुलसीदास : मैं खंड २५८ (ख) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आप निदेशकों की संख्या में जितनी वृद्धि करने की अनुमति है उतनी ही वृद्धि करने के लिये भी इसमें सरकार का अनुमोदन लिये जाने का उपबन्ध है । यह चीज़ मेरी समझ में नहीं आयी ।

श्री सी० डी० देशमुख : ऐसा ही है। संख्या के सिद्धान्तानुसार आप किसी भी संख्या को अनुज्ञेय संख्या मान सकते हैं ।

श्री तुलसीदास : बात यह है कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन खण्डों की आवश्यकता प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के कारण होती है । अतः मैं कहता हूं कि इन खण्डों को निकाल क्यों न दिया जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह दूसरी चीज़ है । यहां प्रश्न यह है कि यदि अन्तर्नियमों में एक सीमा रखी जाती है, तो आप इस पर आपत्ति क्यों करते हैं ? मैं कहता हूं कि अन्तर्नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नये समवाय २०० निदेशक रख सकते हैं जिससे उन्हें मंजूरी के लिये कभी भी सरकार के पास न जाना पड़े । अतः मैं समझता हूं कि उनका रखना आवश्यक है ।

एक छोटी सी बात और है अन्यथा श्री अय्युण्णि नाराज़ होंगे । यह खण्ड २६३ के सम्बन्ध में संशोधन संख्या ५१२ विषयक है । यह खण्ड प्रथम निदेशकों और प्रबन्ध अभिकरणों द्वारा नियुक्त किये गये निदेशकों सम्बन्धी है । जहां तक निर्वाचित निदेशकों का सम्बन्ध है, बोर्ड में उनका पुनर्निर्वाचन होने से पूर्व, ऐसे पुनर्निर्वाचन के लिये उनकी सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाती है । सामान्य बैठक बुलाते समय सदस्यों को दी जाने वाली सूचना में समवायों

[श्री सी० डी० देशमुख]

द्वारा यह बताया जाना एक आम तरीक़ा है कि अमुक व्यक्ति बारी से निवृत्ति प्राप्त करने वाला है और वह अपना पुनर्निर्वाचन कराना चाहता है अथवा नहीं । अतः हम समझते हैं कि यह संशोधन आवश्यक नहीं है ।

श्री के० के० बसु : मैं ने संशोधन संख्या ७६३ रखा है जो प्रबन्ध निदेशकों की अनर्हता सम्बन्धी खण्ड के विषय में है । उत्तर खण्ड में यह दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किये जाने के लिये अनर्ह होगा जो और बातों के साथ-साथ दिवालिया है या जिसने लोगों से धन लेकर उसका भुगतान करना बन्द कर दिया है अथवा जो भारत के किसी न्यायालय द्वारा नैतिक पतन के अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया जा चुका है । आपने निजी समवायों को तो इस खण्ड से निकाल ही दिया है । मेरी समझ में इसका कारण नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपत्ति यह प्रतीत होती है कि अनर्हतायें इस प्रकार की हैं कि निजी और सार्वजनिक समवायों में किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : संशोधन उप-खण्ड २ को हटाने के सम्बन्ध में है ।

श्री के० के० बसु : यह निजी समवायों में भी लागू होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह सिद्ध-दोष ठहराया जा चुका है, या दिवालिया हो गया है अथवा भुगतान बन्द कर दिये हैं तो ऐसे व्यक्ति पर चाहे वह निजी समवाय का हो अथवा सार्वजनिक समवाय का उस पर विश्वास नहीं करना चाहिये ।

श्री के० के० बसु : ये निजी समवाय अन्य समवायों के प्रबन्ध अभिकर्ता हैं । हमारे देश के आर्थिक जीवन में इनका अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । हम इस स्थिति को किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह उपबन्ध या तो दोनों में लागू हो या किसी में भी नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय हम किसी सामान्य चीज़ पर विचार नहीं कर रहे हैं। बात मामूली सी है । बात यह है कि अनर्हतायें गम्भीर क़िस्म की हैं जिसके लिये उत्तरदायी माननीय मंत्री नहीं वरन् संयुक्त समिति है, जिसने इसे जोड़ा है । संयुक्त समिति ने ही यह निर्णय क्यों किया ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह केवल एक ही उदाहरण नहीं है जिसमें हमने निजी सीमित समवायों को उनके साधनों पर छोड़ दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री से सम्भवतः इस बात पर ज़ोर डाला जा रहा है कि आयु के सम्बन्ध में कुछ भेद रह सकता है । छोटे सार्थ में इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता । अतः यदि ६५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो उसमें यह उपबन्ध लागू न किया जाये । कुछ इससे भी अधिक हानि रहित उपबन्ध है । किन्तु नैतिक पतन का अपराध करने वाले व्यक्ति का धन से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे यह कहना चाहिये कि मैं इसे स्वीकार कर लूंगा क्योंकि अंशधारियों के हितों की अन्य बहुत सी चीज़ों का निश्चय निजी सीमित समवाय के प्रबन्धकों द्वारा ही किया जाता है । एक निजी समिति समवाय कुछ अन्य समवायों का प्रबन्ध अभिकर्ता हो सकता है । विशेषकर

जब हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है तो मेरे यह कहने से जनता का कोई भी प्रयोजन सिद्ध न होगा कि इसे रहना चाहिये । अतः मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं ।

श्री साधन गुप्त : मैं ने एक संशोधन यह रखा था कि जो लोग करापवंचक हैं, उन्हें निदेशक नहीं बनाया जाना चाहिये ।

श्री सी० डी० देशमुख : हम जो उत्तर देते हैं, माननीय सदस्य उसे स्वीकार नहीं करेंगे । करापवंचन अपराध करने के बराबर नहीं है किन्तु संशोधन के शब्द, जहां तक मैं समझता हूं यह हैं, कि 'न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अपराधी ठहराये गये.....' यदि आप आयकर जांच अधिनियम को देखें, तो इसमें इसे न्यायालय नहीं कहा गया है बल्कि आयोग कहा गया है । यह तो एक आयोग है । जहां तक मुझे स्मरण है, 'अपराधी' शब्द कभी भी नहीं प्रयुक्त किया गया । ७५ या ८० प्रतिशत मामलों में समझौता हो गया था । दूसरे शब्दों में, आयोग ने किसी समवाय के कार्यों की जांच की और कहा कि क्या आप नहीं समझते कि इतने सूत से इतना कपड़ा देने में ग़लती हुई है और समवाय ने उत्तर में कहा हां सम्भवतः ग़लती ही हो गई है और इसीलिये हम सहमत हैं ।

इसलिये मैं नहीं समझता कि यह उस वर्ग में आता है । यह इस अर्थ में अपराध नहीं है कि कोई इसका अपराधी हो । संशोधन के शब्द किसी विद्यमान तथ्य पर लागू नहीं होते । मैं कर-अपवंचन को उचित नहीं ठहरा सकता, पर लोग जिसके अपराधी हों यह ऐसा अपराध नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : माननीय मंत्री उसे सामाजिक अपराध मानते हैं । यदि वह इसकी भावना को स्वीकार करना चाहें, तो संशोधन की भाषा को सुधारा जा सकता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण देखेंगे कि यह आसान नहीं है । दूना तिगुना दण्ड लगाया और वसूल किया जा सकता है ।

अब मैं खण्ड मतदान के लिय रखूंगा माननीय सदस्यगण संशोधन विशेष को मतदान के लिय रखना चाहें, तो बता दें । अन्यथा मैं खंडों को लूंगा ।

पहले मैं खंड २५१ से २५४ लेता हूं । कोई खड़ा नहीं हुआ, अतः मैं समझता हूं कि सम्बन्धित संशोधनों पर आग्रह नहीं किया जा रहा है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २५१ से २५४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २५१ से २५४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नये खंड २५४-क वाला संशोधन संख्या ७४१ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

खंड २५५ से २५९ के संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २५५ से २५९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*खंड २५५ से २५९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

*अध्यक्ष के आदेशानुसार खण्ड २६५ उप-खण्ड (ख) (१) और (२) के अन्त में प्रत्यक्ष गलती के रूप में 'अथवा' शब्द जोड़ दिया गया ।

अध्यक्ष के आदेशानुसार खण्ड २६६, पंक्ति ३५ में प्रत्यक्ष गलती के रूप में अंक (१) हटा दिया गया ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने संशोधन संख्या ४२० और ४२१ के बारे में एक संयुक्त संशोधन दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० डी० देशमुख का नया संशोधन इस प्रकार है : पृष्ठ १३८, पंक्ति ६ और ७ के स्थान पर

"(f) any associate or employee of the managing agent; or"

[(च) प्रबन्धक एजेंट का कोई सहकारी या कर्मचारी; या] रखा जाये ।

मुझे बताया गया है कि इसमें (च) और (छ) दोनों आ जाते हैं, तो क्या उपखंड (छ) चला जायेगा ?

श्री पाटस्कर : नहीं, नहीं । वह नया संशोधन है, पर दोनों संशोधनों की बात ले लेता है ।

श्री सी० डी० देशमुख : पृष्ठ १३८ मे, पंक्ति ६ और ७ के स्थान पर "(f) any associate or employee of the managing agent; or "

[(च) प्रबन्धक एजेंट का कोई सहकारी या कर्मचारी; या] रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय: वह मैंने कर दिया पर क्या (छ) खंड में न रहेगा ?

श्री पाटस्कर : संशोधन संख्या ४२० एक अलग संशोधन है और दोनों का प्रतिफल एक ही है । इस संशोधन के साथ मूल खंड इसी प्रकार रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब मैं इसे मतदान के लिये रख दूंगा । इस नये खंड की संशोधन संख्या ८९२ है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १३८, पंक्ति ६ और ७ के स्थान पर

"(f) any associate or employee of the managing agent; or'

[(च) प्रबन्धक एजेंट का कोई सहकारी या कर्मचारी; या] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० सी० शाह : संशोधन संख्या ४१९ और है, जो इस प्रकार है :

पृष्ठ १३७, पंक्ति ३०.

"the articles" [सीमानियमों] के बाद "or by an agreement" [या समझौते द्वारा] रखा जाये ।

क्योंकि प्रबन्धक एजेंटों को सीमा-नियमों या समझौते द्वारा अधिकार दिया जा सकता है । प्रबन्धक एजेंसी समझौते सुविदित है और समझौता ही निदेशक नियुक्त करने का अधिकार देता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १३७, पंक्ति ३० ,

"the articles" [सीमानियमों]

के बाद "or by an agreement" "[या समझौते द्वारा] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अन्य संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६०, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६१ और २६२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६१ और २६२ विधयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २६३ पर संशोधन संख्या ५१२ है । माननीय सदस्य की बात का उत्तर दिया जा चुका है । शायद वह आग्रह न करेंगे । पुनर्नवीकरण के समय सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना भेज दी जाती है । जो आदमी खड़ा नहीं होना चाहता, उसके लिय वोट बरबाद करने से क्या लाभ ? दुनिया बहुत बड़ी है और ऐसा भी हो सकता है ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : ऐसा नहीं होता । एक संसद् सदस्य कह सकता है कि वह खड़ा नहीं होना चाहता, पर बैंक या सहकारी सभा में ऐसा नहीं होता । वैसे मैं अपने संशोधन संख्या ५१२ पर नहीं, बल्कि खंड २६४ के अपने संशोधन संख्या ५१३ पर आग्रह करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २७३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

खंड २६३ विधयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५१३ मतदान के लिय रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

श्री के० के० बसु : संशोधन संख्या २२७ पर मत लिया जाये ।

श्री एन० पी० नथवानी : मैं अपने इस संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

श्री के० के० बसु : हम उन्हें उसको वापस लेने की अनुमति न देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा की नथवानी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ।

संशोधन पर मतदान २-३० म० प० तक के लिये रोक दिया गया ।

संशोधन संख्या ५१४ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६५ विधयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४०, पंक्ति ३७.

"Managing director" [प्रबन्धक निदेशक] के स्थान पर "Managing or whole time director" [प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशक] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्री के० के० बसु का संशोधन संख्या ७६३ और है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४०, पंक्तियों ४५ और ४६ का लोप कर दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अन्य संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड २६६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६६, संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४१, पंक्ति ५,

"Managing director" [प्रबन्धक निदेशक] के स्थान पर "Managing or whole time director" [प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशक] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६७, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बन ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६७ ,संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४१, पंक्ति १६,

"Managing director" [प्रबन्धक निदेशक] के स्थान पर "Managing or whole time director" [प्रबन्धक या पूर्णकालीन निदेशक] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या ८६७ सूची में न होने पर भी प्रस्तुत किया गया, मान लिया गया और मतदान के लिय रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

अन्य संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६८, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २६९ के संशोधन पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६९ से २७२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६९ से २७२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नया खंड २७२-क वाला संशोधन संख्या ७४६ मतदान के लिय रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड २७३ पर मतदान रुका रहेगा । हम खंड २७४ लेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०२ मतदान के लिय रखा गया और अस्वीकृत हुआ । खंड २७२ के संशोधन संख्या ७८१ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २७५ से २७८ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २७५ से २७८ विधयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४४, पंक्ति ४२,

"Completed" [पूरी कर ली है] के स्थान पर "attained" [प्राप्त कर ली है] रखा जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : मेरा संशोधन संख्या ५१८ मतदान के लिये रखा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५१८ मतदान के लिये रखा गया और

अस्वीकृत हुआ । अन्य संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड २७९, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २७९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २८० से २८२ के संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २८० से २८२ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २८० से २८२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४७, पंक्ति २,

"Director" [निदेशक] के बाद "(not being a director appointed by the Central Govt. in pursuance of Section 407)"

[जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा ४०७ के अनुसरण में नियुक्त किया जाने वाला निदेशक न हो] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २८३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २८३ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

नया खंड २८३–क वाले संशोधन संख्या २३२५ पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब २-३० बज चुके हैं । श्री एन० पी० नथवानी का संशोधन अब मतदान के लिये रखा जा सकता है ।

संशोधन पर मत विभाजन की मांग की गयी ।

उपाध्यक्ष महोदय : पक्ष वाले अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

श्री के० के० बसु : यह नीति का प्रश्न है । कृपया घंटी बजवा कर मत विभाजन होने दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्यों को यहां बुलाने के लिये मैं घंटी नहीं बजवा सकता । ध्वनि-मतदान पर मुझे आवश्यक न प्रतीत हो, तो मैं मत विभाजन की आज्ञा नहीं दे सकता । प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य यहां उपस्थित होना है और दल सचेतकों का काम उन्हें यहां उपस्थित कराना है । घंटी बजाकर मैं ध्वनि मत लूंगा और यदि निर्णय न कर सका तो लोगों को खड़े होने को कहुंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १३९,

(१) पंक्ति २०,

"option to" [का विकल्प] का लोप किया जाये ।

(२) पंक्ति २२ ,

"may" [किया जा सकेगा] के स्थान पर "shall" [किया जायेगा] रखा जाये ।

इस संशोधन का सार यह है कि निदेशकों का निर्वाचन बहुमत की वर्तमान पद्धति के स्थान पर संचयी मतदान प्रणाली द्वारा समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त से करने का विकल्प है । उसे वैकल्पिक न करके वे अनिवार्य बनाना चाहते हैं ।

[उपाध्यक्ष महोदय]

सभा में मत विभाजन हुआ : पक्ष में १६, विपक्ष में १०७ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अन्य संशोधनों पर आग्रह नहीं किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २६४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : रोके गये खंड २७३ को छोड़ इस वर्ग के सारे खंड अब पारित हो गये ।

आशा है, सभा दूसरे वर्ग के बारे में, जिसके लिये ११ घंटे नियत किये गये हैं माननीय वित्त मंत्री के इस सुझाव पर विचार करेंगी कि इसे दो वर्गों में बांट दिया जाये एक प्रबन्धक एजेंटों के बारे में और दूसरा सचिवों, कोषाध्यक्षों आदि के बारे में ।

श्री एम० सी० शाह : खंड २८४ से ३२२ और फिर खंड ३२३ से ३७७ ।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमें ३-३० म० प० तक साढ़े तीन घंटे मिलेंगे ।

श्री एम० सी० शाह : उसके बाद १।। घंटे ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बात तो आज या कल होगी ही । माननीय सदस्यगण कृपया देखें कि क्या इन खंडों को सुविधापूर्ण वर्गों में बांटा जा सकता है और इस पर विचार करके कल सभा में बता दें ।

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर—मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि एक विधेयक पहले ही सभा के समक्ष रखा जा चुका है और पारित हो चुका है, अतः खाद्य पदार्थ में अपमिश्रण के दंड विधान का उपबन्ध करने वाला विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण करने वाले लोगों को दण्ड देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मोटर परिवहन श्रम विधेयक

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर परिवहन श्रमिकों की स्थिति को विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मोटर परिवहन श्रमिकों की स्थिति विनियमित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार आरम्भ

करेंगी जो श्री एम० एल० द्विवेदी ने १९ अगस्त, १९५५ को प्रस्तुत किया था :

"कि बाल भिक्षा तथा आवारापन निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस पर विचार के लिये ५९ मिनट बाक़ी रह गये हैं ।

हमने सवा तीन बजे प्रारम्भ किया तथा सवा चार बजे तक का समय है । विधेयक को प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को उत्तर के लिये १५ मिनट चाहिये । इस प्रकार तीन चौथाई घंटा मिलता है । माननीय अपने भाषण को समय के विचार से कृपया संक्षिप्त करें, समय का ध्यान रखें ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : पिछली बार इसकी चर्चा के समय में ने बच्चों के लिये राज्य के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में बताया था परन्तु समाजवादी ढंग के समाज का उद्देश्य रख कर भी केवल एक दो राज्यों के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में सरकारी अनाथालय विद्यमान नहीं है । अनाथ बालकों की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये । इस लिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जिन जिन क्षेत्रों में केन्द्रीय उत्तरदायित्व है वहां अनाथालय स्थापित करें तथा अनाथालयों की स्थापना के लिये राज्यों को भी आदेश दें ।

मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि यह बहुत अनावश्यक सा है । जब तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि ठीक तरह नहीं होगी वह बेकार रहेंगे । खण्ड ३ में दिया हुआ है कि १८ वर्ष के कम बच्चे यदि आवारागर्दी करते या भिक्षा मांगते हुये पाये जायेंगे तो उन बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षकों को पकड़ लिया जायेगा । विचार धारा बड़ी अच्छी है । परन्तु शब्दों में विचारों से कहीं अधिक उपबन्ध किया गया है । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री द्विवेदी को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करते हुये यह कहना चाहती हूं कि इसमें बहुत सी कमियां हैं तथा इसलिये माननीय सदस्य को वापस ले लेनो चाहिये । खंड में बच्चों के अपराध पर कठोर दंड की व्यवस्था है । मेरा सुझाव है कि हमें बच्चों को अपराधी घोषित नहीं करना चाहिये । बड़े नगरों में भिखारी होते ही अधिक हैं तथा अधिकांशतः बच्चे ही आवारा पाये जाते हैं । बड़े खेद की विषय है तथा मेरे विचार से मानव को इसी प्रकार की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिये । परन्तु हम प्राथमिकता आर्थिक कार्यों को देते हैं । इसके अतिरिक्त हमें इसको सुलझाने के सुझाव प्रस्तुत करने चाहिये ।

सबसे पहले हमें ऐसा विधान बनाना चाहिये जिसके द्वारा ऐसे केन्द्रों का पता लगाया जा सके जहां बच्चों के जीवन को बरबाद किया जाता है । बम्बई आदि नगरों में उनके अंगभंग करके उनको भिखारी बनने के लिये विवश किया जाता है । इसलिये हमें इस सम्बन्ध में विधान बनाना चाहिये ।

दूसरे हमें गोद लेने का विधान बनाना चाहिये । इंगलैंड तथा अमरीका में इस प्रकार की विधियां हैं जिनके द्वारा वह व्यक्ति जिनके बच्चे नहीं हैं अनाथ बच्चों को गोद ले लेते हैं । इसके सम्बन्ध में मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया ह । इसलिये हमें दत्तक-ग्रहण अर्थात् गोद लेने की एक विधि बनानी चाहिये ।

तीसरे हमें बच्चों की समस्याओं का सर्वेक्षण करना चाहिये । पिछली बार जनगणना में इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये इसलिय मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करती हूं कि अगली जनगणना में

[श्रीमती जयश्री]

इस प्रकार के आंकड़े भी एकत्रित करने चाहिये ।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि हमें उपयुक्त संस्थायें बनानी चाहियें जो बच्चों की देखभाल कर सकें । इसीलिये मेरा माननीय सदस्य को सुझाव है कि इस विधेयक को वापस ले लें तथा बाल विधेयक के पारित कराने में अपना सहयोग दें ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरु (ज़िला लखनऊ—मध्य) : यह तो बिल्कुल सच्ची बात है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं वे देश का धन हैं और उनकी जितनी देखभाल की जाय वह बहुत वाजिब है ।

[**पण्डित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुये]

जब यह जड़ मज़बूत होगी तभी हमारी यह सन्तान बढ़ कर और बड़ा पेड़ बन कर हमारी सेवा करेगी और देश को सुख और शान्ति देने योग्य बन सकेगी ।

लेकिन जैसा कि अभी हमारी बहिन जी ने कहा है, इस सम्बन्ध में सरकार पहले से ही बहुत कुछ कर रही है और वह इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जाग्रत है । आज लड़कों की अच्छी तरह देखभाल करने के लिये उनकी आदतों को सुधारने के लिये और उनमें योग्यता पैदा करने के लिये तथा उनमें से बुरी आदतें निकालने के लिये चिल्ड्रन्स होम बनाये जा रहे हैं, लाइब्रेरियां और स्कूल खोले जा रहे हैं और उनके लिये हर तरह का प्रबन्ध किया जा रहा है । जो बिल हमारे माननीय सदस्य लाये हैं इसमें सरकार द्वारा जितनी सहायता दी जाय वह ठीक है, लेकिन यह काम अधिकतर सोशल वर्कर्स के करने का है । आज आवश्यकता इस बात की है कि सोशल वर्कर्स देश में अनाथालय बनायें, बालकों के लिये बैगर्स होम बनायें और जब उनका उचित प्रबन्ध होगा तो सरकार भी उनको सहायता दे सकती है । सरकार यह सारा कार्य अपने हाथ में नहीं ले सकती । इसमें जनता को सहयोग देना चाहिये ताकि बैगरी को दूर किया जा सके । इसका बहुत कुछ कारण हमारे देश की ग़रीबी भी है । इसके लिये हमारे देश के धनी लोगों को सहायता करनी चाहिये और ऐसे चिल्ड्रन्स होम्स बनाने चाहियें जहां पर उन लड़कों का पालन पोषण किया जाय जो कि अनाथ हैं और जिनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है । अगर जनता इस कार्य को करेगी तो सरकार भी उसमें सहायता देगी और इससे हमारे बच्चों को भी लाभ होगा और सरकार के कार्य का बोझ भी हलका हो जायगा ।

चिल्ड्रन के लिये एक चाइल्ड वैलफेयर बोर्ड भी बना है और उसका काम गांव गांव में हो रहा है । उसकी ओर से भी इस काम में बहुत सहायता मिल सकती है ।

इन चन्द शब्दों के साथ में यह कहना चाहती हूं कि सरकार के ऊपर यह बोझा न डाल कर माननीय सदस्य अपने इस बिल को वापस ले लें और इस कार्य को करने के लिये सोशल वर्कर्स के साथ मिल कर काम करें और फिर इसके लिये सरकार से भी सहायता लेने का प्रबन्ध करें ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर—दक्षिण) : मैं विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन करती हूं । बच्चों की देखभाल होनी चाहिये । बाल केन्द्रों की स्थापना अवश्य होनी चाहिये । तथा केन्द्रीय समान हितकारी बोर्ड को ही यह कार्य करना चाहिये । जिससे बच्चों को संरक्षण मिल सके । और वह भीख मांगना आदि बुरे कामों को न करें ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : मैं श्री द्विवेदी का आभारी

हूं जिन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार का ध्यान इस अत्यावश्यक कार्य की ओर आकर्षित किया । जहां तक विधेयक के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, श्री द्विवेदी के साथ मेरा पूर्ण सहयोग और सद्भावना है परन्तु विधेयक के उपबन्ध इतने अपर्याप्त हैं जिनसे हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है । विधेयक केवल बालकों की आवारागर्दी के सम्बन्ध में ही है जब कि हमें देश की समस्त आवारागर्दी दूर करनी चाहिये । इन समस्याओं को केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारें सुलझाने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं । यह विधेयक केवल बच्चों की आवारागर्दी तक ही सीमित है कि जो बच्चे भीख मांगने आदि का कार्य करते हैं उनको पुलिस पकड़ लेगी । परन्तु इसमें बाल केन्द्रों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है ।

बाल विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है । इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि हम भाग (क) तथा (ख) राज्यों के बालकों के लिये विधेयक नहीं बना सकते हैं । इसलिये बाल विधेयक राज्यों के लिये उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है । मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हैदराबाद, मध्य भारत, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन ने इस प्रकार के अधिनियम बना लिये हैं तथा बम्बई का बाल अधिनियम, अजमेर तथा दिल्ली पर भी लागू कर दिया गया है । परन्तु लम्बित बाल विधेयक के पारित होने के पश्चात् यह भाग (ग) राज्यों पर लागू हो जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (जिला हमीरपुर) : संविधान के अनुसार सभी व्यक्तियों को एक सम अवसर प्राप्त होगा । मैं ने माना कि केन्द्र किसी विधान को राज्यों पर लागू नहीं कर सकता परन्तु वह राज्यों को इस प्रकार के विधान बनाने के लिये बाध्य कर सकता है जिसके द्वारा सभी को समान अधिकार प्राप्त हो जायें ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस समय जितना समय लेंगे उतना समय उनके लिये निर्धारित समय में से काट लिया जायेगा अन्यथा वह अपने निर्धारित समय में सब प्रश्नों का उत्तर दें ।

डा० एम० एम० दास : आवारागर्दी के लिये केन्द्रीय सरकार विधान बना सकती है परन्तु राज्य सरकारों की सहायता की उन्हें आवश्यकता अवश्य होगी क्योंकि केन्द्रीय सरकार इतनी धनराशि व्यय करने में असमर्थ है । उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । मई में पश्चिमी बंगाल में कई सौ भिखारियों को प्रशिक्षित किया गया है । कुछ दिन पूर्व श्री आचार्य युगल किशोर ने नवीन सेवाश्रम के उद्घाटन के समय कहा था कि हम भिक्षुक केन्द्र बनाने जा रहे हैं तथा उन्होंने जनता से प्रार्थना की है कि वह भीख मांगने को रोकने में सहायता दें ।

इस लिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे वापस ले लें और बाल विधेयक के पारित होने तक प्रतीक्षा करें ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : इस विधेयक के उच्च उद्देश्यों की सराहना करते हुये मैं अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि कई एक कठिनाइयों से केन्द्रीय सरकार स्वीकार नहीं कर सकती ।

मेरे मित्र डा० एम० एम० दास ने कुछ संविधान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये हैं । मैं शिक्षा तथा आवारागर्दी के सम्बन्ध में स्थिति का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं । आवारागर्दी समवर्ती सूची के अनुच्छेद १५ में है । समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य

[श्री दातार]

सरकार तथा केन्द्रीय सरकार कोई भी विधान बना सकती है परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार तब तक कभी भी कोई विधान नहीं बनायेगी जब तक राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त न हो क्योंकि अन्त में राज्य सरकार ही इन अधिनियमों के उपबन्धों को लागू करेगी ।

जहां तक भिक्षा मांगने का सम्बन्ध है यह राज्यों का विषय है तथा दण्ड निर्धारित करने अथवा हित के सभी उपबन्धों के सम्बन्ध में राज्य विधान सभायें ही कार्यवाही करेंगी । इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि भाग (क) राज्यों ने, आसाम तथा उड़ीसा को छोड़ कर इस प्रकार के विधानों को पारित किया है । आन्ध्र, बिहार, बम्बई और मद्रास में सामाजिक विधियां हैं तथा मध्य प्रदेश में पुलिस अधिनियम में दण्ड की व्यवस्था है । भाग (ख) राज्यों हैदराबाद, मैसूर तथा त्रावनकोर-कोचीन में भी भीख मांगने तथा आवारागर्दी के लिये सामाजिक विधान है, पैप्सू में नगरपालिका अधिनियम है तथा सौराष्ट्र में जिला पुलिस अधिनियम हैं । भाग (ग) राज्यों, भोपाल, कच्छ, दिल्ली तथा पांडिचेरी में भी इस प्रकार के सामाजिक विधान हैं ।

श्रीमती सुषमा सेन : क्या मैं जान सकती हूं कि जब यह लागू हो चुके हैं तब इतने बच्चे भीख मांगते क्यों दिखाई देते हैं, तथा केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही हैं ?

श्री दातार : मैं यही बतला रहा हूं । जहां तक भीख मांगने का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार इस पर कोई विधान नहीं बना सकती है। आवारागर्दी के लिये केन्द्रीय सरकार अवश्य विधान बना सकती है परन्तु विभिन्न राज्य सरकारों की सम्मति से । इसी कारणवश जब कोई संसद् का गैर-सरकारी सदस्य विधान प्रस्तुत करता है...

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में राज्यों को सम्मति क्यों नहीं देती ?

श्री दातार : इस सम्बन्ध में मैं अभी बताऊंगा ।

जब बाल विधेयक को किसी माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया था तब सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार किया गया था तथा अन्त में शिक्षा मंत्रालय ने बाल विधेयक को भाग (ग) राज्यों तक सीमित रखा है क्योंकि भाग (ग) राज्यों तक संसद् का पूर्ण अधिकार है ।

यह विधेयक केवल बालकों की भिक्षा मांगने के सम्बन्ध में है । राज्य सरकारों में इससे सम्बन्धित विधान हैं तथा मैं माननीय सदस्य तथा सभा को आश्वा
हूं कि जो प्रश्न यहां उठाये गये हैं उनको राज्य सरकारों को भेज दिया जायगा तथा उनसे प्रार्थना की जायगी कि भिक्षावृत्ति के सम्बन्ध में वह दण्ड तथा हित दोनों पहलुओं पर विचार करके, विधान बनायें ।

माननीय सदस्य ने आवारागर्दी पर बड़े अजीब प्रकार से विचार किया है । आवारागर्दी की परिभाषा को ले लीजिये उसमें बताया गया है कि घूमना, बेकार रहना तथा कोई शरारत करना आदि आवारागर्दी में आते हैं । ये सभी बातें यदि एक साथ हों तभी आवारागर्दी में आती हैं ।

परन्तु केवल घूमने वाले को पुलिस नहीं पकड़ सकती है । बच्चों को भी घूमते हुये नहीं पकड़ा जा सकता । पकड़ते समय हम दण्ड उपबन्धों का बड़ा ध्यान रखना चाहिये

अथवा निर्दोष व्यक्तियों को कारावास में रख दिया जायगा ।

अब मैं 'बेकार रहने' के सम्बन्ध में बताता हूं । भारत जैसे निर्धन देश में 'बेकारी' है तथा 'बेकार रहना' शब्द के अन्तर्गत हम जैसे बहुत से व्यक्ति आ जाते हैं ।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री पर तो यह पूर्णरूपेण लागू होता है क्योंकि उन्होंने देश के सभी व्यक्तियों को रोज़गार नहीं दिलाया है ।

श्री दातार : माननीय सदस्य ने एक ही शब्द का प्रयोग बहुत ठीक ठीक किया है और वह शब्द हैं "अव्यवस्थित ढंग से" । जहां तक अव्यवस्थित ढंग से घूमने का सम्बन्ध है, यह विधि तथा व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ न कुछ कार्यवाही का किया जाना आवश्यक है और अधिकांश राज्य पुलिस अधिनियमों में इसके लिये उपबन्ध हैं ।

इस के अतिरिक्त इसमें माता पिता भी सम्मिलित कर लिये गये हैं । यह विधेयक कहता है :

"यदि अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाला कोई व्यक्ति जिस को माता या पिता या अभिभावक या संरक्षण प्रदान करने वाला कोई अन्य व्यक्ति....."

भलाई करने के विचार से या दया धर्म के नाते मान लीजिये मैं किसी को रख लेता हूं और वह मेरी रखवाली से भाग कर सड़क पर घूमने लग पड़ता है तो मुझे केवल इस लिये दण्ड दिया जायेगा क्योंकि मैंने उसे संरक्षण प्रदान किया था । ऐसी दण्ड विधि बनाने से पूर्व हमें बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये, शक्तियां भी हमें तभी देनी चाहियें जब कि शब्दावलि बिल्कुल निश्चित हो । इस विधेयक में तीन मास के कारावास दण्ड और कुछ जुर्माने की सज़ा का उपबन्ध बनाया गया है । यदि इन बच्चों को जेल भेजा गया तो इन की आपराधिक मनोवृत्ति और भी बढ़ जायेगी । जब तक पर्याप्त संख्या में बालगृह न हों इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है । भीख मांगने वालों का जहां तक सम्बन्ध है भारत में भिखमंगों की संख्या इतनी अधिक नहीं है जितनी कि समझी जाती है । भिखमंगों की संख्या १९३१ और १९४१ के बीच में २५ लाख थी । अब १९५१ की जनगणना के अनुसार इन की संख्या कम हो कर केवल पांच लाख रह गई है । आत्म निर्भर भिखमंगों की संख्या ४,८७,००० है । यदि एक व्यक्ति पर चार व्यक्ति निर्भर हों तो हो सकता है कि यह संख्या तीन गुनी हो जायगी । इस प्रकार यह संख्या ५० लाख हो जायगी । १५ मार्च, १९५५ को प्रश्न संख्या १००३ का उत्तर देते हुय मैं ने इसके आंकड़े सभा पटल पर रखे थे । यह आंकड़े १९५१ की जनगणना से लिये गये थे । भिखमंगों की समस्या को निश्चय ही हल करना है, परन्तु इस को वास्तव में राज्य सरकारों को ही हल करना है ।

डा० रामा राव : क्या माननीय उपमंत्री अनाथों की अनुमानित संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री दातार : मुझे खेद है कि यह संख्या मेरे पास नहीं है । प्रस्तुत विधेयक आवारागर्दों के सम्बन्ध में है न कि अनाथों के । आवारा व्यक्तियों की संख्या कितनी है यह तो बताना कठिन है । जो विवरण सभा पटल पर रखा गया था वह आवारा व्यक्तियों के सम्बन्ध में था । जहां तक आवारा बालकों का सम्बन्ध है उन की संख्या कुल संख्या की लगभग एक तिहाई होगी । इस तरह यह समस्या इतनी जटिल नहीं है जैसी कि जान पड़ती है ।

यदि बालकों की बरबादी होगी तो भावी सन्तानें नष्ट हो जायेंगी । इस लिये

[श्री दातार]

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस विवाद का सारांश सब राज्य सरकारों के पास भेज दिया जायगा और उन से बाल अधिनियमों को निश्चित और साथ ही दाण्डिक बनाने के लिये जहां भी दण्ड विधि की आवश्यकता हो विधान बनाने या विधानों में संशोधन करने को कहा जायगा ।

बाल विधेयक बाल अपराधियों के सम्बन्ध में होते हैं । दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध उस बाल विधेयक में मौजूद हैं जो कि दूसरी सभा में ७ मई, १९५४ को पास किया जा चुका है । अब वह इस सभा के सामने विचाराधीन है । इस लिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक विशेष पर आग्रह न करें क्योंकि जहां तक आवारापन तथा भिखमंगों का सम्बन्ध है सरकार को अपने दायित्व का पूरा ज्ञान है और इन सब बातों की ओर विभिन्न राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया कि आवारा बच्चों की और भीख मांगने वाले बच्चों की जो समस्या है वह इतनी खराब नहीं है जितनी कि लोग समझते हैं । जहां तक मैं ने अध्ययन किया है और इस समस्या के बारे में मैं ने मरदम शुमारी के दो प्रतिवेदनों को देखा है, दो रिपोर्टों को देखा है उसके अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर समस्या है । सन् १९३१ की गणना के मुताबिक़ हमारे देश में २० लाख के क़रीब भीख मांगने वाले थे । उसके बाद अब सन् १९५१ में इन भीख मांगने वालों की संख्या और आवारा फिरने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है । जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है जिस प्रकार से बेकारी बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से भीख मांगने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है । इस प्रकार यह कह देना कि साहब यह समस्या इतनी विकट नहीं है, इतनी खराब नहीं है, ठीक बात नहीं है । मेरा कहना यह है कि मंत्री महोदय ने अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है । अगर इस समस्या के बारे में मरदम शुमारी के कागज़ात से और स्टेट गवर्नमेंट्स से वह पूरी पूरी जानकारी मांगें तो उन को यह पता चलेगा कि यह समस्या अधिक विकराल होती चली जा रही है । मैं ने इस सदन का बच्चों की तरफ़ खास ध्यान दिलाया है । ऐसे बच्चों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती चली जा रही है । ऐसे बच्चों को दुरुस्त करना आसान काम नहीं है । लेकिन जो बुनियाद है हमारी सभ्यता की और जिन्हें भावी नागरिक बनना है अगर उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो जो दशा हमारे देश की हो सकती है उसका अन्दाज़ा आप ख़ुद लगा सकते हैं । अभी आप ने देखा कि मानसिंह डाकू को पकड़ने के लिये लाखों रुपया खर्च करना पड़ा और इस काम में कितनी परेशानी उठानी पड़ी । यह डाकू कहां से आते हैं, कहां से यह लोग पैदा होते हैं । देवी सिंह डाकू कहां से पैदा हुआ । बड़े होकर यही लोग डाके डालने लगते हैं . . .

एक माननीय सदस्य : मानसिंह तो एक ज़मींदार था ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यही बच्चे जो आवारा फिरते हैं, भीख मांगते हैं बाद में जा कर खराब हो जाते हैं और चोरियां और डाके डालने लगते हैं । मैं ने बहुत से वालदेन को देखा है, जब वे लोग अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, उन को खिला पिला नहीं सकते, उन को अपनी इस गरीबी के कारण भीख मांगने के लिये छोड़ देते हैं ।

इसी तरह से उन बच्चों के संरक्षक जिनके कि माता पिता मर जाते हैं, उन की जायदाद उन के चाचा या दूसरे संरक्षक खुद हज्म कर जाते हैं और उन बच्चों को आवारागर्दी करने के लिये छोड़ देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि तमाम खराबियां पैदा हो जाती हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैं ने पीनल क्लाज़ रखी है उन वालदेन के लिये या उनके संरक्षकों के लिये जिन के संरक्षण में वे बच्चे हैं या जिन खुद के बच्चे हैं, वह बर्बाद हो जायें, आवारा हो जायें इस को रोकने का यही एक तरीक़ा है।

मेरा कहना यह है कि यही एक बिल नहीं है जो कि मैं ने रखा है। मैं ने इस क़िस्म के बहुत से बिल रखे हैं और यह उनमें से एक है। मैं ने एक अनाथालय बिल रखा था और आवारा गर्दों का बिल भी मैं ने ही रखा है। यह एक श्रंखला थी इन विधेयकों की जिसके द्वारा मैं सरकार द्वारा इन बच्चों की समस्या को हल करवाना चाहता था। जब मैंने अनाथालय बिल इस सदन में रखा था उस वक्त मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही एक बिल आयेगा जिसमें बच्चों की तमाम समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया जायगा और उसको जल्दी अमल में भी लाया जायगा। यह सन् १९५२ की बात है। आज इस चीज़ को चार वर्ष हो गये हैं। वह बिल राज्य सभा में पास तो हो गया है, यह बात ठीक है लेकिन मैं कहता हूं कि उस बिल में बहुत सी खामियां हैं। बहुत सी कमियां हैं। वह बिल पब्लिक औपीनियन जानने के लिये प्रचारित नहीं किया गया है, उस बिल के बारे में जो बड़े बड़े बच्चों के विशेषज्ञ हैं उन की राय जानने के लिये उस बिल को उन के पास नहीं भेजा गया है।

डा० एम० एम० दास : यह सोचना गलत है कि विशेषज्ञों की राय नहीं ली जाती है। यह गलत है; यह सर्वथा आधारहीन है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : लेकिन जहां तक मैं ने देखा है उसमें मुझे बहुत सी कमियां मालूम पड़ी हैं और मैं ने पिछली बार भी रिपोर्टों के आधार पर यह बताया था और वह रिपोर्ट अब भी मेरे पास मौजूद हैं और मैं उन में से पढ़ कर भी सुना सकता हूं कि यह कितनी गम्भीर समस्या है।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम) : ज़रूर सुनाइये।

श्री एम० एल० द्विवेदी : यह जो किताब यू० एन० की तरफ़ से निकाली गई है "सामान्य जीवन से वंचित बालक" इस के आखिर में लिखा है :

> जब बालकों के माता पिता उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं तो सरकार को बालकों के वैध अभिभावक का काम करना चाहिये। सामान्य जीवन से वंचित बालकों के प्रति उत्तरदायित्व की पूर्ति सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : यह बात विकसित देश के बालकों के लिये है अविकसित देशों के लिये नहीं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें आपको पढ़कर सुना सकता हूं। यह जो मैं ने अभी पढ़ कर सुनाया है यह यू० एन० ने अपनी हाल की किताब में ही लिखा है, यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। बच्चों की भलाई के मुताल्लिक़ जो बिल है उसको कितने ही साल हो गये हैं इस सदन में आये लेकिन अभी तक वह पास नहीं हो पाया है। मैं कहता हूं कि यह कम्पनीज़ बिल जो है यह इतना ज़रूरी बिल नहीं था जितना ज़रूरी बिल बच्चों के बारे में था और उस को पहले पास करवाया जाना चाहिये था।

श्री अलगू राय शास्त्री : यह बात सही है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : आप जितने भी मेज़र्ज़ यहां पर लाते हैं, उन सब से जरूरी यह काम है कि आप अपने देश के होनहार बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिये कुछ करें । आप बड़े बड़े पोथे यहां पर ले आते हैं । आप इस बात पर विचार करते हैं कि मैनेजिंग एजेन्सी सिस्टम को खत्म करें या न करें । आप यह सोचते हैं कि ट्रेजरर्ज़ और सेक्रेटरीज़ को और ज्यादा मुनाफ़ा दें या न दें । मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको छोड़िये और देखिये कि हमारे देश के बच्चे बरबाद हो रहे हैं और कोई भी उनकी निगाहबानी नहीं कर रहा है । जब सरकार ही उन का ख़याल न रखेगी, तो फिर कौन रखेगा ?

आप कहते हैं कि जो बिल मैं ने पेश किया है, वह नाकाफ़ी है । यह ठीक हो सकता है, लकिन मैं ने इस गरज़ से इस बिल को पेश किया है कि इस अवसर पर आप को याद दिलाऊं कि आप ने जो वादा किया हुआ है, उसको आप ने पूरा नहीं किया है और आप को उसे पूरा करना चाहिये । अगर आप अपना वादा पूरा करने के लिये तैयार हैं, तो फिर मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपने बिल को इसी रूप में पास कराऊं । इससे बहुत अच्छा और काम्प्रिहैन्सिव बिल तैयार कर के इस सदन में रखा जा सकता है । सरकार की ड्राफ्ट्समैनशिप और काबलियत पर मुझे पूरा विश्वास है । मेरा यह भी विचार है कि एक्सपर्टस की राय ले कर जो बिल बनाया जायगा, वह अवश्य अच्छा होगा । लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इस को टालें नहीं—इस बारे में ग़ौर करें और जल्दी ही कोई कदम उठायें ।

आप का कहना है कि हम ने जो डेफ़ीनीशन्ज लिखी हैं, वे ठीक नहीं हैं और वेग (vague) हैं । मैं मानता हूं कि सम्भव है कि वे ठीक न हों और वेग (vague) हों । लेकिन एक बात आप सोचिये और वह यह है कि "बैगिंग" ो स्टेट सब्जेक्ट है और "वाण्डरिंग" एक सेंट्रल सब्जेक्ट है—जहां तक कान्स्टीट्यूशनल प्वायंट का सम्बन्ध है, वह सही है—, लेकिन जहां पर "बैगिंग" और "वाण्डरिंग" या "वैगरेन्सी" कम्बाइण्ड हों, वहां क्या स्थिति होगी ? बच्चे उसी समय भीख मांगते हैं जब कि वे आवारा हो जाते हैं, आवारा होना पहली शर्त है और भीख मांगना दूसरी शर्त है । अगर वे आवारा हैं, तो भीख भी मांगेंगे, और अगर भीख मांगेंगे तो फिर आवारागर्द होंगे ही । मेरे कहने का मतलब यह है कि आवारागर्दी और भीख मांगना साथ साथ चलते हैं । इस लिये मेरा निवेदन यह है कि आप इस सम्बन्ध में अपनी जिम्मेदारी को पहचानिये । आप यह मत कहिये कि यह तो स्टेट सबजेक्ट है और यह तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है । आखिर बच्चे पहले आवारा होते हैं और फिर भीख मांगना भी शुरू कर देते हैं । ऐसी सूरत में आप आवारागर्दी के बारे में कानून बनाइये ।

और फिर दूसरी बात यह है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंटस किसी दूसरे की गवर्नमेंटस तो नहीं हैं । स्टेट्स में कांग्रेस की ही गवर्नमेंट्स मौजूद हैं । अगर आप उनको दो शब्द भी लिख देंगे तो कोई कारण नहीं कि वे इस विषय में ग़ौर न करें और कोई कार्यवाही न करें—चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बम्बई की सरकार हो या मद्रास की सरकार हो, वे सब यह कार्य अपने हाथ में ले लेंगी । आप कह देते हैं कि हमारा उन पर कोई जोर नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार का बिल नहीं बना सकते, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिये ही बनवाइये । मेरी मन्शा यह है, इस सदन की मन्शा यह है और देश के समस्त नागरिकों की मन्शा यह है कि आप इस विषय में कोई न कोई कार्यवाही अवश्य करें । जब अनाथालय बिल यहां पर आया था, तब भी सदन इस की निर्विरोध राय यही थी और आज भी जहां तक उसूल

का सवाल है, कोई सदस्य नहीं है, जो उससे सहमत न हो । मुझे आश्चर्य होता है कि देश भर की राय को जान कर, इस संसद् के सदस्यों और भारतवर्ष के समस्त नागरिकों, देश-विदेश के लोगों और यू० एन० ओ० के मत को जान कर भी इस बारे में आप इतना विलम्ब कर देते हैं और इस महत्वपूर्ण मसले को चार चार वर्ष तक छोड़ देते हैं । इस में कहां तक न्याय है ?

हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि वह सदन में एलान नहीं कर सकते । तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वह ऐसा नहीं कर सकते, तो वह इस प्रकार का कम्यूनिके निकालें कि हम ने इस विषय में कैबिनेट में ग़ौर किया है और शीघ्र ही इस पर विचार किया जायगा और स्टेट गवर्नमेंट्स को आदेश दिया जायगा कि अगले दिसम्बर तक इस बारे में कानून बना दिया जाय, ताकि अगले साल तक बच्चों की कुछ व्यवस्था कर दी जाये और भीख मांगना बन्द हो जाये । अगर आप ऐसा कर दें, तो मुझे कुछ सन्तोष हो जायेगा । अगर आप यह आश्वासन दे दें कि आप इस किस्म का बिल लायेंगे, तो मैं इस बिल को वापिस लेने के लिये तैयार हूं....

डा० सुरेश चन्द्र : वर्ना ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : वर्ना वह चलेगा—चलता रहेगा । वह फिर कभी आयेगा । अगर आप आश्वासन देते हैं, तो मैं इस को वापिस लेने के लिये तैयार हूं ।

श्री दातार : जिस भावना से माननीय सदस्य ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है सभा उससे प्रभावित है । माननीय सदस्य ने जो तर्क उपस्थित किये हैं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं और मैं उनसे वायदा करता हूं कि हम बहुत शीघ्र यह बात राज्य सरकारों के ध्यान में लायेंगे किन्तु हम इस सम्बन्ध में कोई तिथि निश्चित नहीं कर सकते हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री : धीरज रखिये, कभी न कभी हो जायेगा ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद—पश्चिम) "मगर आराम के साथ" ।

सभापति महोदय : माननीय उपमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को दृष्टिगत करते हुये क्या माननीय सदस्य अपना विधेयक वापिस ले रहे हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : मंत्री महोदय ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वह तिथि नहीं दे सकते । वह तिथि निश्चित न करें, लेकिन यह कार्य वह जल्दी से जल्दी करायें, यही मेरा निवेदन है ।

उनके इस आश्वासन को दृष्टि में रख कर मैं यह बिल वापिस लेना चाहता हूं और इस विषय में सदन की आज्ञा चाहता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अति आयु विवाह रोक विधेयक

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अति आयु विवाहों पर रोक लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अभी हम जिस विधेयक पर विचार कर रहे थे वह जनता की सामाजिक जागृति के लिये एक प्रकार की चुनौती था । उसी प्रकार यह विधेयक भी हमारी जनता की सामाजिक जाग्रति के लिये एक चुनौती है । जब यह विधेयक इस सभा में पुरःस्थापित किया

[श्री डी० सी० शर्मा]

गया था तो न केवल देश के अन्दर वरन् देश के बाहर भी लोगों ने इस में बहुत दिलचस्पी ली थी। इस विधेयक के द्वारा एक महान् सामाजिक विधान बनाने की चेष्टा की गई है जिस का उद्देश्य समाज को दृढ़ तथा विस्तृत आधार पर संगठित कर देना है। "एनसाईक्लोपीडिया आफ़ सोशल साइन्सेज़" नामक ग्रन्थ में मुझे एक वाक्य मिला जो मेरे इस विधेयक का आधार है।

"तब तो निश्चिन्त हो कर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि विवाह का भविष्य न केवल उपयोगितावाद पर आधारित होगा वरन् अधिकांशतः प्रचलित विचारधाराओं पर आधारित होगा।"

आज हमारे देश के नये वातावरण में विवाह सम्बन्धी सामन्ती और मध्ययुगीन विचारधाराओं के लिये कोई स्थान नहीं हो सकता है। हम ने अपने देश में कितने ही विवाह सम्बन्धी सामाजिक विधान बनाये हैं। कहा जाता है कि पहला प्रमुख सामाजिक विधान १८२९ में पास किया गया था। उसके पश्चात् १८५६ में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, १८७२ में विशेष विवाह अधिनियम, १९२३ में, विशेष विवाह अधिनियम का संशोधन, १९२९ में, बाल विवाह रोक अधिनियम जिसे अधिकांशतः शारदा अधिनियम कहते हैं, १९३८ और १९४९ में, इस अधिनियम के संशोधन, १९३७ में, हिन्दू स्त्री सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, १९४६ में, हिन्दू विवाहित स्त्री पृथक् आवास तथा भरणपोषण अधिकार अधिनियम पास किये गये। हाल ही में हमने हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद अधिनियम पास किया है जिसमें दो बातें मुख्य हैं, एक तो बहु-पत्नीत्व की प्रथा को समाप्त करके एक पत्नीत्व को लागू किया गया है, और दूसरे पति पत्नी के लिए विवाह-विच्छेद की व्यवस्था है। हम ने विशेष विवाह विधेयक भी पास किया है। इन सब से स्पष्ट है कि हमारे देशवासी प्रगतिशील हैं और समय के अनुसार अपने विवाह सम्बन्धी विचारों को बदलते रहते हैं।

मैं आपके सामने ऐसे अनगिनत उदाहरण रख सकता हूं जिन से प्रकट होगा कि अति-आयु वाले व्यक्तियों के साथ विवाह करने में इन नवयुवतियों को अकथनीय मानसिक, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्लेश तथा पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वे ऐसे विवाह कभी कभी माता पिता के आदेशों का पालन करने के लिये और कभी धन के लालच में कर लेती हैं। यह सब मध्य युगीन और सामन्ती प्रथायें हैं जिन की जड़ें हमारे समाज में इतनी गहराई तक उतर चुकी हैं कि इन को उखाड़ने के लिये कठोर विधानों की आवश्यकता है।

भारत के एक बहुत बड़े सुधारक का कहना है कि वर वधू की आयु में नौ वर्ष का अन्तर होना चाहिये, पुरुष को २५ वर्ष की आयु में विवाह करना चाहिये और विवाह के समय वधू की आयु १६ वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। ऐसे भी विवाहों की प्रथा थी जो ३६ वर्ष की आयु में किये जाते थे और एक ऐसे विवाह की प्रथा भी थी जो ४२ वर्ष की आयु में किये जाते थे।

हाल में दिल्ली के एक समाचार-पत्र में यह संवाद प्रकाशित हुआ था कि एक साठ वर्षीय वृद्ध ने, जिस के १५, २५ तथा ३० वर्ष की आयु वाले तीन पुत्र थे, एक अट्ठारह वर्षीय वधू से विवाह किया है। मैं मानता हूं कि यह एक असाधारण घटना है। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है। फिर भी यह एक ऐसा उदाहरण है जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : इस विधेयक के लिये कितना समय नियत किया गया है ?

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिये दो घंटे का समय नियत किया गया है। इस पर दो प्रकरणों में चर्चा की जानी चाहिये, एक तो विचार प्रस्ताव पर तथा दूसरा खण्डवार विचार प्रकरण पर। इस लिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह अधिक समय न लेकर दूसरों के लिये भी कुछ समय छोड़ें जिस से कि इसके बाद इस विधेयक पर खण्डवार विचार भी किया जा सके।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं केवल पांच मिनट में ही इसे समाप्त कर दूंगा।

हमारे लोक गीत हमारी अलिखित पूंजी हैं। मेरे एक मित्र श्री देवेन्द्र सत्यार्थी ने मुझे लोक गीतों का एक संग्रह दिया है जिसमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कांगड़ा के लोक गीत हैं। उन गीतों में भी उन नवयुवतियों के भाग्य का उल्लेख है जिन्हें बूढ़ों से ब्याह दिया जाता है। हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भी लिखा है कि बूढ़े व्यक्ति का बुढ़ापे में विवाह करना; विष खाने के समान है। हमारा शताब्दियों का यही अनुभव है। इसलिये इस बुरी सामाजिक प्रथा को समाप्त कर ही दिया जाना चाहिये। थोड़ा विवाद इस प्रश्न पर हो सकता है कि वृद्धावस्था को किस आयु से माना जाये। परन्तु यह कोई कठिनाई नहीं है। उद्देश्य केवल यही है कि नवयुवतियों को तथा वृद्धों को इस से बचाया जाये। वृद्ध पुरुष के नवयुवती से विवाह होने से बुरे परिणाम निकलते हैं। इससे वैधव्य बढ़ता है और अनेक उलझनें पैदा हो जाती हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : हमें आशा थी कि माननीय मित्र श्री डी० सी० शर्मा इस विधेयक के बारे में कोई विश्लेषणात्मक वक्तव्य देंगे तथा इस विधेयक के खण्डों के बारे में हमें कुछ बतायेंगे किन्तु उन्होंने इस विषय पर कुछ नहीं कहा और न ही यह बताया कि विधेयक में पुरुष की आयु ४० वर्ष तथा स्त्री की आयु २५ वर्ष क्यों रखी गई है। न ही उन्होंने यह बताया कि किस कारण से उन लोगों को दण्ड दिया जाये जो ऐसे विवाहों में भाग लेते हैं।

साथ ही इस का क्षेत्राधिकार प्रैजीडेंसी दण्डाधिकारी को दिये जाने के क्या कारण हैं यह भी उन्होंने नहीं बताया है। दण्डाधिकारी को ऐसे मामलों की देखरेख करने का अवकाश ही कहां होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों के लिये तथ्य एवं कारण होने चाहियें थे तथा किसी युक्तियुक्त ढंग से विधेयक को पुरःस्थापित किया जाना चाहिये था।

इस सभा को सैक्स के विषय में कुछ बताना बहुत ही कठिन कार्य है। माननीय मित्र सैक्स के विषय का अधिक ज्ञान रखने का दावा भी नहीं करते हैं। उन्हें यह तो विचार करना चाहिये था कि ४० वर्ष की आयु पर पुरुष की काम भावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है। उन्हें स्वयं ही इस बात को समझना चाहिये था। इस सुझाव की भी कोई आवश्यकता नहीं थी कि ४० वर्ष से अधिक आयु का पुरुष २५ वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह न करे। यदि वह ६० या ७० वर्ष की सीमा रखते तो कुछ बात भी बनती। ४० वर्ष की आयु के पुरुष पर इस प्रकार की रुकावट लगाना ठीक नहीं है ?

इसके बाद माननीय मित्र ने विधेयक में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह भी बहुत

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

ही निकम्मी है । उन्होंने लिखा है 'और जो कि पहले विवाहित न हो' । कोई भी व्यक्ति विवाहिता स्त्री से तो विवाह करेगा नहीं । उन्हें यह लिखना चाहिये था "कि जिसका किसी प्रकार पहले विवाह-विच्छेद न हुआ हो' । हम ऐसा उपबन्ध क्यों रखें कि वह एक ऐसी स्त्री से ही विवाह कर सकेगा जिसे पहले से ही वैवाहिक अनुभव हो । यह बात कुछ ठीक नहीं है ।

इसके विपरीत कई स्त्रियां जो अधिक आयु की नहीं होती हैं, ४० वर्ष की आयु के पुरुषों से विवाह करना चाहती हैं । स्त्रियां २० वर्ष की आयु में ही काफ़ी विकसित हो जाती हैं और गृहस्थी संभाल लेती हैं और ४०।४५ वर्ष की आयु में बूढ़ी हो जाती हैं परन्तु पुरुष ६० वर्ष की आयु तक भी काम वासना से मुक्त नहीं होता है और ४० वर्ष की आयु में तो वह एक प्रकार से युवा ही होता है । इस लिये ४० वर्ष की आयु का पुरुष यदि २० वर्ष की लड़की से विवाह कर ले तो इसमें कया हानि है ?

हमारे पास विवाह-विच्छेद का उपबन्ध पहले से ही है । विशेष विवाह विधेयक तथा हिन्दू विवाह विधेयक पारित हो ही चुके हैं । इसलिये इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या है ।

इस सम्बन्ध में एक और बात यह है कि कई वृद्धा स्त्रियां ऐसी होती हैं जो युवकों से विवाह करना चाहती हैं । उन पर माननीय मित्र कोई रुकावट नहीं लगाना चाहते हैं । ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं । श्री अमजद अली ने मुझे बताया है कि पैगम्बर इस्लाम मुहम्मद साहिब ने अपने से २० वर्ष अधिक आयु की स्त्री से विवाह किया था ।

यदि इस विषय को असमान विवाहों के प्रश्न के रूप में रखा जाता तो यह ठीक था किन्तु माननीय मित्र ने क्या किया है—केवल पुरुषों पर ही रोक रखी है ।

सम्भव है माननीय मित्र ने यह विधेयक अपनी प्रसिद्धि के लिये पुरःस्थापित किया हो । किन्तु मैं कहूंगा कि इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये था । आज यदि इस परिवर्तनशील वातावरण को ध्यान में रख कर हम इस बात पर विचार करें तो हम देखेंगे कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं है । अतः मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (ज़िला लखनऊ—मध्य) : हमारे माननीय सदस्य जो बिल लाये हैं वह एक समाज सुधारक बिल है और उस का सिद्धान्त भी ठीक है । परन्तु उस के प्राप्त करने के लिए जो रास्ता रखा है वह बड़ा ग़लत है । यह सही है कि अधिक उम्र के अन्तर की जो शादी होती है वह बड़ी दुखदायी होती है, साथ ही यह भी सही है कि विधवा की शादी रंडुए से ही होनी चाहिये । लेकिन हमारे माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया है कि ४० वर्ष का मर्द कैसा हो, अगर वह कोई कुंआरा आदमी हो तो ? इस में सिर्फ़ ४० वर्ष का आदमी ही कहा है । लेकिन चूंकि चालीस वर्ष का आदमी कहा है इस लिये गालिबन वह दूसरी शादी करने वाला ही होगा ।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : ज़रूरी नहीं है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : एक रंडुए की शादी विधवा से ही होनी चाहिये, यह तो उचित बात है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या 'रंडुआ' शब्द का प्रयोग संसदोचित है ?

सभापति महोदय : इसमें कोई अनुचित बात नहीं है ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : 'विधुर' शब्द श्रेयस्कर है ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : इस बिल में इसको लाने का कारण यह बताया गया है कि चूंकि बड़ी बड़ी उम्र के पुरुषों से छोटी छोटी उम्र की लड़कियों की शादी हो जाती है, इस लिये कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो जाती हैं और जीवन भर उनको विधवा रह कर ही गुजारना पड़ता है, जो कि बड़ी दुःखदायी बात होती है । यह बात बिल्कुल सही है, और इसका कारण यह है कि हमारे देश के जो माता पिता होते हैं वह यह नहीं देखते हैं कि मर्द की उम्र क्या है, वह तो सिर्फ धन देखते हैं और धन के ही लालच से वह अपनी पुत्रियों को बेच देते हैं और बड़ी उम्र के मर्दों से अपनी पुत्रियों की शादी करके उन का जीवन बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, उन का जीवन दुखी बना देते हैं ।

साथ ही यह भी सही बात है कि जब किसी ज्यादा उम्र के पुरुष के साथ किसी छोटी उम्र की लड़की की शादी होती है तो पुरुष ठीक से अपनी राय क़ायम नहीं कर सकता है । वह स्त्री के वश में आ जाता है, जिस के कारण घर में भी कलह मच जाती है और सब को ही तक़लीफ़ होती है । ऐसा कहा जाता है :

"दुजाहे की जोरू, नरखास की घोड़ी,
जितनी ही कूदे, उतनी ही थोड़ी ।"

जो दुजाहे की जोरू होती है, वह अपने पति के ऊपर बहुत ज्यादा हुकूमत करती है । जब कभी छोटी उम्र की स्त्री की शादी बड़ी उम्र के मर्द के साथ हो जाती है तो वह उस के ऊपर हावी हो जाती है और सारे घर भर के ऊपर क़ब्ज़ा कर लेती है, जिस की वजह से घर वालों को भी अपार कष्ट होता है । परन्तु इस को रोकने का उपाय यह नहीं है जो कि इस बिल में सुझाया गया है । इसका उपाय यह है कि हम समझ बूझ कर अपने देश के युवक युवतियों को अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुनने की इजाजत दें और माता पिता जो हैं वह अपने पुत्र और पुत्रियों की शादी में हस्तक्षेप न करें । यदि ऐसा हो जाय तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर स्त्री पुरुष किसी को समझ बूझ कर पसन्द कर लेंगे और शादी करेंगे तो फिर किसी को परेशानी नहीं होगी । अगर कोई स्त्री जान बूझ कर किसी बड़े मर्द से शादी करे या कोई पुरुष छोटी उम्र की कन्या से शादी करना चाहे तो उस को क़ानून बना कर नहीं रोका जा सकता है । इस में सरकार कर भी क्या सकती है ? यदि कोई २० वर्ष की स्त्री है और वह ४० वर्ष के मर्द से शादी कर ले, और सरकार क़ानून के ज़रिये उस को रोकना चाहे, तो यह तो वही बात हुई कि :

"मियां बीवी राज़ी,
तो क्या करेगा क़ाज़ी ।"

यह जो हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि एक अखबार में यह बात छपी थी कि ४० वर्ष के पुरुष से १८ वर्ष की लड़की की शादी हुई, और उस आदमी के बड़े बड़े लड़के थे, तो मैं समझती हूं कि उस लड़की ने अपनी इच्छा से शादी न की होगी । मां बाप ने उस की शादी तय की होगी । मुझे ऐसी भी मिसालें मालूम हैं जहां पर कि एक ऐसी ही शादी होने जा रही थी, परन्तु जो लड़की के गांव वाले थे उन्होंने उस का विरोध कर के फ़ौरन ही सारी बारात को तहस नहस कर दिया और लड़की की ख्वाहिश को जान कर उस की शादी अपने में से ही एक से कर दी ।

ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं । । ।
जो आयु रखी गई है कि ४० वर्ष का पुरुष हो

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

और २५ वर्ष की स्त्री हो यह भी कुछ ठीक नहीं जचती है । मान लीजिये कि पुरुष ४० वर्ष का न हो कर ४२ वर्ष का हो और स्त्री २५ वर्ष की न हो और इससे दो वर्ष कम हो तब उसमें क्या अन्तर पड़ता है ? सभापति जी, आप तो जानते ही हैं कि आजकल के ज़माने में २५-२५ और ३०-३० वर्ष की लड़कियां मौजूद हैं जिन की शादी नहीं हुई है । मैं पूछती हूं कि इस में विधवायें रखने की क्या ज़रूरत है । यदि वह विधवा हो तभी उसकी उस पुरुष से शादी हो सकती है यह ठीक नहीं है । मैं तो यह चाहती हूं कि जो शादी का अन्तर हो वह पांच साल का हो और इस से ज्यादा न हो और फिर उसके बाद चाहे वह पुरुष ६० वर्ष का हो और स्त्री चाहे ५५ वर्ष की हो इस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये । इस लिये मेरी प्रार्थना है कि इस बिल में यह बात होनी चाहिये कि स्त्री और पुरुष की आयु में पांच वर्ष से ज्यादा का अन्तर न हो ।

इस के बाद इस बिल में यह है कि यदि ब्याह को एक साल हो जाये तब कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिये । इसके क्या माने हैं ? जब शादी हो गई तब फिर तीन महीने हुये हैं या छः महीने हुये हैं, इस से क्या अन्तर पड़ता है । जिस तरह से एक साल के बाद कार्रवाई नहीं हो सकती है उसी तरह तीन महीने के बाद या छः महीने के बाद भी कार्रवाई क्यों हो और सज़ा क्यों दी जाय ? इस बात को भी देख लेना ज़रूरी है ।

इसके बाद इस बिल में यह दिया गया है कि इन्क्वायरी की जाय । मेरी प्रार्थना है कि यह तो एक बड़ी मुश्किल बात है कि घर घर में पुलिस वाले जायें और पूछताछ करें कि कहीं किसी बड़े आदमी की छोटी लड़की से शादी तो नहीं हो रही है । यह एक बहुत बुरी बात है कि पुलिस वाले हमारे घरों में घुस सकें और यह देखें कि किस पुरुष की किस स्त्री से शादी हो रही है या किस स्त्री की किस पुरुष से शादी हो रही है ।

इसमें आगे चल कर यह भी कहा गया है कि अगर ऐसी शादियां हों तो उन के ऊपर १,००० रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है और एक मास की क़ैद की सज़ा दी जा सकती है । यह दोनों बातें मुझे ठीक मालूम नहीं पड़ती हैं । अगर इस बिल की मंशा यह है कि इतना ज्यादा जुर्माना कर के सरकार का कोष भरा जाय तब तो दूसरी बात है । इस विधेयक के उद्देश्य में यह कहा है कि बड़ी आयु के पुरुष छोटी कन्याओं से विवाह कर लेते हैं तब वह कन्या छोटी आयु में विधवा हो जाती है लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे हम ने विडो रिमैरेज के बारे में जो बिल बहुत वर्षों से पास कर दिया है फिर भी यदि विडोज़ ही दुबारा शादी करवाना नहीं चाहती हैं तो सरकार उनसे यह काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकती है । इसी तरह से यदि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुरुष हैं या स्त्रियां हैं जो कि अपने से बड़ों या अपने से छोटों के साथ शादी करना चाहते हैं तो सरकार को उनको ऐसे कार्य से कानून द्वारा रोकना कठिन है । यह काम तो समाज सुधारकों पर छोड़ दिया जाना चाहिये । समाज सुधारकों को लोगों को यह बात बतानी चाहिये कि ऐसा काम करना ग़लत है, उचित नहीं और ऐसा नहीं होना चाहिये । यदि आप ऐसा करेंगे तभी समाज सुधार होगा और स्त्री और पुरुष की सारी समस्यायें हल हो जायेंगी । यह चीज़ें क़ानून द्वारा हल नहीं हो सकती हैं ।

श्री राघवाचारी : यह विधेयक कुछ ऐसे विचारों पर आधारित है जो आज विद्यमान नहीं है ।

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) : क्या मैं एक बात पूछ सकता हूं ? मेरे विचार में इस विधेयक के लिये दो घंटे का समय नियत किया गया है ।

सभापति महोदय : विधेयक के सभी प्रक्रमों के लिये ।

श्री पाटस्कर : यदि हम विचार प्रक्रम के लिये कुछ समय निर्धारित कर दें तो हम जान सकेंगे कि दूसरे प्रक्रम के लिये कितना समय रहेगा ।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर—दक्षिण) : वह प्रक्रम आयेगा ही नहीं ।

श्री पाटस्कर : यदि वह प्रक्रम नहीं आयेगा तब इस पर समय लगाने की क्या आवश्यकता है ?

सभापति महोदय : यदि वह अवस्था न आई तो उस समय का हम किसी और काम में उपयोग करेंगे । हम विचार प्रक्रम को ४-३० या ४-४५ तक समाप्त कर सकते हैं । दो माननीय सदस्यों के बाद फिर माननीय विधि-कार्य मंत्री बोलेंगे ।

श्री पाटस्कर : मेरे विचार में विचार प्रक्रम पर चर्चा ५ बजे तक समाप्त हो जायेगी ।

सभापति महोदय : खण्डवार विचार प्रक्रम पर अधिक समय लगेगा । इस लिये मैं सुझाव देता हूं कि विचार प्रस्ताव को ४-४५ बजे समाप्त किया जाये ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ? सम्भवतया खण्डवार विचार की अवस्था ही न आये, क्योंकि सरकार इसका विरोध कर रही है और सम्भव है कि माननीय सदस्य को, जो कि सरकारी दल के सदस्य हैं, इस विधेयक को वापस लेना पड़े । सारा उद्देश्य यह है कि देश को यह चेतावनी दी जाये कि ऐसे विवाह नहीं होने चाहियें । इस लिये इस चर्चा को चलने दिया जाये और खण्डवार विचारावस्था के लिये १५ मिनट का समय रख लिया जाये ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य के अनुसार क्या मैं यह समझ लूं कि इस विधेयक का विचार प्रस्ताव भी स्वीकृत नहीं होगा । अभी मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि अभी सभा ने इस प्रस्ताव को ४-४५ पर रखा जाना स्वीकृत किया है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : जी हां ।

श्री राघवाचारी : मैं यह कह रहा था कि जिस आधार पर इस विधेयक की नींव रखी गई है वह आधार ही अब नहीं रहा है । कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण में लिखा है कि विधवा स्त्रियां सारी आयु अपने पतियों की मृत्यु पर रोती रहती हैं । इसलिये इस विधेयक का आधार यह है कि विवाह स्त्री तथा पुरुष का जीवन भर का मेल है । और इसके टूट जाने से जीवन पर्यंत यंत्रणा रहती है । किन्तु अब विधि ने उपबन्ध कर दिये हैं और समाज को भी बदलना अपेक्षित है और इसी कारण से हाल ही में विवाह विधियां बनाई गई हैं । यह बात पहले थी जब विधि तथा समाज ऐसे पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं देते थे । अब यह बात नहीं कि विधवा जीवन भर पति की मृत्यु के बाद रोती रहे । इसलिये अब वह परिस्थितियां ही नहीं हैं ।

सब से आश्चर्यजनक बात तो यह है कि माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं दिये हैं कि कितने पुरुष इस आयु में विवाह करते हैं और कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं । जो उपचार उन्होंने रखा है उससे व्यक्ति की स्वतन्त्रता में रुकावट उत्पन्न होती है । माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि ४० वर्ष का पुरुष यदि विवाह करे तो

[श्री राघवाचारी]

वह एसी स्त्री से ही विवाह करे जिसे विवाह का पूर्व अनुभव हो । इसके साथ ही यह व्यक्गित स्वतन्त्रता को भी समाप्त कर देगा ।

निस्सन्देह वह यह चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखी रहे—किन्तु अब तो विवाह-विच्छेद हो सकता है । दूसरा विवाह करके जीवन सुखी बनाया जा सकता है । इस लिये अब रुकावटें लगाने का कार्य वांछनीय नहीं है ।

एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जब यहां पर विवाह विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो उस समय एक संशोधन ऐसा भी रखा गया था कि एक विशेष आयु के पुरुष विशेष आयु की स्त्री से ही विवाह करें—किन्तु वह संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया था । मैं यहां पर इसे इस कारण से बता रहा हूं कि सभा इन बातों के पक्ष में नही है ।

उन्होंने ऐसा विवाह करने वालों के लिये तीन मास के कारावास का दण्ड रखे जाने की प्रस्थापना की है । इससे क्या होगा ? विवाह तो नहीं छूटेगा—फिर बच्चों का प्रश्न उत्पन्न होगा और यह पता ही नहीं कि बच्चों का क्या बनेगा ?

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि ऐसे किसी विधान के न होने के कारण समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । उनका अभिप्राय कदाचित यह है कि २५ वर्ष से कम आयु की लड़की के माता पिता किन्हीं कारणों से उसका विवाह कर देते हैं, उसे बेच देते हैं—किन्तु यदि कोई लड़की स्वयं अपनी इच्छा से २५ वर्ष की आयु में ४० वर्ष के पुरुष से विवाह करना चाहे तो उस पर क्यों रुकावट लगाई जाय । यह सिद्धान्त भी कोई युक्तियुक्त नहीं है ।

इन बातों की रोकथाम के लिये उन्होंने निषेधाज्ञा जारी करने का उपबन्ध किया है । हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता कि कौनसा न्यायालय यह आज्ञा देगा और क्या कार्यवाही की जायगी । इस विधेयक से वर्तमान स्थिति में पर्याप्त उलझनें पैदा हो जायेंगी और कुछ लाभ नहीं होगा । इसलिये में इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता ।

श्री पाटस्कर : मुझे विधेयक प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य से साहनुभूति है । उन्होंने असमान आयु के विवाहों की रोकथाम के महान् उद्देश्य को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत किया है । उनका उद्देश्य यह है कि असमान आयु के विवाहों को रोका जाय और निस्सन्देह यह एक महान् उद्देश्य है ।

मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह तरीक़ा बड़ा विचित्र सा है । यह बात सच है कि कई बार असमान आयु के विवाहों के अवांछनीय परिणाम निकलते हैं । किन्तु प्रत्येक मानवीय कार्य की विधि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है । विचार योग्य मुख्य बात यही है ।

फिर कौनसी ऐसी बुराई है जिसके निमित्त यह विधेयक लाया गया है और जिसे इस को पारित करके दूर किया जा सकता है ? उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उन्होंने कहा है :—

"इस देश में प्रत्येक व्यक्ति उन नवयुवतियों की दयनीय अवस्था के बारे में जानता है जिन का विवाह अधिक आयु के पुरुषों से होता है....."

सदैव उनकी अवस्था दयनीय नहीं होती है । ४० वर्ष के पुरुष तथा २५ वर्ष की स्त्री का विवाह दो वयस्कों का विवाह होता है । मैं यह तो समझ सकता हूं कि इस तर्क में तो

थोड़ा बहुत न्यायिक आधार है कि यदि एक बूढ़ा किसी अवयस्क लड़की से शादी करे। हम इस विचार से सहमत हैं कि ऐसे विवाहों का रोका जाना न्याय्य है। यह सब बातें पहले उठाई जा चुकी हैं। किन्तु उन्होंने फिर वही बात कही है कि सभी ऐसी स्त्रियों की दयनीय दशा से परिचित हैं।

क्या ४० वर्ष की आयु का पुरुष इतनी अधिक आयु का होता है कि यदि वह २५ वर्ष की लड़की से विवाह करे तो उस विवाह का परिणाम दयनीय ही होगा ?

माननीय सदस्य ने ६० वर्ष की आयु के पुरुष तथा १८ वर्ष की लड़की के विवाह के बहुत ही कम उदाहरण देखे होंगे। किन्तु यह विधेयक ६० और १८ वर्ष की आयु वालों के लिये तो नहीं है। यह तो ४० और २५ वर्ष की आयु वालों के लिये है। दोनों ही वयस्क होते हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि ऐसे विवाहों के परिणाम हमेशा दयनीय ही होंगे। इसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी।

इसके बाद वह फिर क्या कहते हैं ? यदि कोई स्त्री विधवा हो तो कोई बात नहीं है। सम्भवतः कारण यह है कि यदि उसका पति मर जाय वह दोबारा विधवा हो सकतो है। इस उपबन्ध का आधार यही प्रतीत होता है। यदि वह विधवा २५ वर्ष से कम आयु की हो तब तो कोई बात नहीं है। मैं ने विधेयक को ध्यान से पढ़ा है। वह कहते हैं :

> "....युवती विधवाओं को उनके पतियों की मृत्यु पर सारे जीवन रोते रहने के लिये छोड़ दिया जाता हैं"

ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक के प्रस्तावक को ऐसी विधवा स्त्रियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जिनका कि दुबारा विवाह हो सकता है। उनको ऐसी अभागी स्त्रियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है जो कि २५ वर्ष की आयु से पूर्व ही विधवा हो गई हैं। ऐसी स्त्रियों के प्रति हमारी तो पूर्ण सहानुभूति है। फिर इस विधेयक में लिखा है कि "भारत में विधवा पुनर्विवाह की प्रणाली प्रचलित नहीं है।" यह तो एक बड़ा विचित्र सा कथन है। वास्तव में बहुत से सम्प्रदायों में पुनर्विवाह की छूट है ; हो सकता है कि कुछ एक उन्नत सम्प्रदायों में, जो कि कुल जन संख्या का १५ या २० प्रतिशत हैं, यह प्रणाली अधिक प्रचलित न हो, परन्तु गत कुछ एक वर्षों से तो अब उन में भी यह प्रणाली प्रचलित हो रही है और अब इसका उतना ही विरोध नहीं किया जाता है जितना कि पहले किया जाता था। और फिर आगे कहा गया है कि "भारतीय समाज में फैले भ्रष्टाचार के कारण....., और उसका कारण यह है कि कोई एक विधान नहीं है"। इसके सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका 'भ्रष्टाचार' शब्द से क्या तात्पर्य है। मैं कह नहीं सकता कि वे सामाजिक भ्रष्टाचार की ओर संकेत कर रहे हैं अथवा किसी अन्य ओर। मेरे विचारानुसार तो यह विधेयक एक महान् महत्वपूर्ण उद्देश्य को सामने रख कर ही प्रस्तावित किया गया है। वास्तविक उद्देश्य यह था कि साठ अथवा सत्तर वर्ष के एक बूढ़े और १४ अथवा १५ वर्ष की एक लड़की का विवाह नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ये ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जनता को स्वयं ही सामाजिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुये सोच विचार करना चाहिये और अपने आपको सुधारना चाहिये। इसका उपचार यह है कि कोई विधान बनाने की अपेक्षा अनमेल विवाह करने वालों में ऐसा न करने के सम्बन्ध में प्रचार किया जाये। विधेयक के प्रस्तावक ने जनता के ध्यान में यह बात लाकर कि ऐसे विवाह अनुचित हैं, जनता का बहुत उपकार किया है, परन्तु हम इसके बारे में कोई विधान नहीं पारित कर सकते क्योंकि मूल रूप से

[श्री पाटस्कर]

ऐसे विधान को लागू करना बहुत कठिन होगा। ऐसे विधान को लागू करने का परिणाम यह होगा कि हमें प्रत्येक विवाह के समय यह देखना पड़ेगा कि क्या स्त्री २५ वर्ष की है और पुरुष ४० वर्ष का है। और फिर कोई पुरुष ४० वर्ष का होने पर भी पूर्णरूप से स्वस्थ हो सकता है और कोई स्त्री २५ से पहले ही अपना स्वास्थ्य खो बैठती है। जीव विज्ञान की दृष्टि से भी ऐसा विचार करना उचित नहीं है। अतः किसी विवाह का सफल या असफल होना केवल आयु पर ही निर्भर नहीं करता है। यदि केवल यही एक तत्व होता तब तो हम सीधे ही विधान बना देते। परन्तु वह एक बिल्कुल भिन्न बात है। इस से पहले भी केन्द्रीय सभा तथा अन्य विधान सभाओं में इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करने के प्रयत्न किये गये थे। वैसे तो यह विधेयक एक महान् उद्देश्य—समाज सुधार—की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है, परन्तु जैसा कि प्रस्तावक महोदय स्वयं जानते हैं कि अभी समाज सुधार सम्बन्धी, और भी कई मामले निलम्बित पड़े हुये हैं इसलिये अनमेल विवाह के निरोध से सम्बन्ध रखने वाले इस समाज सुधार के प्रश्न पर भी अभी विभिन्न दृष्टिकोणों से सोच विचार किया जाना शेष है। हमें केवल आयु के आधार पर ही इस विधेयक को पारित नहीं करनाहै। प्रस्तावक महोदय स्वयं अनुभव करेंगे कि सरकार के लिये इस प्रकार के विधानों को लागू करना अत्यन्त कठिन होगा, और फिर यह एक ऐसी परिस्थिति के लिये बनाया जा रहा है, जिसका अस्तित्व रहे अथवा न रहे। मैं ने उन्नत देशों की स्थिति के सम्बन्ध में भी अध्ययन किया है। जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है किसी भी तथाकथित उन्नत देश में विवाह के बारे में आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। प्राचीन काल में लगभग ६० वर्ष की आयु वाले पुरुषों का १६ या १७ वर्ष की आयु की स्त्रियों से विवाह करना एक सामान्य बात थी। महाराष्ट्र में एक शारदा धर्म प्रचलित था जिसके अनुसार ऐसे विवाह किये जाते थे और उसके सम्बन्ध में जनता में बड़ी श्रद्धा थी। अतः जहां पर अनमेल विवाहों ने बड़ा बुरा रूप धारण कर रखा है, वहीं इस कुरीति को रोकने के लिये कार्यवाही की जाये। परन्तु इस समस्या को किसी अन्य रीति से ही हल किया जाना चाहिये। इसके लिये कोई विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमने एक बार भी वयस्क व्यक्तियों के सम्बन्धों को नियंत्रित करना आरम्भ कर दिया तो ऐसे सम्बन्धों को नियंत्रित करने की कोई सीमा ही नहीं रहेगी।

दूसरी बात यह है कि ऐसे विधान को लागू करना अत्यन्त कठिन काम है और फिर इसके परिणामस्वरूप जनता में व्यर्थ में ही भय छा जायेगा। अतः मैं प्रस्तावक महोदय से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक के लिये हठ न करें।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य इसके उत्तर में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : माननीय विधि मंत्री के भाषण को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि वह इस विधान को बिल्कुल निरर्थक समझ रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिये विधान नहीं बना सकते। परन्तु वर्तमान काल के विधानों का झुकाव स्पष्ट रूप से बताता है कि हम मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के सम्बन्ध में विधान बनाना चाहते हैं, तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य के सम्बन्ध में विधान क्यों न बनाया जाये ?

ऐसा कहा गया है कि यदि यह विधेयक पारित हो गया तो इसे लागू करना बहुत

कठिन होगा, और इससे जनता में भय फैल जायेगा । परन्तु मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं ।

अभी हाल ही में हमने शुद्ध खाद्य के सम्बन्ध में एक विधेयक पारित किया है । उसका चारों ओर से विरोध हुआ था और लोगों ने हड़तालें भी की थीं । परन्तु क्या हम उन बातों से डर गये थे ? हमने तो सामाजिक हित को ही सदैव अपनी दृष्टि में रखा है । इस विधेयक की भी ऐसी ही स्थिति है । हमें तो सदैव समाज सुधार को ही अपनी दृष्टि में रखना है । इन छोटी छोटी बातों की चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिये ।

श्री पाटस्कर : परन्तु दोनों विधेयकों में भारी अन्तर है । वह तो एक बड़ी भारी समस्या को हल करने के लिये आवश्यक था ।

श्री डी० सी० शर्मा : विवाह समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या है और उसके सम्बन्ध में भी विधान बनाना अत्यावश्यक है । फिर यह कहा गया है कि इस विधेयक के प्रारूपण में कई त्रुटियां रह गयी हैं । इसके प्रारूपण में मैं ने एक निपुण विधि वेत्ता की सहायता ली थी, अतः इसमें यदि कोई त्रुटि रह गयी है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है ।

इस विधेयक में मैं ने स्पष्ट किया है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में नव-युवतियां बूढ़ों से विवाह करती रहें । उन्हें बूढ़े पुरुषों से विवाह करने के लिये बाध्य किया जाता है । क्या यह हमारे समाज पर कलंक नहीं है और क्या इसकी रोकथाम के लिये कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ?

भारत में प्रौढ़ अवस्था अन्य देशों की प्रौढ़ अवस्था की अपेक्षा अत्यन्त छोटी होती है । अतः उन देशों के उदाहरण यहां नहीं चल सकते हैं । हमारा देश सांख्यकी की दृष्टि से भी अन्य यूरोपीय देशों के समान उन्नत नहीं है । अतः सांख्यकियों का सहारा लेने की अपेक्षा हमें स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई बातों का सहारा लेना अधिक अच्छा है । हम नित्य प्रति अपनी आंखों से देखते हैं कि देश में अनमेल विवाह हो रहे हैं । इस लिये मैं चाहता हूं कि इन की रोकथाम के लिये एक विधान बनाया जाये जिससे कि भारत में विवाहित जीवन सुखी बन सके । ऐसा कहा गया है कि यह विधेयक वैयक्तिक स्वतन्त्रता में बाधा डालेगा । परन्तु समाज सुधार की दृष्टि से हमें ऐसा करना ही पड़ेगा ।

श्रीमती सुषमा सेन (भागलपुर—दक्षिण) : श्रीमान्, पांच तो बज चुके हैं ।

सभापति महोदय : आज सभा सवा पांच बजे तक बैठेगी । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह तीन चार मिनटों में अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस विधेयक में मैं ने सभा का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या की ओर आकर्षित करने का प्रयत्न किया है । मैं आशा करता हूं कि सभा इस प्रश्न पर विचार करेगी और इस सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न करेगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अति आयु विवाहों पर रोक लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक

श्री तेलकीकर (नान्देड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में मनुष्यों के शवों के दाह संस्कार की व्यवस्था करने वाले विधेयक को उस पर अक्तूबर के अन्त तक मत जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

[श्री तेलकीकर]

इस विधेयक की पृष्ठ भूमि पर जो जो घटनायें हैं उनका संक्षेप में इतिहास बताना अनुचित न होगा । आज से एक वर्ष पूर्व मुझे राजकोट के एक निवासी द्वारा भेजी हुई एक याचिका प्राप्त हुई थी जिसमें उसने दाह संस्कार सम्बन्धी सुधार किये जाने की प्रार्थना की थी । उसी के सुझावों के आधार पर मैं ने यह विधेयक बनाया है ।

श्री तेजपाल, राजकोट के एक सच्चे समाज सेवक हैं । उन्होंने कई समाज सुधार किये हैं । उन्होंने एक बार अहमदाबाद में महात्मा गांधी के सभापतित्व में हो रही एक सामाजिक सभा में अन्त्येष्टि क्रिया सुधार सम्बन्धी एक संकल्प प्रस्तुत किया था जो सर्व सम्मति से पारित हुआ था ।

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : एक औचित्य प्रश्न है । अन्त्येष्टि क्रिया तो संविधान के अनुसार राज्य सूची में आती है ।

सभापति महोदय : क्या प्रस्तावक महोदय नें इस बात पर विचार किया था ?

श्री तेलकीकर : मैं इस बात को समझता हूं कि यह राज्य सूची में है, परन्तु हमारे पास एक समवर्ती सूची भी है । उसकी मद संख्या २० "आर्थिक और सामाजिक आयोजन" के सम्बन्ध में है ।

यह समवर्ती सूची में मद संख्या २० के अन्तर्गत आता है । मेरा विधेयक आर्थिक तथा सामाजिक आयोजन के अन्तर्गत आता है ।

सभापति महोदय : जहां तक इस प्रश्न विशेष का सम्बंध है अनुदेश देने का कार्य यद्यपि अध्यक्ष पद को सौंपा गया है परन्त प्रथानुसार अध्यक्ष पद द्वारा इस शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है । जब सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर निर्णय देने का अधिकार सभा को होता है । अध्यक्ष-पद की ओर से सामान्यतः कोई निर्णय नहीं दिये जाते हैं ।

श्री तेलकीकर : सामाजिक आयोजन के अन्तर्गत कितनी ही बातें आ जाती हैं । हम ने विशेष विवाह विधेयक पारित किया है ।

सभापति महोदय : तो क्या माननीय सदस्य की धारणा यह है कि विवाह समवर्ती सूची की मद २० के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री तेलकीकर : कदाचित बाद को इसे राज्य सूची में रख दिया गया था । समाज में विवाह तथा अन्त्येष्टि संस्कार सामाजिक कार्य है । मैं महात्मा गांधी के शब्दों को उद्धृत करता हूं :

"सर्वप्रथम हम राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी चाहिये, उसके पश्चात् हमारी सरकार को अन्त्येष्टि संस्कारों में सुधार करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा ।"

यह शब्द महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में हुये एक सम्मेलन में कहे थे । उन्होंने अन्त्येष्टि संस्कारों के सुधारों के सम्बन्ध में एक विवरणिका भी प्रकाशित की थी जिस में वैज्ञानिकों की सम्मतियां दी हुई थीं ।

मैं ने विधेयक के कारणों तथा उद्देश्यों के विवरण में तीन कारण दिये हैं । इस विधेयक के द्वारा दफ़नाने की प्रथा तथा मृतकों को मनुष्यों के कन्धों पर ले जाने की प्रथा का उत्सादन करना अपेक्षित है । साथ ही इसके द्वारा दाह क्रिया का अपनाया जाना अपेक्षित है । विधेयक के यह उद्देश्य

मितव्ययता, कार्यकुशलता तथा स्वच्छता के आधार पर रखे गये हैं ।

दफ़नाने की प्रथा से रोगों तथा महामारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है । अनुभव ने यह बताया है कि कब्रिस्तान में केवल सभी प्रकार के कीटाणुओं के भंडार होते हैं, अपितु वह उन कीटाणुओं को और भी अधिक घातक बना देते हैं । और कभी कभी तो यह कब्रिस्तान नगरों के बीचों बीच में होते हैं ।

सभापति महोदय : ५-१५ म० प० हो गया है । मैं सभा के समय को बढ़ाना नहीं चाहता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : समस्त विधेयक के लिये आधे घंटे का समय नियत किया गया है । यदि माननीय सदस्य इसे प्रस्तुत करने में ही दस मिनट का समय ले लेंगे तो सम्पूर्ण चर्चा में कितना समय लगेगा ?

सभापति महोदय : अब सभा कल ११ म० पू० तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शनिवार, ३ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPND—HS—282 LSD—20-8-56—1